तृतीय माला, खण्ड १४--अंक २०

शनिवार, १६ मार्च, १९६३
२५ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या ४२८ से ४३० और ४३२ से ४४० १८४९—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४४१ से ४५० . १८७४—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०६ से ८०८, ८१० से ८६९, ८७२ और ८७३ १८८०—१९०५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . १९०५—०६

सभा का कार्य . . . . १९०६—०७

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . . १९०८—२९

श्री उ० मू० त्रिवेदी १९०८

श्री रामेश्वर टांटिया १९०८—०९

श्री सेफियान . १९०९—११

श्री लीलाधर कटकी . १९११

श्री बिशनचन्द्र सेठ . . १९११—१५

श्री नटराज बिल्ले . १९१५

श्री रंगा . . . १९१५—१७

श्री कृष्ण मेनन . . . १९१७—१९

श्री मोरारजी देसाई . . १९१९—२९

लेखानुदानों की मांगें, १९६३—६४ . . . १९२९—३६

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३—६४—पुरस्थापित तथा पारित १९३६—३८

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . १९३८—५१

श्री ब० रा० भगत १९३८—३९

डा० रानेन सेन . १९३९—४०

श्री हिम्मतसिंहका १९४०

श्री काशीराम गुप्त १९४०—४२

श्री व० ब० गांधी १९४२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शनिवार, १६ मार्च, १९६३
२५ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशों के साथ भारत के संबंध

+

†*४२८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वासप्पा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीका और अफ्रीकी-एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिए कोई और उपाय करने का विचार रखती है; और

(ख) इन देशों से इनके राज्याध्यक्षों के अतिरिक्त और किन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के इस वर्ष भारत आने की संभावना है और ऐसे ही किन व्यक्तियों के भारत से वहां जाने की आशा है?

†विदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) प्रचार के माध्यम से तथा प्रमुख व्यक्तियों के दौरों के आदान प्रदान से सरकार सभी मित्र देशों के साथ जिन में अमरीका और अफ्रीकी-एशियाई देश भी सम्मिलित हैं भारत के सम्बन्ध सुधारने और सुदृढ़ बनाने का सतत प्रयास कर रही है। अफ्रीका के हाल ही में स्वतन्त्र हुए कुछ देशों में तथा उन अफ्रीकी देशों में जहां इस समय सूचना केन्द्र नहीं है ऐसे केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार

---

*मूल अंग्रेजी में

3161(Ai)LS—1.

किया जा रहा है। सरकार दार-अस-सलाम और अदिस अबाबा में नये सूचना केन्द्र तथा पश्चिमी अफ्रीका में दो नये केन्द्र स्थापित करने की बात सोच रही है।

(ख) पिछले वर्षों के समान इस वर्ष भी विदेशों से अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत आने के लिये आमंत्रित किया गया है। इस समय ठीक ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि उनके आने का कार्यक्रम और वास्तविक तिथियां अन्तिम रुप से निश्चित नहीं की गई हैं। विदेशी मुद्रा के प्रतिबन्धों को देखते हुए भारत से बहुत से लोग बाहर भेजना वांछनीय नहीं होगा। तथापि, कुछ लोगों का समय समय पर बाहर जाना आवश्यक हो सकता है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार जानती है कि भारत के सर्वोत्तम मित्रों ने भी विशेषत: हाल ही में, सदा शिकायत की है कि इन देशों में भारत का चित्र उचित प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जाता है ? और अब चीनी आक्रमण, उनकी गतिविधियों और रुपया बहाने को देखते हुए इस स्थिति का सामना करने के लिये हाल में क्या किया गया है ?

†श्री दिनेश सिंह : यह तो मैं नहीं कहूंगा कि हम अपने विचार बाहर व्यक्त नहीं कर पाये हैं। पुस्तकालय के समीप लाबी में हमने वैदेशिक प्रचार विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ प्रकाशन रखे हैं। उन के अतिरिक्त, हम स्थानीय रुप से उपलब्ध सभी माध्यमों का प्रयोग करते हैं जैसे कि समाचारपत्र, टेलीविजन और रेडियो। सब मिला कर, मैं समझता हूं कि हमारी स्थिति अच्छी तरह से प्रस्तुत हुई है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि भारत का चित्र प्रस्तुत करने के लिये हम अधिकतर सेवा में लगे अधिकारियों और राजदूत पर निर्भर करते हैं ? क्या इस काम के लिये सरकार ने गैर सरकारी एजेंसियों, विशेषत: संसद् सदस्य और पत्रकार को रखने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†श्री दिनेश सिंह : हमारे लिये आवश्यक है कि हम वहां अपने राजदूतों तथा अन्य दूतों पर निर्भर करें। समय समय पर जब लोग बाहर जाते हैं तो हम उन्हें आवश्यक सूचना सामग्री देते हैं। परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजना बड़ा कठिन है।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : यह देखते हुए कि पाकिस्तान और चीन ने अपनी भारत-विरोधी गतिविधियों को विशषकर अफ्रीकी देशों में तीव्र कर दिया है ऐसे भारत-विरोधी प्रचार का प्रतिरोध करने के लिये इस समय हम क्या कर रहे हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैं ने पहले कहा है, हम ने पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं और हम स्थानीय माध्यमों का भी प्रयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में हम और प्रचार केन्द्र खोल रहे हैं।

†श्री दाजी : जहां तक और प्रचार केन्द्रों के खोलने का सम्बन्ध है मैं जानना चाहता हूं कि अफ्रीकी देशों में कितने स्थानों पर हमारे केन्द्र नहीं हैं तथा अगले वर्ष में हम कितने खोलने वाले हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : मैं ने दो स्थानों का विशेष रुप से उल्लेख किया था, दार-अस-सलाम और अदिस अबाबा तथा पश्चिमी अफ्रीका में दो स्थान। उत्तरी अफ्रीका के अनेक देशों में पहले से

---

†मूल अंग्रेजी में

हीं हमारे केन्द्र हैं, हमारे केन्द्र काहिरा, रबात, अलजियर्स, अकरा, नाइजीरिया, कांगो और पूर्वी अफ्रीका में खरतूम में हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि मोशी सम्मेलन में भारत का विरोध किया गया था, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भाग लेने वाले देशों की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये गये हैं कि क्या उनका दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा कि मोशी सम्मेलन में व्यक्त किया गया था ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं प्रश्न की प्रस्तावना पर टिप्पणी नहीं करना चाहता परन्तु जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है, मोशी में आये हुए प्रतिनिधिमंडल इन संगठनों के निजी प्रतिनिधिमंडल थे; वे सरकारी प्रतिनिधिमंडल नहीं थे । सरकारों के अधिकृत विचार तो सदन को पहले ही भली भांति ज्ञात हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : जी नहीं । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका प्रश्न था कि क्या मोशी सम्मेलन में प्रकट किये गये विचार पुरोनिधान देशों के विचारों के पूर्णतः समरुप हैं अथवा आंशिक रुप से ।

†**श्री हेम बरुआ** : जी नहीं । मेरा प्रश्न है कि क्या उन देशों की सरकारें, जिनके प्रतिनिधियों ने मोशी सम्मेलन में भाग लिया था, उन विचारों से सहमत हैं ।

†**श्री दिनेश सिंह** : जैसा कि मैं ने पहले कहा था, वे सरकारों के प्रतिनिधि नहीं थे वे अफ्रीकी एशियाई संघ के प्रतिनिधि थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि क्या विभिन्न देशों के इन प्रतिनिधियों द्वारा मोशी सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचार वास्तव में उन सरकारों के ही विचार हैं ।

†**श्री दिनेश सिंह** : आवश्यक नहीं कि वे सरकारों के ही विचार हों ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार ने इसे निश्चित रूप से जानने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री हरिविष्णु कामत** : आपके प्रश्न पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि न केवल कुछ विदेशी राजनयिकों ने अपितु कुछ संसद् सदस्यों ने भी समय-समय पर शिकायत की है कि हमारा वैदेशिक प्रचार बड़ा क्षीण रहा है तथा इसी कारण भारत के पक्ष में प्रतिक्रियाएं बड़ी देर से हुई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत ही सामान्य प्रश्न है और फिर सदस्या अपने स्थान पर भी नहीं हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री त्यागी** : मुझे खेद है कि मैंने कई बार आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की परन्तु आपका ध्यान अधिकतर सावित्री निगम की ओर ही गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैं समझता हूं कि यदि सदस्या वहां होतीं तो श्री त्यागी का ध्यान भी वहीं जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बी० चं० शर्मा : क्या दृष्टि है।

†श्री त्यागी : क्या सरकार जानती है कि अमरीका की बहुत बड़ी जनसंख्या इस बात को नहीं जानती कि ५०० लाख से भी अधिक मुसलमान भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं ? मुझे तो आश्चर्य है कि हमारे मिशन कर क्या रहे हैं। क्या वे केवल यहां से भेजे गये बुलेटिन ही बांटते हैं अथवा अपनी ओर से भी कुछ करते हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : मैंने पहले कहा था कि हम स्थानीय समाचारपत्रों, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। अमरीका में हमारे राजदूत ने बहुत से टेलीविजन और रेडियो इन्टरव्यू दिये हैं।

मोशी सम्मेलन के बारे में पहले के प्रश्न को लेते हुए, इन देशों की सरकारें अपने विचार व्यक्त कर चुकी हैं और वे प्रधान मन्त्री द्वारा भेजे गये पत्र के उत्तर में प्रकाशित हो चुके हैं। सब मिला कर, उनके उत्तर हमारे पक्ष में ही रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : सावित्री निगम, त्यागी के बाद।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि न केवल विदेशी राजदूतों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने ही अपितु कुछ संसद सदस्यों ने भी शिकायत की है कि हमारा वैदेशिक प्रचार बड़ा क्षीण रहा है तथा कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें आकाशवाणी से निकाल दिया गया है प्रचार सेवा में ले लिया गया है ?

†श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ विशेष मामले दें तो हम उनकी जांच कर सकते हैं, परन्तु सब मिला कर मैं दुहराना चाहता हूं कि जो भी साधन हमारे पास हैं, हमारा वैदेशिक प्रचार बिल्कुल क्षीण नहीं रहा है।

सीमांत सड़क संगठन

+

†*४२९. { श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री हेम बरुआ :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड बर्मा सीमा पर २०० मील लम्बी सीमा रेखा में सीमान्त सड़क संगठन द्वारा क्या प्रगति की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संगठन ने इस सड़क को नागालैण्ड के अन्य स्थानों से मिलाने वाली अनेक निकटवर्ती सड़कें बनाने का काम भी हाथ में लेना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके कब तक तयार हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इन पर कितना व्यय हुआ है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चाखाबामा को मेलूरी के रास्ते लगभग २५६ मील इम्फाल से मिलाने वाली एक सड़क का बनाया जाना बोर्ड के कार्यक्रम

†मूल अंग्रेजी में

में सम्मिलित है। मेलूरी तक की सड़कें के लिये सर्वेक्षण और निशान लगाने की स्वीकृति दी गई थी परन्तु अधिक प्रगति सम्भव नहीं हो पाई है।

(ख) बोर्ड के कार्यक्रम में सम्मिलित नागालैण्ड की अन्य सड़कें ये हैं :—

(१) कोहीमा—चाखाबामा—मोकोकचंग

(२) मोकोकचंग—त्येनसांग

(३) मेलूरी—त्येनसांग

कोहीमा से मोकोकचंग तक सड़क का काम आरम्भ किया गया था परन्तु बाद में बन्द कर दिया गया था।

(ग) सीमान्त सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण को फिर से आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) नागालैण्ड में सड़क योजनाओं पर दिसम्बर, १९६२ तक निर्धारित और खर्च की गई राशि ५३.१४ लाख रुपये है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं यह जानना चाहता हूं कि टस्कर प्रोजक्ट के सम्बन्ध में जो पहले गड़बड़ हुई थी और उसके लिये एक कमेटी बैठी थी...

अध्यक्ष महोदय: यह आगे आ रहा है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ: इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता था कि यह इतनी महत्वपूर्ण सड़कें थीं कि उनको एक कण्ट्रैक्टर को देने के बजाय कई लोगों को डिस्ट्रिब्यूट करना चाहिये था जिसमें कि यह काम अच्छा हो सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्य के लिए सुझाव है।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** आय व्ययक में कितना उपबन्ध किया गया है और कौनसी सीमान्त सड़कें बनाई जाने वाली हैं ? वे कैसे बनाई जाने वाली हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** यदि यह एक सामान्य प्रश्न है फिर तो इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। यदि यह इसी विशेष प्रश्न में से उठता है तो मैं कहूंगा कि निश्चय ही अधिक प्रगति नहीं की गई है।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** क्या वे ठेकेदारों द्वारा बनाई जाती हैं या विभागीय रूप से ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** ये विभाग द्वारा ही बनाई जाती हैं, सड़क संगठन द्वारा।

†**श्री हेम बरुआ:** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस टस्कर संगठन द्वारा नेफा में बनाई गई सड़कों की लागत ५०,००० रुपये प्रतिमील से भी अधिक बताई जाती है, सरकार ने यह देखने के लिये क्या उपाय किये हैं कि नागालैण्ड-बर्मा सीमा पर यह सड़क व्यय की सीमा के अन्दर अन्दर ही रहे ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** निश्चय ही इस बारे में पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या सरकार ने सीमान्त सड़क संगठन तथा लोक-निर्माण विभाग और सेना कर्मचारियों जैसी अन्य सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा बनाई गई सड़कों की तुलनात्मक लागत

---

†मूल अंग्रेजी में

की पड़ताल की है और यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस संगठन, विशेषत: टस्कर द्वारा बनाई गई सड़कों की निर्माण लागत अविश्वास्य रूप से अत्यधिक है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : टस्कर संगठन के कार्य की की गई जांच के परिणामस्वरूप एक प्रविधिक दल समस्या के इन पहलुओं की पड़ताल कर रहा है ।

†**श्री बसुमतारी**: अब जबकि टस्कर के विरुद्ध अपना काम उचित रूप से न करने की शिकायत की गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार टस्कर की बजाय अन्य ठेकेदारों को काम देने का है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : टस्कर कोई समवाय नहीं है ; यह तो नेफा में मुख्य इंजीनियर के अधीन काम करने वाले दल का नाम है । इस प्रश्न में तो हम नागालैण्ड में सड़कों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन्, इस सीमावर्ती सड़क संगठन ने, नागालैण्ड में कुल कितने मील लम्बी सड़कें बनाने का निश्चय किया था, कितनी सड़कें अब तक बनी हैं और शेष को बनाने के लिये कौन से खास कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण**: मेरे विचार में यह एक सामान्य प्रश्न है और मैं कहूंगा कि इस पर विशेष रूप से एक प्रश्न पूछा जाये ।

नेफा में हुई असफलताओं की जांच

+

*४३०.
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बेरवा कोटा :
श्री बड़े :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल सेनाध्यक्ष नेफा की लड़ाई के बारे में जो जांच कर रहे थे वह पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) नेफा की लड़ाई के सम्बन्ध में हो रही जांच अभी प्रगतिशील है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच किन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, कब यह प्रारम्भ की गई थी और कब तक इसके समाप्त हो जाने की आशा की जाती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण):** अधिकारियों के नाम बताना तो बड़ा कठिन है। निश्चय ही इसमें कुछ सप्ताह और लगेंगे।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन्, हमारी सेनाओं को लद्दाख में भी पीछे हटना पड़ा था लेकिन नेफा में हटने के बारे में जो जांच की जा रही है उससे ही इसकी गम्भीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में किसी जनरल या किसी बड़े अधिकारी को मुअत्तिल किया जा रहा है या उसके कोर्ट मार्शल की तैयारियां की जा रही हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** प्रतिवेदन के मिलने से पहले ही हम लोगों को दण्ड देना आरम्भ नहीं कर सकते। इस प्रतिवेदन के ऐसी जांच होने की अपेक्षा नहीं है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड मिलने की सम्भावना रखी जाये। यह तो एक प्रकार का सैन्य मूल्यांकन होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** एक पाठ सीखने के लिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच पड़ताल के लिये जो लोग मुकर्रर किये गये हैं उनके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं और जांच का मूलाधार क्या है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** यह जानकारी मैं नहीं दे सकता ... (**अन्तर्बाधायें**)

कुछ माननीय सदस्य उठे.........

†**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति। केवल दो ही कारण हो सकते हैं या तो मन्त्री महोदय के पास इस समय जानकारी है ही नहीं इसलिये वह बता नहीं सकते; या इसे प्रकट करना लोकहित में नहीं है। मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि इस समय वह कौनसा कारण देंगे।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न पर।

†**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति। पहले उत्तर मिलने दीजिये, तब वह औचित्य प्रश्न उठायें।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण:** पहली बात यह है कि जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। दूसरी यह कि हमने इस प्रश्न पर सोचा नहीं है कि इसे प्रकट करना लोकहित में है या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय:** श्री रामनाथन् चेट्टियार।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** जिस समय असफलतायें हुई थीं उस समय इस सदन में वाद-विवाद का उत्तर देते हुये माननीय प्रधान मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिलाया था कि वह जांच करवायेंगे और यदि कोई दोषी निकला तो उसे दण्ड दिया जाएगा। परन्तु यहां अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा है कि यदि प्रतिवेदन प्रकाशित भी होता है तो वह किसी को दण्ड देने की दृष्टि से नहीं होगा। क्या मैं इस बात पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय:** यह औचित्य प्रश्न बिल्कुल नहीं है। औचित्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे प्रश्नकाल में औचित्य प्रश्न तब तक न उठाया करें, क्योंकि वे बहुत ही कम उठते हैं, जब तक कि सदन के ध्यान में लाये जाने वाली कोई बड़ी बात न हो। उस हालत में, यदि किसी मन्त्री महोदय ने ऐसा उत्तर दिया है जो माननीय सदस्यों के अनुसार

---

†मूल अंग्रेजी में

ठीक नहीं है तो निस्सन्देह मन्त्री से पूछा जा सकता है। परन्तु साधारण रीति यह है कि माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं कि दिया गया उत्तर गलत है और वे अन्य जानकारी के दिये जाने के कारण लिख सकते हैं जिसे कि मैं मन्त्री को भेज दूंगा ताकि वह भी कुछ कह सकें और तब हम निर्णय कर सकते हैं कि ठीक उत्तर क्या है और यदि जानकारी गलत हो तो मन्त्री से उसे ठीक करने को कहा जा सकता है... (अन्तर्बाधा)

†श्री म० ला० द्विवेदी: मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं जो कि मेरे प्रश्न से उत्पन्न होती है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि जानकारी उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। परन्तु प्रश्न के बारे में तो वह पहले से ही जानते थे। वह कैसे कह सकते हैं कि जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: प्रश्न केवल जांच के निर्देश पदों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: श्री त्यागी।

†श्री अ० प्र० जैन : मैं एक औचित्य प्रश्न के लिये उठ रहा हूं। एक बार जब जांच के बारे में प्रश्न की अनुमति दे दी जाती है, तो क्या मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि वह निर्देश पर नहीं बतायेंगे। यदि निर्देश पद ही नहीं बताये जाते तो प्रश्न के किसी भी भाग का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

†श्री रंगा: श्रीमान्, मेरे विचार में उन्होंने जो औचित्य प्रश्न उठाया है वह बहुत ही संगत है। मन्त्री के लिये बस प्रश्न की ओर से आंख मूंद लेना और यह कह देना कि वह जानकारी नहीं देंगे उचित नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है कि इस समय जानकारी उनके पास नहीं है।

†श्री रंगा: यह कैसे हो सकता है ? प्रश्न यहां है। जानकारी एकत्रित करने और यहां उत्तर देने के लिये उनके पास पर्याप्त समय था।

†अध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस समय जानकारी उनके पास नहीं है तो कम से कम उस समय अध्यक्ष उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे तो मानना ही पड़ेगा...

कुछ माननीय सदस्य उठे...

†अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। माननीय सदस्यों को समझना चाहिये कि मंत्री को अधिकार है : जब मंत्री महोदय कहते हैं कि वह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ता है, और माननीय सदस्यों को भी..... (अन्तर्बाधा)

†श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस पर सोचा हो नहीं है।

†श्री रंगा : आप की कृपा थी कि आपने प्रश्न की अनुमति दी और उसे मंत्री महोदय के पास भेज दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। उसके बाद मंत्री महोदय के पास जानकारी एकत्रित करने के लिये पर्याप्त समय था। इस लिये उन्हें यह कहने की अनुमति नहीं है कि उनके पास वह जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि आप यह बात उनके ध्यान में लायें कि उन्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। ये तो केवल निदेश पद हैं।

†अध्यक्ष महोदय : स्वतन्त्र दल के माननीय नेता पुराने और मंजे हुये सांसदिक हैं.....

†श्री रंगा: : तभी तो मैं यह बात उठा रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : .....और वह यहां अपने संसदीय अनुभव में यह सब देखते रहे हैं। जब मंत्री को यह कहने का अधिकार और विशेषाधिकार है कि इस समय उनके पास जानकारी नहीं है तो उस समय तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिये। हां, जब तक बाद में यह पता न लग जाये कि जानबूझ कर तथ्यों को छुपाया गया है, मंत्री को इस समय यह कहने का अधिकार है कि जानकारी उनके पास नहीं है और उस समय हमें उन पर विश्वास करना चाहिये। यद्यपि तर्क यह है कि सूचना पहले से दी गई थी, कुछ और कारण भी हो सकते हैं कि वह उस जानकारी को एकत्रित न कर सकें। (अन्तर्बाधा)

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं आप से, मंत्री महोदय से, प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहने की प्रार्थना कर सकता हूं क्यों कि..... (अन्तर्बाधा)

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ये तो केवल निर्देश पद हैं। सामग्री एकत्रित करना तो मंत्री का काम है। उसके पास समय था।

†श्री रंगा : यह क्षेत्र या ज्ञान में हो सकता है .....

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। एक ही समय पर कितने सदस्य बोल सकते हैं? (अन्तर्बाधायें) आप सभी बैठ जायें और फिर मैं बारी बारी आपको अनुमति दूंगा।

†श्री अ० प्र० जैन : मेरा औचित्य प्रश्न एक और मामले से पैदा होता है। आपने मंत्री महोदय से यह पूछने की कृपा की है कि क्या उनके पास इस समय जानकारी है ही नहीं या वह लोकहित में इसे प्रकट करना नहीं चाहते। उन्होंने दोनों का ही वर्णन कर दिया। परन्तु मान लें कि पहला ही कारण ठीक है, तो मेरा औचित्य प्रश्न आपके प्रश्न से उत्पन्न होता है। एक बार जब मंत्री महोदय प्रश्न को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या वह निर्देश पद देने से इन्कार कर सकते हैं? आंशिक रूप से यह आपकी ही कही हुई बात से उत्पन्न होता है।

†अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, मैं इस बात को समझता हूं। परन्तु जब मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं तो वह दो कारण देते हैं—पहला यह कि जानकारी उनके पास नहीं है और दूसरा यह कि वह निर्देश पद प्रकट करना नहीं चाहते जिस पर कि आपत्ति की जा रही है।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह इसे प्रकट करना नहीं चाहते।

†अध्यक्ष महोदय : इस समय शायद उनके पास जानकारी नहीं है। मैं तो केवल सदन के सामने सारा मामला रख रहा हूं ; मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं। मैं नहीं समझता कि उसके बारे में क्या आपत्ति है।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपत्ति कोई नहीं है परन्तु मैं फिर आपसे कहूंगा कि वह सदन का अधिकार छीन रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है—जांच के निर्देश पद। मैं नहीं समझता कि यह कोई ऐसी बात है जिसे इकट्ठा करने में उन्हें समय लगेगा और जो कि उनके पास नहीं हैं। यह उनके पास है, वह क्यों इसे प्रकट नहीं करते?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : किसी ऐसी वैध जानकारी से इन्कार करना जिसे प्राप्त करने का सदन को अधिकार है मेरी मंशा नहीं है। पहले भी इस सदन में कई बार इस प्रश्न का उल्लेख किया गया था और मैंने सोचा कि सदन ने स्थिति को मान लिया है और वे निर्देश पदों में जाना नहीं चाहते जब मैं कहता हूं कि जानकारी मेरे पास नहीं है तो सचमुच ही मेरा यही अभिप्राय है। साथ ही, निश्चय

---

†मूल अंग्रेजी में

ही हमने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। हमने निश्चय नहीं किया है कि इन निर्देश पदों को इस समय सार्वजनिक रूप से प्रकट करना चाहिये या नहीं, दोनों प्रस्थापनायें आपके सामने हैं। अन्ततः तो मुझे इस बात पर आपके निर्णय का पालन करना है।

†**श्री त्यागी** : आप मुझ बुला चुके हैं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है मैंने उन्हें बुलाया हो परन्तु जब एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है, तब तक उस पर निर्णय न कर लिया जाय, तब तक मैं कैसे माननीय सदस्य को आगे बढ़ने के लिये कह सकता हूं ?

श्री स० ला० द्विवेदी : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कितने आदमी खड़े होंगे ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या मैं यह समझूं कि यह जांच केवल सामान्य सी जांच है और कोई भी निर्देश पद निर्गीत नहीं किए गए हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : निर्देश पद तो अवश्य हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: निर्देश पद तो हैं। श्री जैन के औचित्य प्रश्न की ओर आते हुए, उन्होंने दो प्रश्न किये हैं और औचित्य प्रश्न उठाया है। मैं दूसरे भाग पर कोई विनिर्णय नहीं देता क्यों कि पहले प्रश्न का मंत्री महोदय द्वारा यह उत्तर दिये जाने के बाद कि जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है दूसरा भाग केवल काल्पनिक सा बन जाता है। फिर दूसरे प्रश्न पर विनिर्णय देने के लिये मुझे से नहीं कहा गया है। जब भी कभी वह प्रश्न उठेगा तो मैं निश्चय ही जैसा चाहिये वैसा निर्णय दूंगा।

†**श्री त्यागी** : क्या कोई ऐसे अवसर आये हैं जब कि कोर कमांडर की आज्ञा के बिना सैनिकों और अधिकारियों के चीन के साथ युद्ध के दौरान अपने स्थान छोड़ देने की सूचना मिली हो। और यदि हां, तो ऐसी बातें भी जांच का विषय होती हैं या नहीं? मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि दंड नहीं दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यदि ऐसे घोर अपराधों के लिये कोई दंड नहीं दिये जाने हैं तो सेना के मनोबल का क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने जो कुछ कहा है उसका दूसरा भाग केवल एक तर्क है।

†**श्री त्यागी** : हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : और उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। पहला भाग निर्देश-पदों के सम्बन्ध में है जिसके विषय में माननीय मंत्री ने बताया है कि सरकार ने अभी यह निर्णय नहीं किया है कि उन्हें अभी इसी समय प्रगट किया जाना है अथवा नहीं और यह कि वह निर्णय करेंगे और कदाचित उसे सभा को बतायेंगे। अब मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने सहयोगियों से अथवा मंत्रिमंडल से परामर्श करें और एक निश्चित निर्णय पर पहुंच कि क्या उन्हें निर्देश-पदों को सभा को बताना चाहिये या नहीं अथवा उनका मत यह है कि उन्हें प्रगट करना लोक हित में नहीं होगा क्योंकि अन्यथा वे सभा को बतायें जाने चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : श्रीमन, मैं आपके विनिर्णय को मानता हूं। किन्तु मेरे प्रश्न का पहला भाग तो केवल यह है कि क्या कुछ ऐसे भी उदाहरण हुये हैं जहां कि लोग अपने पद स्थानों को बिना किन्हीं

---

†मूल अंग्रेजी में

आदेशों के छोड़ कर भाग गये हों। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्न इसमें नहीं आता।

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय को इस प्रश्न की सूचना एक महीने पेश्तर मिल चुकी थी और उस वक्त उनको यह कहने का अधिकार था कि मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद को दूंगा। लेकिन आज उत्तर देते समय उनका यह कहना कहां तक सत्यपूर्ण है कि उनके पास सूचना नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत बहस हो चुकी है।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : मैं यह जानना चाहती हूं कि जब तक जांच समिति की उपपत्तियां प्राप्त नहीं होती तब तक उन आशंकाओं, संदेहों अथवा भयों को दूर करने के लिये जिनका कि हमारी सशस्त्र सेनाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है क्या कार्यवाही तुरन्त की गई है, क्योंकि, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि अभी जबकि यह जांच हो रही है बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई हैं। मेरा विचार है कि सरकार इन अफवाहों को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही तुरन्त करने का विचार करेगी।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जब तक मुझे यह न ज्ञात हो कि वे अफवाहें क्या हैं तब तक मैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर सकता हूं।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : सभी प्रकार की अफवाहें उड़ रहीं हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार क्या कार्यवाही तुरन्त करने वाली है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि जांच हो रही है और लोगों को कुछ शिकायतें हैं कि कर्तव्य के प्रति कुछ अवहेलनायें की गई थीं, इसलिये क्या सरकार ने उस जांच से अलग किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : अवश्य ही, श्रीमन्; जब कभी सरकार के ध्यान में कोई व्यक्तिगत मामले आये हैं तभी उनके सम्बन्ध में सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है।

श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि एनक्वायरी स्टार्ट होने के बाद से अब तक कितने विटनेसेज को एग्जामिन किया गया है .....

अध्यक्ष महोदय: इतने डिटेल्स में नहीं जाया जा सकता कि कितने विटनेसेज एग्जामिन हुये और किसने क्या कहा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या हम कम से कम यह जान सकते हैं कि क्या यह जांच बिल्कुल घरेलू रूप की होगी अर्थात यह सशस्त्र सेनाओं के हमारे अपने कर्मचारियों तक ही सीमित होगी अथवा अमरीकी और ब्रिटेश विशेषज्ञों के विचार भी लिये जायेंगे ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मेरा विचार है कि यह हमारी अपनी ही जांच है ; यह अन्य किसी से परामर्श लेने का प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि जनरल कौल की लाग बुक गायब है या नहीं। क्या एनक्वायरी से इसका पता चला है ?

अध्यक्ष महोदय: आपका सवाल क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह: एक लाग बुक होती है जिसमें जो आर्डर दिये जाते हैं, वे लिखे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जनरल कौल की वह लाग बुक मौजूद है या गायब हो गयी है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** श्रीमन्, कोई नाम नहीं लिये जाने चाहियें।

श्री मुत्याल राव : इस सवाल का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह कहना तो मिनिस्टर का प्रिविलेज है, आप कैसे बोलने लगे।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** श्रीमन, मैं इस प्रश्न को सुन कर विस्मित हुआ क्योंकि हमने लाग बुक के न होने अथवा उसके खोने के सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत अथवा संदेह भी नहीं सुना।

कोलम्बो में चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार

†*४३२. **श्री रा० गि० दुबे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बों में चीनी दूतावास ने एक ऐसी पुस्तिका निकाली है जिसमें भारत तथा उसके प्रधान मंत्री को बदनाम किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कथित पुस्तक के प्रकाशन द्वारा राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी, हां। श्रीलंका में चीनी दूतावास ने हाल ही में "मोर आन नेहरूज फिलासफी" शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त ने चीनी दूतावास द्वारा इस पुस्तिका के प्रकाशन में अन्तर्निहित राजनयिक शिष्टाचार के उल्लंघन की ओर तुरन्त ही श्रीलंका की सरकार का ध्यान खींचा था। इस पुस्तिका के प्रकाशन और वितरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार को जो कोई आकुलता हुई उसके लिये श्रीलंका की सरकार ने अपना खेद प्रगट किया है।

†**श्री रा० गि० दुबे :** इस पुस्तिका की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और वह भारत को किस प्रकार हानि पहुंचा रही हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह:** श्रीमन्, सारी पुस्तिका के ब्योरे बताना मेरे लिये कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय:** अन्यथा भी, हम नहीं चाहते कि वे प्रकाशित हों और लोग उन्हें जानें, हमें उनके लिये यहां क्यों पूछना चाहिये ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** क्या श्री लंका की सरकार ने इस पुस्तिका के प्रकाशन को रोकने के लिये आगे कोई और कदम उठाये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह :** श्रीलंका की सरकार ने यह बात सम्बंधित राजनयिक दूतमण्डल के ध्यान में लाई है और प्रार्थना की है .....

†**अध्यक्ष महोदय:** ऐसा कदम उठाया जा सकता है, अर्थात् परिचलन रोक दिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिनेश सिंह: मैं यही बात कह रहा था। उन्होंने सम्बन्धित राजनयिक दूतमण्डल को सूचित किया है कि इस प्रकार की पुस्तिकायें परिचालित नहीं की जानी चाहियें।

†अध्यक्ष महोदय: श्री तिरुमल राव।

†श्री तिरुमल राव: मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है।

†श्री हेम बरुआ: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह पुस्तिका, अर्थात् "मोर आन मिस्टर नेहरूज़ फ़िलासफ़ी", एक बेहूदी तथा अपमानित पुस्तिका है, क्या श्रीलंका की सरकार से यह मालूम कर लिया गया है कि उन्होंने इस पुस्तिका के केवल परिचालन को ही नहीं बन्द कर दिया है अपितु उन्होंने सम्बन्धित दल से यह भी कहा है कि वह श्रीलंका के उन स्थानों से इस पुस्तिका को वापस ले ले जहां कि वह परिचालित की गई थी?

†श्री दिनेश सिंह: वह अनेक लोगों को भेजी गई थी। आप इसे उन अनेक लोगों से किस प्रकार वापस ले सकते हैं जिन्हें कि यह पुस्तिका भेजी गई थी? यह कठिन है।

†श्री दाजी: क्या सरकार ने एक प्रतिरोधी पुस्तिका निकालने और उस पुस्तिका में एक प्रतिरोधी तर्क देने तथा उसे श्रीलंका में परिचलित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं?

†श्री दिनेश सिंह: पुस्तिका इतनी अपभाषित है कि उसका खण्डन करने वाली एक पुस्तिका निकालना बहुत कठिन है तथा अधिक वांछनीय नहीं है, परन्तु हमने जो पुस्तिका निकाली है उसमें वे सब बातें आ गई हैं जो कि चीनी पुस्तिका में कही गई हैं।

विश्वविद्यालयों में प्रतिरक्षा विज्ञानों का उच्च पाठ्यक्रम

+

†*४३३. { **श्री हरि विष्णु कामत:**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:
श्री यशपाल सिंह: }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के किसी विश्वविद्यालय में प्रतिरक्षा विज्ञानों और युद्धकला सम्बन्धी कोई उच्च पाठ्य-क्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं यह और बता दूं कि उन विश्वविद्यालयों तथा कुछ प्राविधिक संस्थाओं को, जो कि इन समस्याओं के सम्बन्ध में ऐसे अनुसन्धान करते हैं जो कि प्रतिरक्षा के लिये भारी महत्व के हैं, सहायक अनुदान देने की एक योजना है।

†श्री हरि विष्णु कामत: पहले भाग का उत्तर है "जी नहीं" और फिर वह कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे भिन्न ही उत्तर बनता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** इसीलिये बाद के उत्तर को ठीक माना जाना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आपके मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद । क्योंकि आधुनिक युद्धकला शरीर से अधिक बुद्धि का मामला है और नेफ़ा में हाल की भगदड़ के पश्चात्, क्या सरकार .....

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री को इन बातों का उत्तर देना होगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** उस पृष्ट भमि के बिना प्रश्न स्पष्ट ही नहीं होगा । क्या सरकार ने इस मामले पर पर्याप्त और गंभीर विचार किया है और देश के कम से कम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में तो प्रतिरक्षा विज्ञान के उच्च पाठ्यक्रम खोलने का निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री रघुरामैया :** हैदराबाद में एक 'स्कूल आफ़ लैण्ड एण्ड एयर वारफ़ैयर' है जहां अधिकारियों को युद्धकला में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या या तो सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को अथवा अन्य सक्षम व्यक्तियों को विदेशी मित्र राष्ट्रों में सैनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिये भेजने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री रघुरामैया :** कभी कभी हमारे अधिकारीगण राष्ट्रमंडल सम्मेलनों तथा खेलकूदों में भाग लेते हैं जहां अन्य योग्य अधिकारियों से उनका संपर्क होता है । यह सम्पर्क अभी तक बनाकर रक्खे जा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका विशेष प्रश्न यह था कि हमारे लोगों को, नवयुवकों को, इन विदेशों में उच्च विज्ञान विषयों का अध्ययन करने के लिये भेजने का कोई प्रस्ताव है ।

†**श्री रघुरामैया :** यदि यह वैज्ञानिक विषयों में आगे अध्ययन करने का प्रश्न है, तो हम अपने वैज्ञानिकों को उच्च पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये विभिन्न देशों में भेजते हैं ।

†**श्री दाजी :** क्या किन्हीं विश्वविद्यालयों ने इस योजना के लिये अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है और यदि हां, तो कितनों ने ?

†**श्री रघुरामैया :** लगभग बीस विश्वविद्यालयों आदि ने हमें उत्तर दिये हैं और हम अनेक योजनाओं की जांच कर रहे हैं । परन्तु वास्तव में हमने दो विश्वविद्यालयों को कुछ समस्यायें पहले ही सौंप दी हैं, पहला रुड़की विश्वविद्यालय है तथा दूसरा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता है कि इसी आदरणीय सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने २२ फ़रवरी को क्वेस्टियन-आवर में यह माना था कि हमारे पास इतनी राइफ़लें नहीं हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग दे सकें ? यदि हां, तो वह कमी किस हद तक पूरी हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : वह तो अलाहदा सवाल है।

†**डा० क० ला० राव** : क्या हमारे कुछ प्रतिभाशाली अधिकारी विदेश भेजे गये हैं ताकि जब वे वापस आयें तो उपयोगी सिद्ध हों और इसी प्रकार के पाठ्यक्रम भारतीय विश्व-विद्यालयों में खोले जा सकें।

†**श्री रघुरामैया** : मैंने पहले ही बताया है कि हमारे कुछ वैज्ञानिक विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं और प्रशिक्षक अध्ययन कर रहे हैं।

रूस से हेलीकोप्टर

†*४३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी सीमा पर प्रतिरक्षा संभरण बनाये रखने के लिए रूस से और अधिक हेलीकोप्टर खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने हेलीकोप्टर खरीदने का विचार है ; और

(ग) आजकल प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० रा० चह्वाण)** : (क) कुछ हेलीकोप्टर्स खरीदने के लिये रूसी प्राधिकारियों को हाल ही में आदेश दिये गये हैं।

(ख) संख्या तथा अन्य ब्यौरा बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हेलीकोप्टर्स की संख्या में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? क्या भारत के किसी कारखाने में हम हेलीकोप्टर्स का निर्माण कर रहे हैं।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : अलाउट्टे हेलीकोप्टर का निर्माण करने की हमारी एक योजना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किस समय तक हमारे पूर्ण सुसज्जित हेलीकोप्टर्स हवा में उड़ने लगेंगे ?

†**श्री रघुरामैया**: हम एक फ्रांसीसी सार्थ से समझौता वार्ता कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि इसमें कुछ समय लगेगा। अभी इसी समय निश्चित तिथि बताना मेरे लिये बहुत कठिन है।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : यह रूसी हेलीकोप्टर ऐसा ही है जैसा कि एक एम० आई० ४ है जिसे लद्दाख में विवश होकर नीचे उतरना पड़ा था। क्योंकि अपेक्षित ऊंचाई पर वह नहीं जा सका।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : मेरा विचार है कि यह वैसा ही है। परन्तु एक अकेली दुर्घटना के आधार पर ही अन्तिम निष्कर्ष निकाल लेना ठीक नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :** क्या हेलीकोप्टर ए० एन० १२ को निर्माण करने का सोवियत संघ का कोई प्रस्ताव प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास है ?

†**श्री रघुरामैया :** जी, नहीं। ए० एन० १२ हेलीकोप्टर नहीं है।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :** मैं नहीं समझ सका; क्या कोई प्रस्ताव था और उसे रद्द कर दिया गया अथवा कोई प्रस्ताव ही नहीं था ?

†**श्री रघुरामैया :** मैंने कहा था कि ए० एन० १२ एक हेलीकोप्टर नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच नहीं है कि अलाउड हेलीकोप्टर, जिसका किसी नई योजना के अधीन उत्पादन करने का प्रस्ताव है, नौसेना की वायु टुकड़ी के प्रयोग के लिये है और उत्तरी सीमा प्रदेशों में ऊंची उड़ान भरने के लिये नहीं ?

†**श्री रघुरामैया :** प्रत्येक हेलीकोप्टर की अपनी अपनी अलग विशेषतायें होती है। इस मामले में, मैं यह नहीं समझता कि यह केवल समुद्री युद्ध के लिये ही है।

श्री भक्त दर्शन : इस बात में कहां तक तथ्य है कि अब तक विदेशों से जो हैलीकोप्टर आए हैं, वे बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, जिस की वजह से वे निष्फल हो जाते हैं ? रूस सरकार से जो बातचीत की जा रही है, क्या उस में इस बात का ध्यान रखा जायेगा है कि वहां से ऐसे हेलीकाप्टर मंगाए जायें, जो कि सत्रह, अठारह बीस हजार फीट तक उड़ान कर सकें ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** यह सच नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि सारे ही हैलीकोप्टर्स उस ऊंचाई तक जाते हैं। यह कहना सही नहीं है कि ये किसी काम के नहीं हैं।

बाल फिल्म संस्था

***४३५. श्री विभूति मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल फिल्म संस्था की कार्यकारिणी परिषद् ने उन तीन सरकारी अधिकारियों द्वारा पेश की गई उस रिपोर्ट की जांच कर ली है जो उन्होंने समिति के विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) बाल फिल्म संस्था की कार्यकारिणी परिषद् ने सरकारी अधिकारियों की रिपोर्टों पर विचार कर लिया है।

(ख) इस विचार के अनुसार कार्रवाई संस्था की कार्यकारिणी परिषद् को करनी है और यह मालूम हुआ है कि कार्रवाई की जा रही है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन रिपोर्टों की मुख्य मुख्य बातें कौन सी हैं और उन पर किस तरह से अमल किया जायेगा।

श्री शाम नाथ : अधिकारियों ने जो रिपोर्टस दी हैं, उससे मालूम होता है कि एक तो जो एकाउंट्स वगैरह रखने के तरीके थे, उनमें बहुत कमियां थीं और स्टाक रजिस्टर तथा लैजर्ज वगैरह

†मूल अंग्रेजी में

की ठीक तरीक़े से नहीं रखे गए थे। इसके अलावा जेनरेल सेक्रेटरी साहब की जितनी पावर्ज़ थीं, वह उन से ज्यादा पावर्ज़ इस्तेमाल करते थे।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि लेखे में जो गड़बड़ हुई, उसमें कितने रुपये के गोल-माल का अन्दाज़ा लगाया गया है ?

श्री शामनाथ : यह कहना तो बड़ा मुश्किल है कि उस बेकायदगी की वजह से कितना नुक्सान हुआ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बाल फिल्म संस्था की कार्यकारिणी समिति ही संस्था की अव्यवस्था के लिये उत्तरदायी थी और क्या इस संस्था के लिये इस कार्यकारिणी को हटा कर दूसरी कार्यकारिणी बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री शामनाथ** : यह कहना तो बहुत कठिन है कि कार्यकारिणी परिषद् ही इन सब अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी थी। परन्तु, उन्होंने उन प्रतिवेदनों पर विचार किया है जो हमारे अधिकारियों ने उन्हें दिये हैं। अब हम यह देखेंगे कि अधिकारियों के प्रतिवेदन पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही कहां तक संतोषजनक है।

मौजम्बीक से भारतीयों का वापस आना

+

†*४३६. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदीश सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री द्वारका दास मंत्री :

†मूल अंग्रेजी में

श्री पु० र० पटेल :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री गो० महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री उटियां :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली बस्ती मौजम्बीक से कितने भारतीय राष्ट्रजन भारत पहुंच गये हैं और कितने और आयेंगे ; और

(ख) क्या यह सच है कि मौजम्बीक में भारतीयों की सभी आस्तियां जब्त कर ली गई हैं और वापस आने वालों को जेब-खर्च के लिए थोड़े से धन के अलावा और धन लाने की अनुमति नहीं दी गई ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) मौजम्बीक से लगभग २३०० व्यक्ति भारत पहुंच गये हैं । अभी वहां लगभग ३०० व्यक्ति रह गये हैं और उनके अप्रैल में भारत पहुंचने की सम्भावना है ।

(ख) जी, हां । भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पत्तियां तथा आस्तियां अब भी जब्त की जा रही हैं । भारत सरकार तथा पुर्तगाल के बीच जो करार हुआ था उसमें यह परिकल्पित था कि भारतीय राष्ट्रजनों को उनकी आस्तियां, उनकी सम्पत्तियों की बिक्री का मूल्य तथा प्रति व्यक्ति २०० (स्टर्लिंग) पौंड तक भारत वापस लाने की अनुमति दी जायेगी । पुर्तगाली अधिकारियों ने करार को क्रियान्वित नहीं किया है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : उन जब्त की गई आस्तियों को छुड़ाने तथा उनके लिये प्रतिकर वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हम इस प्रयोजन के लिये पुर्तगाली सरकार पर संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के माध्यम से दबाव डाल रहे हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह भारतीय निवासी वहां बराबर कई पीढ़ियों से रह रहे थे, क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ से यह कहेगी कि वह पुर्तगाल को उनके साथ मानवोचित व्यवहार करने के लिये तथा न्याय करने के लिये प्रेरित करे ।

†**श्री दिनेश सिंह** : इस समय हम इस मामले पर संयुक्त अरब गणराज्य सरकार द्वारा बातचीत कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने अभी यह बताया है कि अभी लगभग ३०० भारतीय स्वदेश वापस लौटने हैं। क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से भारतीय हैं जो कि स्वदेश वापस आने के लिये टिकिट नहीं खरीद सके, और यदि हां, तो सरकार टिकिट खरीदने में उनकी सहायता करने के लिये क्या कदम उठा रही है।

†**श्री दिनेश सिंह** : क्योंकि पुर्तगालियों ने आस्तियां जब्त कर ली हैं, कुछ लोगों को टिकिट खरीदना कठिन हो गया और उन मामलों में हम टिकिट खरीदने में उनकी सहायता करते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या भारतीयों के वे बच्चे जो कि वहां पैदा हुए थे पुर्तगाली सरकार द्वारा छीन लिये गये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मेरा बिचार है कि वे छीने नहीं गये। प्रश्न तो यह उठा कि क्या पुर्तगाली उन्हें पुर्तगाली राष्ट्रीयता दे सकेंगे अथवा नहीं, क्योंकि जो आज्ञप्ति उन्होंने जारी की है, अर्थात् आज्ञप्ति संख्या ४४४१६, उसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल में पैदा हुए बच्चों को पुर्तगाली राष्ट्रीयता देने को मना किया है। बाद में पुर्तगाली सरकार के डिप्लोमा द्वारा उनको पुर्तगाली राष्ट्रीयता दे दी गई परन्तु यदि उनके माता पिता वापस आ रहे हैं तो बच्चे भी वापस आ रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह तथ्य है कि जो भारतीय निवासी मुज़ाम्बीक से आए हैं, उन्होंने बताया है कि उन के प्रति बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया गया था ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, उन को जब वहां पर इंटर्नमैंट में रखा था तब बर्ताव उन के साथ अच्छा नहीं किया गया था।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या स्थावर सम्पत्ति के लिये किसी प्रतिकर की भी मांग की गई है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी हां, स्थावर सम्पत्ति ही तो जब्त कर ली गई है और हम उसे छोड़ देने के लिये कह रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था कि इन शरणार्थियों में से कुछ ने इस आधार पर कि गोआ में भारतीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप ही उन्हें निकाला गया है, उस सम्पत्ति के लिये जो कि वे पुर्तगाल में छोड़ आये हैं भारत सरकार से प्रतिकर मांगा है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मुझे यह ज्ञात नहीं कि ऐसा कोई प्रतिकर मांगा गया था। यह हमारे ध्यान में लाया गया था और हम से पुर्तगाली सरकार पर दबाव डालने की प्रार्थना की गई थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या किन्हीं स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों से भारत सरकार को उनके इस देश में पुनर्वास में सहायता करने के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां; और इस मामले पर गुजरात सरकार के साथ चर्चा की जा रही है जिस राज्य के कि यह अधिकांश व्यक्ति हैं।

श्री बड़े : क्या प्रापर्टी का कोई इबैल्यूएशन हुआ है और क्या यह सच है कि तीन करोड़ की प्रापर्टी है ? जो बच्चे हैं, उनके बारे में आप के पास क्या कोई फिगर हैं, कि कितना उनका नम्बर है। प्रेस में यह छपा था कि काफी बच्चे वे वहां छोड़ आए हैं तथा तीन करोड़ की प्रापर्टी उनकी वहां थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिनेश सिंह : बच्चों को लाने न दिया गया हो या कोई तकलीफ की बात हुई हो, ऐसी बात हमारे नोटिस में नहीं आई है । जो वहां से आए हैं, उन्होंने जो तखमीना दिया है, उसके हिसाब से प्रापर्टी तीन करोड़ से बहुत ज्यादा है, कोई सात करोड़ के करीब है ।

†श्री हेम बरुआ : श्रीमती सावित्री निगम के प्रश्न से एक प्रश्न उठाकर, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि मोजाम्बीक से स्वदेश वापस भेजे हुए इन भारतीय राष्ट्र-जनों में से कुछ को उनके बच्चों से अलग कर दिया गया है जो बच्चे कि पुर्तगाली विधियों के अनुसार पुर्तगाली बच्चे हैं, और यदि हां, तो क्या समस्या का यह पहलू पुर्तगाल सरकार के ध्यान में लाया गया है और उसका उपाय खोजा गया है ?

†श्री दिनेश सिंह : "बच्चा" शब्द एक सामान्य शब्द है, बच्चा २५ वर्ष का भी हो सकता है अथवा यह छोटा बच्चा भी हो सकता है । हमें कोई ऐसा मामला मालूम नहीं हुआ है जिसमें पुर्तगालियों ने बलपूर्वक बच्चों को रख लिया हो ।

†श्री हेम बरुआ : क्या कृपया आप जांच करेंगे ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुजाम्बीक से जो लोग लौट कर आये हैं और उन्होंने जो अपनी परेशानियों का विवरण दिया है, उसमें क्या उन्होंने कुछ उपाय भी इस प्रकार के सरकार को सजैस्ट किये हैं कि इस प्रकार के उपाय यदि काम में लाये जायें तो यह कठिनाई जल्दी दूर हो सकती है, यदि हां, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : कोई खास उपाय तो उन्होंने नहीं बताये हैं । यह उन्होंने कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिये पुर्तगाल सरकार से ताकि यह मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाए ।

चीनियों के द्वारा सामान का लौटाया जाना

†*४३७. { **श्री भक्त दर्शन**:
{ **+श्री भागवत झा आजाद** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनियों ने दरांग जोंग में एक भारतीय असैनिक दस्ते को भारतीय सैनिक सामान लौटाये जाने के अवसर पर फिल्म ले लिया था ; और

(ख) क्या भारतीय असैनिक दस्ते ने उसका फिल्म बनाये जाने पर आपत्ति की थी ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) दस्ते की इच्छाओं के विरुद्ध ही फिल्म लिया गया था ।

श्री भक्त दर्शन : दरांग ज़ोंग में चीनी अधिकारियों ने हमारे असैनिक कर्मचारियों को जो सामान दिया है, यह कहा जाता है कि वह बिल्कुल बेकार था । तब फिर चीनी अधिकारियों द्वारा उसका फिल्म लिये जाने का क्या कारण था ?

श्री दिनेश सिंह : ज़ाहिर है कि उन्होंने प्रापेगंडा के लिए यह फिल्म खींचा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बतलाने की कृपा की जाएगी कि किस तरह का वह सामान था जो उन्होंने वापिस किया है ? उसका क्या मूल्य था और कितना सामान अब भारतीय सेना के उपयोग में आ गया है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यहां कुछ जिक्र किया था । मैं इस वक्त उसकी डिटेल्ज़ नहीं दे सकता हूं । ज्यादा तर उस में स्माल आर्म्स थे और कुछ बड़े भी थे । ज्यादातर जैसा कि कहा गया है अच्छी हालत में नहीं थे, अनसर्विसेबल थे ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार यह मानती है कि प्राचीन सैनिक रीतियों के अनुसार आयुधों की ऐसी डिलीवरीज़ शत्रु से तब तक नहीं ली जाती जब तक कि वह सन्धि अथवा विराम सन्धि की किन्हीं शर्तों के अनुसार न हों ? सरकार ने इस ढंग में शत्रु को आयुधों को वापस लेने के लिये अपने लोगों को अनुमति किस प्रकार दी ?

†**श्री दिनेश सिंह :** यह सैनिक सामान शत्रु ने एक ही स्थान पर एकत्रित कर रखा था । यदि हमने उसे नहीं लिया होता तो वह गलत हाथों में वितरित कर दिया गया होता और उसका दुरुपयोग हो गया होता । हमने केवल उस पर अधिकार किया ताकि उसका दुरुपयोग न हो ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** हमारे सेना के प्राधिकारी इन हथियारों आदि को वापस लेने को क्यों सहमत हो गये जब यह स्पष्ट था कि यह चीनियों द्वारा केवल प्रोपैगण्डा करने के उद्देश्यों से ही किया जा रहा है और हमको केवल जंग लगे आयुध आदि लौटाये जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बता दिया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वापस जाते हुए चीनियों के स्थानीय आदिम जाति के लोगों के साथ भाई चारे के व्यवहार के दृश्यों के चित्र कुछ भारतीय पत्रिकाओं और साप्ताहिक पत्रिकाओं में निकले हैं ? यदि हां, तो क्या वे प्रैस इनफारमेशन ब्यूरो अथवा अन्य किसी सरकारी अभिकरण द्वारा उनको दिये गये थे ?

†**श्री दिनेश सिंह :** क्या माननीय सदस्य यह अर्थ लगा रहे हैं कि हमने यह चित्र दिये थे ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** चीनियों के स्थानीय आदिम जाति के लोगों के साथ भाई चारे के व्यवहार के चित्र, जब कि वे उस क्षेत्र से जा रहे थे, भारतीय पत्रिकाओं, में सचित्र साप्ताहिक पत्रिकाओं में और सचित्र-पत्रिकाओं में निकले हैं । यदि सरकार ने यह चित्र प्रकाशन के लिए दिये हैं तो उसने ऐसा क्यों किया है ? इसका लोगों पर भयंकर प्रभाव पड़ा है । लोग वहां प्रसन्न, हंसते हुए, मुस्कराते हुए तथा चीनियों से हंसी ठट्ठा करते हुए दिखाये गये हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** लड़कियों के साथ नाचते हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने एक प्रश्न पूछा है । परन्तु वह यहां संगत नहीं है । यह प्रश्न तो अस्त्र शस्त्र को वापस करने के सम्बन्ध में है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह तो फिल्म लेने के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सैनिक सामान को वापस लौटाये जाने की फिल्म लेने के बारे में ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** लगभग उसी समय अन्य चित्र भी लिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : श्री रामेश्वरानन्द ।

†श्री हरि विष्णु कामत : इसका उत्तर दे दिया जाय ।

†अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह सुसंगत नहीं है ।

†श्री त्यागी : किसके आदेशों के अधीन यह सैनिक सामान वापस लिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं ने श्री त्यागी को प्रश्न पूछने के लिये अनुमति नहीं दी थी । मैंने श्री रामेश्वरानन्द से प्रश्न पूछने के लिये कहा है ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में चीन से उसके कितने सैनिक आ चुके हैं और शेष अभी कितने आने हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है ।

†श्री त्यागी : यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया था ? समय निश्चित किया गया था और वापस लेने के लिये दस्ते का निश्चय किया गया था और ऐसी सब बातें थीं । यह निश्चय किया गया था कि कितने लोग सामान वापस लेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस स्तर पर यह निर्णय लिया गया था ?

†श्री दिनेश सिंह : निर्णय सरकार का है । यह कहना कठिन है कि यह किस स्तर पर लिया गया था ।

†श्री हेम बरुआ: इस भारतीय सैनिक सामान को चीनियों से वापस लेने के लिये एक असैनिक दस्ता ही क्यों दरांग जोंग भेजा गया था ? क्या यह इसलिये था क्योंकि चीनी यह नहीं चाहते कि नेफ़ा में किसी भी स्थान पर हमारे सैनिक कर्मचारी हों ?

†श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने बताया था, इसे वापस लेने में सारी बात यह देखना था कि यह सामान किन्हीं गलत हाथों में न चला जाय । हमारे अधिकारी वहां जा रहे थे . . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : वह यह कह रहे हैं कि हमारे असैनिक व्यक्ति वहां उस सामान को लेने गये । इसका क्या कारण है कि सेना ने यह सामान वापस नहीं लिया और केवल असैनिक लोग वहां गये ?

†श्री त्यागी : क्या यह सहायता के रूप में लिया गया था ? क्या यह सहायता थी ?

†श्री दिनेश सिंह : क्योंकि हम वहां असैनिक प्रशासन का विस्तार कर रहे थे और लोग वहां जा रहे थे, हमने सोचा था कि वही उसे वापस लेने के लिये सर्वोत्तम लोग थे ।

औद्योगिक इकाइयों का बन्द किया जाना

+

†४३८. { श्री वाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात की घोषणा के बाद सरकार को औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने या उत्पादन कम किये जाने के कितने मामलों की सूचना मिली ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं और उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) और (ख). श्रम और रोजगार मंत्रालय को २९ मामलों की सूचना मिली है । प्रत्येक जांच की गई थी और जहां उचित समझा गया वहां संबंधित मंत्रालय या राज्य सरकारों के साथ उन पर बातचीत की गई । कुछ मामलों में प्रयासों का प्रभावशाली परिणाम रहा जब कि कुछ मामले अभी अनिश्चित पड़े हैं । कुछ मामलों के कारणों, जैसे वित्तीय कठिनाई, विद्युत तथा परिवहन का अभाव, कच्चा माल तथा मांग की कमी, आदि के कारण तुरन्त फल पाना संभव नहीं है ।

†**श्री दाजी** : कारखाना बन्दी के इन २९ मामलों से कितने श्रमिक प्रभावित हुए ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री दाजी** : इन २९ मामलों में से, सरकार के प्रयास के परिणामस्वरूप कितने फिर चालू हो गये हैं ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : ग्यारह ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कारखाना बन्दी के इन मामलों में कितनी कोयला की खानें और बन्द हो गई इन कोयला की खानों में से अब भी कितनी खानें बन्द पड़ी हैं या कितनी चालू हो गई हैं ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : इन २९ मामलों में किसी भी कोयला खान के बन्द होने की सूचना नहीं है ।

†**श्री नी० श्री० कान्तन नायर** : क्या इस सूची में चबरा इलमेनाइट खान, जो हाल में बन्द हुई है, शामिल है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या श्रमिक समस्या के कारण इन औद्योगिक परियोजनाओं में से कोई प्रभावित हुई है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : जी नहीं । ये काम बन्द अधिकतर माल के जमा होने, वित्तीय कठिनाइयों, विद्युत् के अभाव, वैगनों के अभाव, पारियों की संख्या कम होने से हुई है ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या मालिकों या किसी राज्य सरकार ने मजदूरों को इन मिलों के बन्द होने के बाद कोई सहायता दी है, यदि नहीं, तो क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है कि मजदूरों को सहायता मिले ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : इन सभी मामलों में, सरकार ने कार्यवाही की है । राज्य से संबंधित मामले राज्यों को भेज दिये गये हैं । कुछ आपातकाल उत्पादन समिति को भेज दिये गये हैं, और इन में बहुत से सौदे तय कर लिये गये हैं और सहायता दे दी गई है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या काम बन्दी होने से पहिले सरकार को बता दिया गया था ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि इन में कोई खानें नहीं हैं। क्या उन्हें विदित नहीं है कि रानीगंज क्षेत्र में दक्षिण केन्दा खानें और मध्य प्रदेश में दो खानें बन्द पड़ी हैं ?

†श्री र० कि० मालवीय : मैं ने यह कहा था कि इन २९ मामलों में, जो सरकार के समक्ष हैं, किसी खान के बन्द होने की सूचना नहीं मिली है।

श्री बेरवा कोटा : उन कमियों के कारण जो फैक्टरियां बन्द हुई हैं उनको चलाने के लिए और उन कमियों को पूरा करने के लिए क्या सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री र० कि० मालवीय : जी हां, कोशिश की गई है और बहुत से कारखाने चालू हो गये हैं और आगे भी कोशिश की जा रही है। थोड़े से केसेज जो पेंडिंग हैं उन के बारे में भी कोशिश की जा रही है और आशा है कि वह चालू हो जायेंगे।

चीनियों की हिरासत में "टस्कर" कर्मचारी

†*४३९. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में चीनियों द्वारा "टस्कर" (सीमा सड़क-संगठन) के कितने ही कर्मचारी बन्दी बना लिये गये हैं; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों को चीनियों ने ढोला से तवांग तक बहुत कम समय में सड़क बनाने के काम में लगाया था ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नेफा में सीमान्त सड़क संगठन के अब तक २१५ कर्मचारियों को युद्धबन्दी बनाया बताया गया है।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या टस्कर संगठन का कोई सड़क निर्माण सामान भी चीनियों के हाथ लगा है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): जी हां।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह कारण सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच की गई है कि इस क्षेत्र में टस्कर संगठन की अपेक्षा चीनी अधिक तेजी से कैसे सड़क बना सके, और यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

†श्री यशवन्तराव चव्हाण : तुलना के इस प्रश्न की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह कथन सच है।

†श्री हेम बरुआ : क्या देश में नजरबन्द चीनियों को चीन जाने की अनुमति देकर सरकार का विचार चीनियों के अधिकार में टस्कर कर्मचारियों तथा युद्ध-बन्दियों की वापसी मांगने का है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दोनों बातों को एक-दूसरे से मिलाना, मैं तनिक भी उचित नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नियोगी समिति का प्रतिवेदन

†*४४०. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोगी समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने और पेश किये जाने में आगे कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन):** (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९७७/६३**]।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** समिति ने राज्य सरकारों से इसके बारे में जानकारी, आंकड़े तथा अन्य जानकारी देने को कहा था; वे ऐसा नहीं कर सके। फिर स्वयं प्रधान मंत्री ने जुलाई, १९६२ में राज्यों को लिखा। प्रतीत होता है कि फिर भी राज्य सरकारों ने अपेक्षित जानकारी नहीं दी। क्या सर्वप्रथम मैं यह समझूं कि प्रधान मंत्री की याचिका राज्यों में और इस आपातकाल में भी कोई महत्व नहीं रखती . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह प्रश्न पूछेंगे ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या प्रधान मंत्री के लिखने के बाद समिति को जानकारी प्राप्त हो गई है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह स्वयं कहते हैं कि विवरण से प्रतीत होता है कि जानकारी नहीं आई है।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** इस में उल्लेख है कि आसाम राज्य को छोड़ कर, समिति सभी राज्य सरकारों के मत लेने गई।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** हम सभी राज्यों से जानकारी एकत्रित कर सके हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है। समिति को वह जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में जाना पड़ा; केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना या निदेश के बावजूद भी राज्यों ने जानकारी नहीं भेजी।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** उल्लेख बहुत ही बड़े प्रश्न का है। इसका सम्बन्ध केवल रेलों तथा सड़क परिवहन से ही नहीं है अपितु परिवहन के अन्य साधनों से भी है। आसाम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने जानकारी दे दी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** विवरण में उल्लेख है कि समिति ने फरवरी, १९६१ या उससे पहिले जानकारी मांगी थी। प्रारम्भिक रिपोर्ट उसी मास में आई थी। क्या मैं यह समझूं कि राज्य सरकारें इतनी नाकारा हैं कि वे समिति छः, सात या आठ महीने बाद भी जानकारी नहीं दे सकीं ? इसके क्या कारण हैं ? नाकारापन या लापरवाही ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अनेक राज्यों के पास पूछी गई जानकारी उपलब्ध न थी। अतः, वास्तव में वे वहां गये और इस जानकारी की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना व्यक्ति लगाया। उन्होंने यह योजना बनाई जिससे पता लग सके कि कितनी गाड़ियां, बैलगाड़ियां, आदि १२ घंटे में एक मार्ग से जाती हैं। उन्होंने केवल जानकारी ही प्राप्त नहीं की अपितु प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था भी करनी पड़ी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री ने विवरण को पूरा नहीं पढ़ा है। इस में उल्लेख है :

> "अनेक राज्य सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी में अब भी कुछ कमी है और उनके साथ बातचीत में जो प्रश्न उठे उन पर और पत्र-व्यवहार होगा।"

जानकारी जब थोड़ी आती है तो अभाव बढ़ते चलते हैं। ये अभाव शीघ्र दूर क्यों नहीं होते ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : निर्देश पदों का ध्यान रखना चाहिये। यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि बैलगाड़ियां तथा अन्य परिवहन, नहर परिवहन, आदि सभी निर्देश पदों में शामिल हैं। अतः वे अभी सारा ब्यौरा देने में असमर्थ हैं। वे उसे एकत्रित कर रहे हैं। हमें यह जानकारी राज्यों से प्राप्त हो रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जवानों के परिवारों के लिये निवास-स्थान

†*४३१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन सेना अधिकारियों को मोर्चे पर भेजा जाता है उन्हें उनके परिवारों के लिए वर्तमान निवास-स्थानों को रखने की अनुमति नहीं दी जाती;

(ख) क्या केवल वरिष्ठ अधिकारी ही ऐसे मकान रख सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख). समर क्षेत्र में भेजे गये सेना अधिकारियों के परिवार भारत में रहने के किसी भी स्थान तक निःशुल्क यात्रा करने के या विकल्प में, यदि स्टेशन कमाण्डर/आवंटन प्राधिकारी अनुमति दे तो काम के पहिले स्थान पर अन्य सेवाओं के लिए प्रचलित सामान्य किराया तथा अन्य व्यय देने पर आवास रखने के अधिकारी हैं। ये रियायत सभी श्रेणियों के अधिकारियों को है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्या में भारतीय व्यापारी

†*४४१. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरि विष्णु कामत .

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्या अफ्रीकन नेशनल यूनियन ने केन्या में भारतीय व्यापार प्रति-

---

†मूल अंग्रेजी में।

ष्ठानों का बहिष्कार करने तथा कुछ सरकारी कर्मचारियों ने केन्या में रहने वाले भारतीयों को एक विशेष प्रकार से मत देने के लिए विवश करने का आन्दोलन चालू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन भारतीय व्यापारियों को ऐसी कार्यवाहियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्

†*४४२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बेरवा कोटा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद का विधान तथा कृत्य क्या है ; और

(ग) इसका गठन किन कारणों से किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) सरकार ने खानों में संरक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् बनाने का निश्चय किया है।

(ख) खानों के महानिरीक्षक परिषद के सभापति होंगे। इसमें खान-मालिकों, मजदूरों, खान प्रबन्धकों तथा खान देख-रेख कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे। इसका कार्य शिक्षा, प्रचार तथा अन्य उपायों से खानों में संरक्षण बढ़ाना होगा।

(ग) आशा है कि परिषद् की कार्यवाही के परिणामस्वरूप खानों में दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा।

टैंकों का निर्माण

†*४४३. **श्री बृजराज सिंह—कोटा**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विकर्स आर्म्स स्ट्रांग' ने एक टैंक का आद्यरूप (प्रोटो टाइप) तैयार किया है जो विशेष रूप से भारतीय दशाओं के लिये उपयुक्त है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ये टैंक अबाड़ी कारखाने में बनाये जायेंगे ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक कारखाने को अनुमानतः क्या लागत होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह जानकारी देना जनहित में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन में भारतीय युद्धबन्दी

†*४४४. { **श्री दे० ब० पुरी:**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनियों से यह जानकारी लेने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं कि क्या उनके पास समय समय पर प्राप्त सूचियों में उल्लिखित बन्दियों के अतिरिक्त भी कुछ भारतीय युद्धबन्दी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अपने कैदियों को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) चीनी रेडक्रास ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को बन्दियों की छठी सूची भेजकर उन्होंने पकड़े गये सभी भारतीय सैनिकों के नाम भेज दिये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक कोई नहीं। रेडक्रास के बार बार प्रार्थना करने पर भी चीनी इस बात पर भी सहमत नहीं हुए है कि रेडक्रास--कर्मचारी बन्दियों से मिल भी लें।

नेफा में असैनिक व्यक्तियों को हुई हानि

†*४४५. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:**
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री विभूति मिश्र:
श्री सोनावने :
श्री गुलसन:
श्री यशपाल सिंह:
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भक्त दर्शन:
श्री भागवत झा आजाद:
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हेम बरुआ:
श्री विद्याचरण शुक्ल:
श्री केप्पन:
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री रिशांग किशिंग:
श्री कजरोलकर:
श्री दे० जी० नायक :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप नेफा में असैनिक व्यक्तियों को अनुमानतः कितनी

---

†मूल अंग्रेजी में।

हानि हुई ; और

(ख) सरकार ने उन व्यक्तियों को जिनको हानि हुई है, यदि कोई सहायता दी है तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) चीनी आक्रमण से नेफा में लगभग छब्बीस लाख और सतासी हजार रु० की सम्पत्ति की हानि होने का अनुमान है।

(ख) सहायता तथा पुनर्वास कार्यों पर नौ लाख और चौव्वन हजार रु० व्यय हुए हैं।

चीनी मजूरी बोर्ड

†*४४६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी चीनी के कारखानों में अब चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कौन से तथा कितने कारखाने हैं जिन्होंने इनको अभी लागू नहीं किया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) से (ग) . १७३ चीनी मिलों में से १६२ ने सिफारिशों को पूर्णतया लागू कर दिया है और ५ ने आंशिक रूप में लागू किया है। बाकी छः के नाम जिन्होंने अभी सिफारिशें लागू नहीं की हैं और ऐसा न करने के क्या कारण हैं, दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू न करने के कारण
बिहार:		
१.	गुरारू चीनी मिल्स, गुरारू (गया)	इस मिल को १९६२ के आरम्भ में राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया था और इसका संचालन अलाभप्रद बताया जाता है। पिछले और वर्तमान प्रबन्ध के दायित्वों का विवरण तैयार किया जा रहा है और राज्य सरकार मजदूरों की मांग को यथा सम्भव पूरा करने का प्रयास कर रही है।
गुजरात:		
२.	श्री खेदूत सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली, लि०, बारडोली।	वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रबन्धकों, ने लागू करने में असमर्थता प्रकट की है। मामले पर आगे कार्यवाही हो रही है।
३.	कोडीनार खांड उद्योग सहकारी मण्डली, लि०, कोडीनार।	
४.	सहकारी खांड उद्योग मण्डली गन्डेवी	

†मूल अंग्रेजी में

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू न करने के कारण
मैसूरः		
५.	हिसायाकेशी सहकारी सक्कारे कारखाने नियमित, सकेश्वर।	पार्टियों में मामले पर वार्ता हो रही है।
६.	मैसूर सुगर कम्पनी लि०, माण्डया	पार्टियां बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतन-क्रम के पुनरीक्षण का प्रश्न पांच व्यक्तियों की समिति को न्याय निर्णय के लिए भेजने पर सहमत हो गई हैं। इस बीच, प्रबन्धकों ने सभी कर्मचारियों को अन्तरिम भुगतान स्वरूप ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक अधिक भुगतान किया है।

*नया मिल

लंका में भारतीय प्रवासी

†*४४७. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बेरवा कोटा :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कोयाः

क्या **प्रधान मंत्री** १२ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में भारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

†*४४८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य नियन्त्रण आदेश के द्वारा गोआ में उपभोक्ता वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि गोआ वाणिज्य मण्डल ने इस आदेश का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या आदेश का निरसन किये जाने की सम्भावना है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख). गोआ प्रशासन ने गोआ, दमन तथा दीव (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, १९६३ जारी किया है जिससे कुछ आयतित तथा स्वदेशी वस्तुओं के विक्रय में लाभ-सीमा निर्धारित कर दी गई है ।

(ग) और (घ) इस बारे में पहिले जारी किये जाने वाले एक आदेश के बारे में गोआ वाणिज्य मण्डल ने आपत्ति की थी । इन तथा अन्य आपत्तियों का ध्यान रख कर गोआ प्रशासन ने वह आदेश जारी नहीं किया । मण्डल के विचारों पर विचार किया गया और ६ मार्च, १९६३ को पुनरीक्षित आदेश जारी किया गया ।

अमरीकी परिवहन विमानों की वापसी

†*४४९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसुमतारी :
श्री बेरवा कोटा :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से अमरीकी परिवहन विमानों के स्क्वाड्रन की वापसी का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह वापसी कब होगी ; और

(ग) यदि कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) से (ग). परिवहन विमान अमरीका से नवम्बर, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में भेजे गये थे कि आगे के क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुएं पहुंचाने में मदद करें । उन्हें वापस बुलाने की तारीख अभी निर्धारित नहीं है ।

पटसन मजूरी बोर्ड

†*४५०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) नहीं ।

(ख) बोर्ड ने जनता की गवाही लेना समाप्त कर लिया है और अब अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप देने के लिये बैठक कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में पंजीबद्ध व्यक्ति

†८०६. **श्री मलाईच्चामी:** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६३ को मद्रास के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्ति (दक्ष तथा अदक्ष) पंजीबद्ध थे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : १,६४,०४६।

'निसान जीप'

†८०७. **श्री प्र० चं० देवभंज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निसान जीप की उत्पादन-लागत क्या है ;

(ख) क्या ये जीपें जनता को उपलब्ध होंगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया** : (क) निसान जीप की उत्पादन-लागत ११,८२० रु० है ।

(ख) और (ग): अभी नहीं । आयुध कारखानों में बनी सारी निसान जीपें आजकल प्रतिरक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिये दी जा रही हैं ।

आंध्र प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीयन

†८०८. **श्री इ० मधुसूदन राव:** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश के अनेक काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्ति (दक्ष तथा अदक्ष) पंजीबद्ध थे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय** : १,१८,२७८

यातायात की आवश्यकतायें

†८१०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आने वाले पन्द्रह वर्षों में देश की यातायात की अनुमानित आवश्यकताएं क्या हैं ; और

(ख) पन्द्रह वर्षों की इस अवधि में इन आवश्यकताओं को किस प्रकार और किस सीमा तक पूरा करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: **(क) और (ख)**. १९७५–७६ तक की अवधि के लिये योजना का काम प्रारंभिक प्रक्रम पर है। तथापि, १९७०–७१ के लिये तीसरी योजना में रेलवे माल यातायात के लिये ३८०० से ४२०० लाख टन तक का अस्थायी लक्ष्य रखा गया है । भविष्य में यातायात की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाये, यह तो सतत अध्ययन का विषय है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

†८११. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् का स्थिति-स्थल क्या है तथा संसद् की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इसके कृत्यों और उत्तरदायित्वों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् को अगस्त, १९५२ में भारत सरकार के एक संकल्प के अधीन स्थापित किया गया था, किसी संविधि के अधीन नहीं। यह एक मंत्रणा देने वाला और पुनर्विलोकन करने वाला निकाय है ।

(ख) ६ अगस्त, १९५२ के सरकारी संकल्प की एक प्रति जिसमें राष्ट्रीय विकास परिषद् के कृत्यों दिये हुये हैं सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० डी० ९७८/६३]** ।

लखनऊ का सैनिक अस्पताल

†८१२. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जानती है कि लखनऊ के सैनिक अस्पतालों में औषधियों के अनियमित संभरण के बारे में एक सामान्य शिकायत रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: लखनऊ में केवल एक ही सैनिक अस्पताल है। इस अस्पताल को औषधियों का संभरण सन्तोषजनक रहा है। इस अस्पताल पर निभर करने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी से औषधियों के दिये जाने के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

भारतीय सेना के भूतपूर्व गोरखा सैनिकों का कल्याण

†८१३. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह**: : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के भूतपूर्व गोरखा सैनिकों के कल्याण की देख भाल के लिये जो सेवा निवृत्त होने के बाद नेपाल में बस गये हैं कोई संयुक्त भारत-नेपाल बोर्ड अथवा समिति है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन का ठीक नाम क्या है और इसके मुख्य कृत्य क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी हां ।

(ख) इस संगठन को कन्द्रीय समन्वय बोर्ड कहा जाता है। इसका कृत्य भारतीय सेना से सेवा-निवृत्त हुये नेपाली अधिवास के भूतपूर्व गोरखा सैनिकों के लिये विभिन्न कल्याण कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये नेपाल युद्धोत्तर सेवायें पुनर्निर्माण कोष का प्रबन्ध करना है जैसे कि निम्नलिखित हैं :—

(१) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां ;

(२) पुस्तकालयों, विश्रामगृहों आदि जैसे सुविधा देने वाले भवनों का निर्माण ;

(३) भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिये स्वास्थ्य सुविधायें, प्रसूति लाभ और चिकित्सकों की नियुक्ति ; और

(४) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये सहकारी दुकानों और सहकारी खेती जैसी वर्ग योजनाओं का आयोजन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

†८१४. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :** क्या **प्रधान मंत्री** ८ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ अक्तूबर, १९६२ को जम्मू के समीप अखनूर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अकारण गोली चलाये जाने के बारे में मुख्य सेना प्रेक्षक ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार से विरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो प्राप्त हुये उत्तर का ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि मुख्य सेना प्रेक्षक ने हमारी शिकायत रद्द कर दी थी इस लिये पाकिस्तान सरकार से विरोध नहीं किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन

†८१५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन की सौवीं बैठक फरवरी, १९६३ के आरम्भ में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कौन से विशेष मामलों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) उसमें क्या सिफारिशें/निर्णय किये गये थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ):** (क) से (ग) . प्रश्न का सम्बन्ध एक ऐसे निकाय से है जो कि भारत सरकार के प्रति मुख्यत: उत्तरदायी नहीं है और इसके कार्यों के साथ सरकार का कोई अधिक सरोकार नहीं है । ऐसा समझा जाता है कि इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के केन्द्रीय कार्यालय ने एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की थी तथा उसे समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया था ।

मिस्र में आबू सिम्बल मन्दिर

†८१६. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यूनेस्को ने मिश्र के ऐतिहासिक आबू सिम्बल मन्दिर की मरम्मत करने और उस बचाये रखने की एक योजना के संकल्प पर विचार किया है ; और

(ख) क्या संकल्प पारित हो गया था तथा उसका परिणाम क्या हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी हां ।

(ख) यूनेस्को की जनरल कान्फ्रेंस में प्रस्ताव के पक्ष में २८ मत और विपक्ष में ३७ मत पड़े, १९ ने मत दान नहीं किया और २९ अनुपस्थित थे । इस लिये प्रस्तावित योजना स्वीकृत नहीं की गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाह-व्यय देशनांक

†८१७. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अक्तूबर, १९६२ की तुलना में १ मार्च, १९६३ को निर्वाह-व्यय देशनांक क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन):** सितम्बर, १९६२, जैसा कि १ अक्तूबर, १९६२ को थे, तथा जनवरी, १९६३, जैसा कि १ फरवरी, १९६३ को थे, के महीनों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक आंकड़े (आधार: १९४९–१००) निम्नलिखित हैं। फरवरी १९६३ के महीने के लिये, जैसी कि १ मार्च, १९६३ को थी, जान कारी अभी उपलब्ध नहीं है।

महीना	खाद्य	सामान्य
सितम्बर १९६२	१३४	१३३
जनवरी १९६३	१३४अ	१३३अ

अ—अस्थायी (बदल सकते हैं)।

सेना में भर्ती

८१८. **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री बाल्मीकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में भर्ती होने वाले जवानों से जाति पूछी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जाति को आधार मान कर बहुत से युवकों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। हो सकता है कोई उम्मीदवार किसी सेना के अंग-कोर विशेष में, उसकी वर्ग-रचना के कारण, भर्ती के लिए ग्राह्य न हो, परंतु वह अन्य सेना के अंगों/कोरों में भर्ती हो सकता है, जिनमें भर्ती के लिए वह ग्राह्य हो।

(ग) धर्म वर्ग तथा उपजाति भर्ती के फार्म में इसलिए दर्ज की जाती हैं कि उपयुक्त वर्गों के वालण्टीयर उन यूनिटों में भेजे जायें, जो एक ही वर्ग से बनी हैं, अथवा जिनकी रचना मिश्रित वर्गों से की गई है।

भारत सेवक समाज

८१९. **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री बासप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को सरकार की ओर से १९६२-६३ में कितनी राशि का अनुदान दिया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत सेवक समाज द्वारा किन वर्गों के लोगों की सेवा की जाती है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या उपाय करती है कि इस धन का दुरुपयोग न होने पाये ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदानों के बारे में वांछित सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९७९/६३]**

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी

†८२०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी ने अपना काम पूरा कर लिया है और खर्च की गई राशि का प्रमाणीकृत लेखा सरकार को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो जिस राशि का उन्होंने दावा किया था क्या उसका शेष भाग उन्हें दे दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने समवाय को दिये गये धन के उचित प्रयोग के बारे में अपने आप को सन्तुष्ट कर लिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां, अभी तक दिये गये धन के बारे में ।

पूर्वी पाकिस्तान-आसाम सीमा का सीमांकन

†८२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा के सीमांकन की प्रगति देखने के लिये इस वर्ष जनवरी में आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों के एक दल ने गारो पहाड़ियां—मेमनसिंह और गोलपाड़ा—रंगपुर सीमाओं का संयुक्त निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(ग) आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमांकन का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां । आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के भूमि आलेख और सर्वेक्षण के निदेशकों ने जनवरी, १९६३ में आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के रंगपुरगोलपाड़ा तथा गारो पहाड़ियां—मेमनसिंह खंडों में हो रहे क्षेत्र सर्वेक्षण के काम का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संयुक्त निरीक्षण का यह लाभ हुआ कि उससे दोनों सर्वेक्षण दलों के बीच कुछ ऐसी कठिनाइयों और गलतफहमियों का समाधान हो गया जिनके कारण सहायक स्तम्भों के जोड़ों में छोटे-छोटे ही आकार के स्तम्भ डालने से सम्बन्धित काम में देर हो रही थी ।

(ग) काम के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि तो नहीं बताई जा सकती परन्तु वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, यदि परिस्थितियां सामान्य रहीं, काम के १९६५ के अन्त तक समाप्त हो जाने की संभावना है ।

आस्ट्रेलिया से पारेषक[1]

†८२२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के पूर्वी एशिया के क्षेत्रों को किये जाने वाले वैदेशिक प्रसारणों की पारेषण शक्ति को बढ़ाने के लिये आस्ट्रेलिया से २५० किलोवाट का एक पारेषक प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस स्थिति में है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तारापोर में आण्विक बिजलीघर

२३८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की नेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के सहयोग के साथ तारापोर, महाराष्ट्र, में एक आण्विक बिजलीघर स्थापित करने के प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़ाहोती पर चीनियों का दावा

†८२४. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन-भारत सीमा के मध्य खंड में बड़ाहोती पर चीनियों के दावों के सम्बन्ध में १७ जनवरी, १९६३ के भारतीय नोट पर चीनियों की क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ख) इस खंड में चीन ने जिस क्षेत्र पर अपना दावा किया है उसकी सीमा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Transmitter.

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) बड़ाहोती के बारे में भारत सरकार के १७ जनवरी, १९६३ के नोट का अभी तक चीन सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) बड़ा होती १$^{1}/_{2}$ वर्ग मील की एक छोटी सी चारागाह है जो लम्बाई में दो मील और चौड़ाई में $^{1}/_{2}$ मील है । तथापि, बड़ाहोती के बारे में चीन सरकार के दावे समय-समय पर बदलते रहे हैं । १९५८ में उन्होंने दावा किया था कि बड़ा होती का क्षेत्र १५० वर्ग किलो मीटर है और १९६० में अधिकारियों की बातचीत में चीन सरकार ने अपना दावा बढ़ा कर ३०० वर्ग मील कर दिया था ।

बेरोजगार प्रविधिक और अप्रविधिक कर्मचारी

†८२५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ के अन्त तक काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध किये गये बेरोजगार प्रविधिक तथा अप्रविधिक कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय):**

प्रविधिक . . .	२,४०,९३२
अप्रविधिक . .	२१,३८,५९८
कुल	२३,७९,५३०

पेंशन पाने वाले सैनिक

†८२६. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन पाने वाले ऐसे सैनिकों की संख्या क्या है जिनकी अस्थायी वृद्धि अप्रैल, १९५८ से बढ़ा दी गई थी और जिन्हें जनवरी, १९६३ के अन्त तक भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) पेंशन पाने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो अभी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण):** (क) ३१ जनवरी, १९६३ तक के अनुसार, जिसकी जानकारी उपलब्ध है, प्रतिरक्षा लेखे (पेंशन) के नियंत्रक, इलाहाबाद, ने विभिन्न श्रेणियों के १,८८,२२३ वैयक्तिक मामलों में अस्थायी रूप से पेंशनों में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी थी । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पेंशन बांटने वाले अधिकारियों ने दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक १,६७,४९९ पेंशन पाने वालों को भुगतान किया था ।

(ख) बढ़ी हुई दरों पर अस्थायी वृद्धि के भुगतान की प्रतीक्षा करने वाले पेंशनरों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है । जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

योल खास में छावनी बोर्ड स्कूल

†८२७. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योल खास के छावनी बोर्ड स्कूल, योल खास, को पंजाब सरकार को सौंप देने के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस पर कोई निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो क्या ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख). सरकार ने इस मामले पर विचार कर लिया है और वर्तमान नीति के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि योल खास के छावनी बोर्ड स्कूल की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिये ।

५०७ आर्मी बेस वर्कशाप

†८२८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५०७ आर्मी बेस वर्कशाप, कनकीनाराह, में फिर से लगाये गये पेंशनयाफ्ता लोगों तथा पेंशन न पाने वाले व्यक्तियों के पुनरीक्षित वेतनक्रमों में वेतन निर्धारण के वैयक्तिक मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) सम्बन्धित ९७ मामलों में से ७१ मामलों में वेतन निर्धारण को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) शे २६ मामलों में सेवा के ब्योरो को सम्बन्धित प्रशासी तथा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा पड़ताल की जा रही है । अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होते ही इन मामलों को भी निपटा दिया जायेगा ।

कोसीपुर गन एण्ड शेल फैक्टरी, डमडम

†८२९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १९ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसीपुर गन एण्ड शेल फैक्टरी (बन्दूक और कारतूस कारखाना) डमडम की डमडम एस्टेट में पहली और दूसरी श्रेणी के क्वार्टरों के निर्माण के लिये योजनाओं को जांच कर ली गई है ; और

(ख) निर्माण के कब आरंभ होने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी हां ।

(ख) १९६३ के अन्त में ।

देहली के लिये वार्षिक योजना

†८३०. **श्री भागवत झा आजाद**
श्री भक्त दर्शन :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ के लिये देहली की २७ करोड़ रुपये की प्रस्तावित वार्षिक योजना में कटौती की जाने वाली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख). देहली प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद १९६३–६४ की वार्षिक योजना के लिये तय की गई व्यय की राशि २५.०८ करोड़ रुपये है।

केरल में रोजगार की स्थिति

†८३१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रोजगार की स्थिति के बारे में केरल सरकार के सांख्यकीय विभाग से केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो केरल में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये इस प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) हां ।

(ख) बेरोजगारी को दूर करने के लिये प्रतिवेदन में कोई सिफारिशें नहीं की गई है ।

(ग) इस प्रतिवेदन पर कार्यवाही करना केरल सरकार का काम है ।

नेफा में तिब्बती शरणार्थी

†८३२. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में तिब्बती शरणार्थियों का आना जारी है ;

(ख) यदि हां, तो नेफा में ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनों को पुनर्वासित कर दिया गया है ; और

(ग) इन शरणार्थियों को विध्वंसक कार्यवाहियों की जांच के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) नेफा होकर भारत में कुछ तिब्बती शरणार्थी अभी भी आ जाते हैं ।

(ख) इस समय अनुमानतः नेफा में ३००० तिब्बती शरणार्थी हैं । लगभग सभी जमीनों अथवा अन्य कार्यों पर बसाये जा रहे हैं ?

(ग) नये सभी आने वालों की पूरी तरह से जांच की जाती है ।

सेना नर्सिंग सेवा

†८३३. **श्री अ० ब० राघवन** :
श्री पोट्टे काट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना नर्सिंग सेवा में कमीशन केवल महिलाओं को ही दिए जाते हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनको नियुक्ति के समय लैफ्टिनेंट का पद दिया जाता है ; और

(ग) यह पद पुरुष नर्सों को पदोन्नति के रूप में न देने के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराय चह्वाण): (क) जी हां ।

(ख) सैनिक नर्सिंग सेवा में कमीशन के लिए अभ्यर्थी के पास ३ से ४ वर्ष का अस्पताल में प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना चाहिए । उसका भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम के अधीन पुरुषों, स्त्रियों, तथा बालक और दाई के रूप में चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा, के रूप में पंजीकरण किया जाना चाहिए । सैनिक नर्सिंग सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा ३२ वर्ष है । इसलिए अभ्यर्थियों को सैनिक नर्सिंग सेवा में शामिल होने के लिए १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए । लैफ्टीनेंट का पद इसलिए निर्धारित किया गया है कि प्रवेश के समय उनकी अधिक आयु तथा प्रशिक्षण अवधि काफी होती है ।

(ग) सैनिक नर्सिंग सेवा स्त्रियों का कोर है जिसके लिए पुरुषों को उपयुक्त नहीं समझा जाता है । सेना में कुछ उपचर्या कार्य उन पुरुष नर्सिंग सहायकों द्वारा कराये जाते हैं जिनको सेना चिकित्सा दल में सैनिक के रूप में भरती किया जाता है तथा सेवा में प्रशिक्षण दिया जाता है । यह व्यक्ति सेना चिकित्सा दल भी अप्रविधिक शाखा में कमीशन पाने के लिए उपयुक्त होते हैं ।

एशिया जनसंख्या सम्मेलन

†८३४. श्री रघुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया जनसंख्या सम्मेलन जो दिल्ली में इकाफे द्वारा की जानी थी, अनिश्चित काल के लिए लम्बित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख) जी नहीं ; सम्मेलन दिसम्बर, १९६३ में अनुसूची के अनुसार होगा । परन्तु यह दिल्ली के बजाये बंगलौर में होगा ।

नागा विद्रोही

†८३५. श्री रिशांग किशिंग :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६२ से नागा विद्रोहियों द्वारा नागालैंड में कितने असैनिक व्यक्ति मारे गये तथा अपहृत हुए; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनके कार्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) अक्तूबर, १९६२ में १५ फरवरी, १९६३ तक विद्रोही नागाओं द्वारा निम्नलिखित असैनिक मारे गये तथा अपहृत किए गए :—

मारे गये	९
अपहृत	२७७

(ख) चीनी आक्रमण के समय सुरक्षा सेनाओं के कम हो जाने पर नागालैंड में और अधिक सशस्त्र पुलिस भेजी गई थी। जी० ओ० सी० नागालैंड द्वारा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही का समन्वय किया गया है। नागालैंड की सरकार हिंसा की कार्यवाही भविष्य में न होने देने के लिए तथा इसका समर्थन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

पाकिस्तान में विद्यमान मन्दिर और गुरुद्वारे

८३६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में जो मन्दिर और गुरुद्वारे रह गये हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी नहीं। मंदिरों और पवित्र-स्थानों से सम्बद्ध भारत-पाकिस्तान सम्मिलित समिति की दूसरी बैठक बुलाने के लिए हमने पाकिस्तान सरकार को फरवरी १९६२, में निमंत्रण दिया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अभी तक हमारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है।

आकाशवाणी से राष्ट्र-गान

८३७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कार्यक्रमों की समाप्ति पर राष्ट्र-गान की धुन बजाये जाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से आरम्भ की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी, हां।

(ख) ३ मार्च, १९६३ से।

हैदराबाद के निकट विमान दुर्घटना

†८३८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु बल का वैम्पायर विमान ११ फरवरी, १९६३ के सवेरे हैदराबाद से ३० मील मेदक जिले में ग्वालापल्लि गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी हां ।

(ख) नियमों के अनुसार दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच न्यायालय का आदेश दिया गया है । जांच न्यायालय की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद पूरे ब्यौरे मालूम होंगे ।

सरदार पटेल के प्रकाशित भाषण

८३९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार पटेल के जो कुछ चुने हुए भाषण छपवाये गये थे क्या अब वे अप्राप्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें फिर से छपवाने की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ये कब तक मिलने लगेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) सरदार पटेल के चुने हुए भाषण दो संस्करणों में प्रकाशित किये गये थे—एक अंग्रेज़ी में और दूसरा हिन्दी में । इनमें से हिन्दी संस्करण की प्रतियां अब भी उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग). पुस्तक को फिर से छपवाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

गोआ का वन पदार्थ

†८४०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ की वन पदार्थ का विदोहन करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी क्रियान्विति के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). १९६२–६६ की अवधि में ४४.४१ लाख रुपये के अनुमानित व्यय से वन विकास की अस्थाई योजना बनाई गई है । योजना में वन सर्वेक्षण तथा सीमांकन, कर्मचारी प्रशिक्षण, संघ राज्य क्षेत्रों में भवन तथा वन सड़क निर्माण तथा युकलिप्टस, काजू, टीक तथा मुलायम लकड़ी के पेड़ लगाना शामिल है । १९६३–६४ के लिए कार्यक्रम बना लिया गया है जिस पर अनुमानतः ८.७८ लाख रुपया व्यय होगा। आशा है कि आगामी तीन वर्षों में पूर्ण हरी, अर्द्ध हरी, टीक के अतिरिक्त गीली, सूखी लकड़ी का विदोहन करने से २५ लाख रुपये के वन पदार्थ मिल जायेंगे ।

एमरजेंसी कमीशन

†८४१. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य सरकार के अधीन किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों ने सेना में एमरजेंसी (आपातकालीन) कमीशन के लिए अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस समय कितने भूतपूर्व एन०सी०सी० के केडट केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन काम कर रहे हैं ; और

(घ) इस राष्ट्रीय आपातकाल के समय उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार १९७ असैनिक सरकारी कर्मचारियों को सिफारिश आरम्भिक चुनाव केन्द्रों द्वारा इण्टरव्यू करने की है । आसाम के अन्य केन्द्रों से असैनिक सरकारी कर्मचारियों के बारे में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । यह बताना सम्भव नहीं है कि आसाम के दोनों केन्द्रों में आवेदन देने वाले असैनिक सरकारी कर्मचारियों में कितने राज्य सरकार के हैं ।

(ग) यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है तथा इसको मालूम करने में जितना परिश्रम होगा उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं निकलेंगे ।

(घ) सरकार ने हाल में हीं अण्डर आफिसर इंस्ट्रक्टर्स तथा सार्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टर्स का एन० सी० सी० में कैडर बनाया है जिसके अधीन भूतपूर्व एन० सी० सी० कैडट जो आगे आयें तथा ठीक हों को नियुक्त किया जाये तथा उनसे एन० सी० सी० में नियमित सेना के निरीक्षकों की कमी पूरी को जायेगी ।

सेवा निवृत्ति

†८४२. **श्री हेमराज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि साठ साल से बड़ी आयु वाले पेंशन वाले तथा साठ साल से बड़ी आयु वाली पेंशन पाने वालों की विधवाओं को मनीआर्डर लेते समय अनियुक्ति तथा विधवा होने का प्रमाणपत्र अपना देना होता है ; और

(ख) क्या सरकार इन शर्तों को उन मामलों में छूट देने का विचार कर रही है जिनमें वह साठ साल से बड़े हो गये हों तथा पुनः नियुक्ति तथा पुनः विवाह करने योग्य न हों ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी हां । उन सभी पेंशन पाने वालों जो साठ साल से बड़े हों को चाहे वह पेंशन मनीआर्डर से ल अथवा अन्यथा, बेकारी अथवा नियुक्ति का ब्यौरा पेंशन लेने से पहले देना होता है ।

कमीशन प्राप्त अफसरों की विधवाओं को प्रमाणपत्र नहीं देना होता है परन्तु विधवा होने की घोषणा के फार्म पर निर्धारित अधिकारी के सामने पेंशन लेने का हस्ताक्षर करना पड़ता है ।

परन्तु अफसर के पद से नीचे पद वाले कर्मचारियों की विधवाओं को दो सैनिक पेंशन पाने वालों अथवा अन्य निर्धारित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित विधवा होने के प्रमाणपत्र देने होते हैं । परन्तु ४० वर्ष से बड़ी आयु की विधवाओं को विधवा होने का प्रमाणपत्र जिस पर अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हीं नहीं देना होता है ।

(ख) ये घोषणायें तथा प्रमाणपत्र के निर्धारित फार्मों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाह्य अन्तरिक्ष के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधि

†८४३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य अन्तरिक्ष की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में सरकारी अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) बाह्य अन्तरिक्ष के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बारे में सरकार ने आरम्भिक अध्ययन कर लिया है। क्योंकि शीघ्रता से प्रविधिक प्रगति नहीं हो रही है इसलिये विधि समस्यायें जो उत्पन्न हों, को बताना सम्भव नहीं है। हमने संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर विवाद में भाग लिया है तथा बाह्य अन्तरिक्ष की खोज से उत्पन्न विधि समस्याओं को अध्ययन के लिए गत वर्ष बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिदायक प्रयोगों सम्बन्धी उपसमिति के हम सदस्य हैं।

सरकार को जानकारी नहीं है कि विश्वविद्यालय में इस समस्या का कोई विशेष अध्ययन किया गया है।

प्रतिरक्षा प्रयत्नों के संबंध में आकाशवाणी से प्रसारण

†८४४. **श्री नम्बियार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए नवम्बर, दिसम्बर, १९६२ तथा जनवरी १९६३ में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा तमिल में प्रसारण के लिए त्रिचिनापल्लि तथा मद्रास रेडियो स्टेशनों की सुविधा का प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कम्युनिस्ट नेताओं, ए० आई० टी० यू० सी० नेताओं को यह सुविधा नहीं दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या जीवनंदम तथा मनाली कंडास्वामी जसे प्रसिद्ध नेताओं से इस बारे में सरकार ने कहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: (क) और (ख) जब आपात की घोषणा की गई थी तब मद्रास तथा त्रिचिनापल्लि के स्टेशनों ने भी आकाशवाणी के अन्य स्टेशनों के समान ही शिक्षा, कला तथा संस्कृति, उद्योग और राजनीति के विद्वानों से आकाशवाणी पर बोलने के लिए कहा गया था। राजनीति में लगे हुए प्रसिद्ध लोगों जिनको मद्रास तथा तिरुचि स्टेशनों पर बुलाया गया था की तालिका नीचे दी जाती है।

कांग्रेस ४७; डी० एम० के० ६; पी० एस० पी० २; तमिल नेशनलिस्ट पार्टी २; तमिल अरासु कड़गम ४; मुस्लिम लीग १; स्वतन्त्र पार्टी १।

(ग) राजनैतिक पार्टियों के नाम से सुविधा की व्यवस्था नहीं थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय पुलिस के कर्मचारी

†८४५. **श्री कोल्ला वेंकय्या :**
श्री बिशनचंद्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** इस वर्ष जनवरी में पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार भारतीय पुलिस कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तियों के बारे में २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह गिरफ्तार व्यक्ति इस बीच मुक्त कर दिए गए हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभी गिरफ्तार व्यक्ति १५ जनवरी, १९६३ को मुक्त कर दिए गए थे तथा भारत लौट आये हैं।

देवली मिलिटरी कैम्प

८४६. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवली मिलीटरी कैम्प के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितने क्वार्टर बनाये जायगे और उसमें से कितनों के निर्माण का काम आरम्भ हो चुका है और कब तक पूरा होने की आशा है ;

(ख) कोटा (राजस्थान) मिलिटरी ट्रेनिंग सेंटर के लिये कितना रुपया मंजूर किया गया है ; और

(ग) यह काम कब तक चालू होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) देवली फौजी छावनी में क्वार्टर बनाने की कोई योजना इस समय नहीं है।

(ख) तथा (ग) .सरकार ने कोटा स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए ७५ लाख रुपये अनुमानित व्यय के आवास की आवश्यकता स्वीकार कर ली है। जरूरी सेवाओं सम्बन्धी काम पहले ही आरम्भ हो गया है।

सेना के लियें नई इमारतें

८४७. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के लिये कुछ राज्यों में इमारतें बनाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में इस काम के लिये चालू वित्तीय वर्ष में बनाई जाने वाली इमारतों हेतु कितना रुपया मंजूर किया गया है ; और

(ग) कोटा, राजस्थान में कितनी सेना रखने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत राजस्थान में ११ लाख रुपये सेना-निर्माण कार्य में व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) यह सूचना देना जन-हित में न होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेकिंग रेडियो पर भारतीय

†८४८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी सरकार द्वारा श्री शर्मा तथा उनकी पत्नी को किस पद पर नियुक्त कर रखा है ; और

(ख) उनका पूर्व जीवन क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख) चीन सरकार से हमारे संबंधों के कारण यह संभव नहीं है कि पेकिंग में हमारा दूतावास अपेक्षित जानकारी हासिल कर सके ।

सीमान्त सड़क विकास बोर्ड

†८४९. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त सड़क विकास बोर्ड में पहले उप-प्रधान था ;

(ख) यदि हां, तो उस पद पर कौन था ;

(ग) क्या पद को समाप्त कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से तथा उससे कारण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) सीमान्त सड़क विकास बोर्ड में पहले उप-प्रधान था ।

(ख) भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन इसके उप-प्रधान थे ।

(ग) से (ङ). १२ दिसम्बर, १९६२ को बोर्ड के विधान का संशोधन किया गया था तथा बोर्ड के संशोधित विधान में उप-प्रधान की व्यवस्था नहीं है । यह सुविधाजनक है कि बोर्ड के प्रधान (प्रधान मंत्री) अलग से उप-प्रधान रखने के बजाये किसी सदस्य का नाम निर्देशन करें जो विशिष्ट मामलों पर ध्यान दे । बोर्ड के प्रक्रिया नियमों का तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

कोयला खनन उद्योग में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध

†८५०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती जमुना देवी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ ने भारत के कोयला खनन उद्योग में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच स्वस्थ सम्बन्धों के लिए एक छः सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना के सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : कोयले की खानों में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिये भारतीय राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ ने १९६२ के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में छः सुझाव दिये हैं ।

(ख) जहां कहीं भी सम्भव है, इन सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है ।

राजस्थान के लिये तृतीय योजना के लक्ष्य

८५१. **श्री तन सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को संशोधित कर दिया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने राजस्थान सरकार को सहायता देने का प्रस्ताव किया है ताकि योजना के लक्ष्यों को पुरा किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरमन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में रेडियो

†८५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सेटों की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय निर्धारित लक्ष्य कितना है ; और

(ख) पंजाब राज्य को अब तक कितने रेडियो सेट दे दिये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन हज़ार रेडियो सैट्स की व्यवस्था करने का निर्धारित लक्ष्य है । निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि करने के लिए, जिससे कि समस्त पंचायतों को रेडियो सैट्स दिये जा सकें, एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) अर्थसाहाय्य योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ के अन्त तक राज्य सरकार को ८,३८५ रेडियो सैट दे दिये गये हैं ।

नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र

†८५३. **श्री जेना** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी नौसैना के प्रशिक्षण के लिये देश में कोई और अधिक नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में 'चिलका लेक' में एक नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीनगर-लेह सड़क

†८५४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष की समस्त ऋतुओं में यातायात के लिये श्रीनगर-लेह सड़क को साफ रखने के हेतु कोई विशेष उपकरण मंगाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो किस लागत पर और कहां से ; और

(ग) मंगाये जाने वाले उपकरण के क्या ब्यौरे हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस बात की जांच की जा रही है कि क्या श्रीनगर-लेह सड़क को वर्ष भर यातायात के लिये खुला रखना व्यवहार्य है । इस प्रयोजन के सम्बन्ध में विशेष उपकरण के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पाकिस्तानियों द्वारा हटाया गया सीमा स्तम्भ

†८५५. श्री पु० र० पटेल :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बेरवा कोटा :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान, त्रिपुरा और आसाम के त्रिसंगम पर स्थित एक सीमा स्तम्भ को पूर्वी पाकिस्तानी राइफल्स ने हाल ही में हटा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) १५ जनवरी, १९६३ को लगभग दोपहर के समय, पूर्वी पाकिस्तान, त्रिपुरा और आसाम के एक त्रिसंगम भगवानटीला में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के दस कर्मचारी असैनिक वस्त्र पहने हुए अपये और एक जी० टी० स्तम्भ को हटा दिया जिसे वे ताय डौंग स्थित अपने कैम्प में ले गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पूर्वी पाकिस्तान प्राधिकार को दोनों ही राज्य सरकार तथा ज़िला अधिकारियों के स्तर पर त्रिपुरा प्रशासन द्वारा कड़े विरोध पत्र भेजे गये हैं। इन विरोध पत्रों में यह मांग की गई है कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के संयुक्त निरीक्षण के अधीन स्तम्भ को उसकी मल स्थिति में तुरंत ही पुनःस्थापित किया जाय।

दुर्गा काटन मिल्स, काडी (गुजरात)

†८५६. **श्री पु० र० पटेल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काडी की दुर्गा काटन मिल्स लिमिटेड बन्द हो गयी है ;

(ख) कितने श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं ;

(ग) मिल के बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मिल ने कर्मचारियों को अब तक की देय राशि का भुगतान कर दिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय):** (क) यह मामला राज्य क्षेत्र में आता है। यह सूचना मिली है कि मिल में ५ फरवरी, १९६३ से हड़ताल हो रही है।

(ख) लगभग १३०० श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ). यह सूचना मिली है कि कुछ श्रमिकों को मंहगाई भत्ता न दिये जाने के कारण हड़ताल हुई है।

रूस के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

†८५७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में किसी सन्धि के अथवा किसी अन्य प्रकार के दायित्व के कारण रूस से बचन बद्ध है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन बाध्यकारी कारणोंवश सरकार ने रूसी नाविक के विरुद्ध चोरी के अभियोगों की जांच का कार्य दण्डाधिकारी को सौंपा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). इस समय भारत सरकार तथा रूसी सरकार के बीच कोई प्रत्यर्पण सन्धि नहीं है तथापि, प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वे भागे हुए अपराधियों को उन अधिसूचित विदेशी राज्यों को प्रत्यर्पित करें जो कि ऐसे प्रत्यर्पण के लिये प्रार्थना करते हैं यद्यपि कथित अधिनियम के अर्थों में ये सन्धि वाले राज्य नहीं हैं। रूस अधिसूचित राज्यों में से एक है और तदनुसार भारत में रूसी दूतावास की रूसी नाविक को उनको सौंपने की मांग आने पर केन्द्रीय सरकार ने यही उपयुक्त समझा कि इस मामले को दण्डाधिकारी को जांच के लिये सौंप दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

८५८. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने गज़ेटेड तथा नान-गज़ेटेड हैं ;

(ख) क्या उक्त संख्या उनके सुरक्षित कोटे के समान है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(घ) क्या इस कमी को पूरा करने के लिये कोई उचित कदम उठाये जाने वाले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

नेफा में सड़कें

†८५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा सीमावर्ती प्रदेश में टस्कर संगठन द्वारा जिन सड़कों का निर्माण किया गया है उनकी कुल लम्बाई और लागत कितनी है ; और

(ख) टस्कर संगठन द्वारा निर्माण की गई सड़कों की प्रति मील लागत उन्हीं अवस्थाओं में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा आसाम राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों की प्रति मील लागत की तुलना में कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) नेफा में ३१ दिसम्बर, १९६२ तक ३४३ मील लम्बी असमतल सड़कें (जिसमें मोटर चलाये जाने योग्य ढाल पर बनाई गई जीप चलाये जाने योग्य ४६ मील लम्बी सड़कें भी सम्मिलित हैं) बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारी मोटर गाड़ियों को चलाने के लिये ११२ मील लम्बी सड़कों का सुधार भी किया गया है। अक्टूबर, १९६२ तक कुल १४९ लाख रुपया व्यय हुआ है।

(ख) (१) विनिदर्शों, (२) सड़कें बनाने के लिये दिये गये समय, (३) भू-प्रदेश और (४) विकसित क्षेत्रों से दूरियों में भिन्नता के कारण सीमावर्ती सड़क संगठन तथा लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय तथा राज्य) के द्वारा नेफा में बनाई गई सड़कों के निर्माण में आई प्रति मील लागत की सीधी तुलना करना व्यवहार्य नहीं है। तदपि, सीमावर्ती सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़कों पर आई निर्माण की लागत की उपयुक्तता की जांच की जा रही है।

टाटा द्वारा मिलिटरी ट्रकों का संभरण

†८६०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा से प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे गये अथवा खरीदे जाने वाले लगभग ४,००० ट्रक अभी तक उन्हीं के पास पड़े हैं क्योंकि अभी तक उनका निरीक्षण नहीं हो सका है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) जी, नहीं; परन्तु अभी तक दी गई ट्रकों की संख्या चार हज़ार से कम है। सेना को संभरित की गई मोटर गाड़ियों का निरीक्षण करने के लिये जमशेदपुर में एक निरीक्षण विभाग खोल दिया गया है। इन मोटर गाड़ियों के निरीक्षण में उससे अधिक समय नहीं लगता जो कि ऐसे निरीक्षणों में सामान्यत: लगता है। संभरण के लिये जो मोटर गाड़ियां तैयार थीं उन सभी को निरीक्षण करने के बाद ले लिया गया है सिवाय लगभग ३०० मोटरगाड़ियों के जिनके लिये टाटा बाडी बना रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में बन्दूक बनाने का कारखाना

८६१. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने मुंगेर में बन्दूक बनाने का जो कारखाना खोला था उसे केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और अब उस में राइफल बनाने की मशीन लगाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस में हर साल कितनी राइफलें बनाने की योजना है और सरकार का इस पर कुल कितना खर्चा आयेगा;

(ग) क्या इस संकटकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार अन्य स्थानों पर ऐसा कारखाना खोलने का विचार कर रही है; और

(घ) क्या इसके पार्ट बाहर से मंगाये जायेंगे और यदि हां, तो कहां से ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक नई स्माल आर्म्ज़ फैक्टरी स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं। सभी हिस्सों का निर्माण प्रस्थापित कारखाने में ही किया जायेगा।

सी हौक जैट लड़ाकू वायुयान

†८६२. **श्री बसुमतारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में तीन सी हौक जैट लड़ाकू वायुयान इंगलैंड से भारत आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सी हौक्स विमान वर्तमान आपातकाल के सम्बन्ध में दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी इतनी कम संख्या का क्या औचित्य है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आपातकाल से पूर्व वायुयान वाहक के लिये क्रयादेश दिये गये वायुयानों की यह एक किश्त है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

अन्डर आफिसर की पदाली

†८६३. श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह:
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय सेनाछात्र दल में पूरे समय के लिये नियुक्त किये जाने के लिये अन्डर आफिसर इंस्ट्रक्टरों और सार्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टरों की एक पदाली बनाने के विषय में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी उपलब्धियां कितनी होंगी; और

(ग) यह प्रतिरक्षा में उन्नति के लिये कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) सरकार ने अन्डर आफिसर इंस्ट्रक्टरों और सार्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टरों की राष्ट्रीय सेनाछात्र दल में पूरे समय के लिये नियुक्ति करने के लिये एक पदाली बनाने का निर्णय कर लिया है ।

(ख) नियमित सेना शिक्षकों के आंशिक रूप में हटाये जाने और विद्यालयों के समस्त समर्थ युवा छात्रों को राष्ट्रीय सेनाछात्र दल में सम्मिलित करने के लिये राष्ट्रीय सेना छात्र दल के प्रसार के फलस्वरूप, राष्ट्रीय सेना छात्र दल के यूनिटों में शिक्षकों की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है । इसलिये, शिक्षकों की संख्या की इन कमियों को पूरा करने के लिये, राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के उन भूतपूर्व अन्डर आफिसरों और सार्जेन्ट मेजरों को जो अपनी सेवायें अर्पित करते हैं तथा उपयुक्त पाये जाते हैं, राष्ट्रीय सेना छात्र दल में अन्डर आफिसर इंस्ट्रक्टरों तथा सार्जेन्ट मेजर इंस्ट्रक्टरों के रूप में पूरे समय के लिये नियुक्त किया जा रहा है ।

अन्डर आफिसर इंस्ट्रक्टरों को २२५ रुपया प्रति मास तथा सार्जेन्ट मेजर इंस्ट्रक्टरों को १७५ रुपया प्रति मास समेकित वेतन दिया जायेगा ।

(ग) इन कैडट अन्डर आफिसरों तथा सार्जेन्ट मेजर इंस्ट्रक्टरों को नौकरी में लगाये जाने से नियमित सेना पर बोझ कम हो जायेगा, जिसे कि अन्य इन समस्त शिक्षकों को अपने में ही से ढूंढ़ कर लगाना होता । इससे विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के समस्त समर्थ छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी ।

लखनऊ हवाई अड्डा

८६४. श्री सू० ला० वर्मा:
श्री बड़े :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बख्शी के तालाब, लखनऊ के हवाई अड्डे के विस्तार की कोई योजना बनायी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कुछ किसानों की जमीन ली गई है ;

(ग) इससे कितने गांवों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) किसानों को मुआवजा दिलाने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी हां ।

(ख), (ग) तथा (घ). हवाई अड्डे की निर्माण सेवाओं का काम आरम्भ हो चुका है और इस काम के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त की जा चुकी है। हवाई अड्डे की विस्तार योजना का किसी गांव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन करा कर जमीन के स्वामियों को नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा ।

युद्धपोतों का निर्माण'

†८६५. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री प्र० के० घोष:

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सेना के लिये युद्धपोतों का निर्माण करने के सम्बन्ध में कुछ जापानियों ने हमारी सरकार को अपने भाव आदि दिये हैं;

(ख) ये भाव क्या हैं और अन्य स्थानों से प्राप्त भावों की तुलना में कैसे हैं; और

(ग) युद्धपोतों का निर्माण कब होगा और कहां ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) कुछ जापानी सार्थों के साथ तथ्यान्वेषी चर्चायें की गई हैं। ऐसा कोई भाव आदि न तो मांगा ही गया और न प्राप्त ही हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चांदमारी

८६६. श्री बेरवा कोटा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी शिक्षासत्र से कालेजों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य हो जाने के कारण कालेजों में राइफल ट्रेनिंग के लिए चांदमारी के स्थानों की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कारतूस आदि का व्यय किस मंत्रालय की तरफ से होगा;

(ग) इसके लिए सन् १६६३ में कितना रुपया मंजूर किया जायेगा ; और

(घ) क्या राज्य सरकारें भी ऐसी ही व्यवस्था करेंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराय चह्वाण) : (क) राष्ट्रीय छात्र-दल एक्ट, १६४८ के अनुसार जो कालेज अपने यहां राष्ट्रीय छात्र-दल की यूनिटें खड़ी करना चाहते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे चांदमारी के अभ्यास के लिए .२२ बोर राइफल के लिए उपयुक्त छोटी चांदमारी का स्थान देंगे या उसके लिए प्रबन्ध करेंगे चूंकि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के सभी छात्रों को राष्ट्रीय छात्र-दल राइफल ट्रेनिंग में लिया जा रहा है अतः यह आवश्यक हो गया है कि चांदमारी के लिए जल्दी ही पक्के तौर पर प्रबन्ध किया जाये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रकार के चांदमारी के स्थान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया है । और बहुतेरे विश्वविद्यालय तथा कालेज इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Frigates

(ख) रक्षा मंत्रालय कारतूस का खर्च अपने ऊपर लेगा। अनुमोदित कालेजों और विश्वविद्यालयों में छोटी चांदमारी के इस प्रकार के लगभग एक हजार स्थान बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने २४ लाख रुपये अलग रख लिया है।

(ग) सन् १९६३–६४ के अन्तर्गत अभ्यासी कारतूस के लिए २६.३४ लाख रुपये व्यय का अनुमान लगाया गया है।

(घ) यह सूचना इस समय प्राप्य नहीं है।

खाद्य पदार्थों के रूप में मजूरी का भुगतान

†८६७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों को निर्माण कार्य के लिये मजूरी का पचास-पचास प्रतिशत खाद्य पदार्थों तथा धन के रूप में देने के लिये बहुत सी अग्रिम योजनायें आरम्भ की जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनायें आरम्भ की जायेंगी ; और

(ग) किन परियोजनाओं में ऐसी योजनाओं को आजमाया जायेगा ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग). विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के रूप में प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को मजूरी के आंशिक रूप में भुगतान करने के आधार पर सिंचाई के तालाबों में से मिट्टी निकालने, तटीय बांध और क्षेत्र बांध बनाने से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कुछ आजमायशी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। योजना आयोग का निर्माण कार्यों को करने के लिये अन्य किन्हीं ऐसी अग्रिम परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार नहीं है जिनमें कि ५० प्रतिशत मजूरी खाद्य पदार्थों के रूप में दी जायेगी।

भविष्य निधि अंशदान की अवशिष्ट राशियां

†८६८. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के वस्त्र तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में भविष्य निधि के लिये नियोजकों के अंशदान की अवशिष्ट राशियों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) इन उद्योगों में भविष्य निधि के लिये नियोजकों द्वारा उनके पूर्व अंशदान दिये जाने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) ३१ जनवरी, १९६३ को स्थिति निम्नलिखित थी :

	उद्योग का नाम	नियोजकों के भाग की अवशिष्ट राशियां (रुपयों में)
१.	वस्त्र	५,३८,३८१
२.	इंजीनियरिंग	२,१४,०००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन १२६ नियोजकों ने अपना भाग नहीं दिया है उनमें से ११४ के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९६२ और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन वैधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । जहां तक शेष १२ नियोजकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने उन्हें भविष्य निधि की अवशिष्ट राशि को किश्तों में देने की अनुमति दे दी है ।

धातुकर्म प्रयोगशाला, इच्छापुर

†*८६६. { श्री दीनेन भट्टाचार्य:
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिरक्षा इच्छापुर के हटाकर धातुकर्म प्रयोगशाल को हैदराबाद तथा स्टील फोर्ज सैक्शन को कानपुर ले जाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रति रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी, हां । तिरक्षा धातुकर्म प्रयोगशाला हैदराबाद ले जायी जा रही है । स्टील फोर्ज कानपुर नहीं ले जाया जा रहा । धातु और इस्पात कारखाना, इच्छापुर के परिसर के अन्दर प्रतिरक्षा धातुकर्म प्रयोगशाला का जो विद्यमान स्थान है उसमें विस्तार का कोई भी क्षेत्र नहीं है । धातुविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास की बढ़ती हुई गति का साथ देने के लिये, इसे इच्छापुर से हटाकर बाहर कहीं एक उपयुक्त स्थान पर ले जाने का निर्णय किया गया था । सरकार ने, कलकत्ता को मिलाकर समस्त सम्भव वैकल्पिक स्थलों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्, इसे हैदराबाद उठा ले जाने का निश्चय किया जहां कि प्रयोगशाला को हटाकर ले जाने के लिये तुरन्त ही स्थान उपलब्ध था । भूमि, विद्युत तथा जल भी उपलब्ध थे ।

(ख) जी, नहीं ।

कटनी में मिलिटरी बैरक

८७२. **श्री राम सेवक यादव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी फौजी कैम्प की बैरकों में १४ या १५ वर्षों से बसे हुए शरणार्थियों की ओर से कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है कि उन बैरकों के स्थान पर निवास की इमारतें बनवा दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है, और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गणतंत्र दिवस परेड

†८७३. { श्री हरीश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतंत्र दिवस परेड योजना तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हुई थी ; और

(ख) भविष्य में सरकार, यदि कोई सुधार करना चाहती है तो वह क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) साधारणतया, परेड योजना तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हुई थी। तदपि, प्रशिक्षण की कमी के कारण, कुछ असैनिक समूह नियमित पंक्तियों में नहीं चल सके और परिणामस्वरूप परेड के अन्तिम भाग में कुछ अव्यवस्था हो गई थी ।

(ख) सुधार गणतंत्र दिवस परेड के प्रतिरूप पर ही निर्भर करेंगे । आगामी वर्ष की परेड का प्रतिरूप अभी तक निश्चित नहीं किया गया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला विवरण

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): मैं विभिन्न सूत्रों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३	. तीसरा सत्र, १९६२–६३ (तीसरी लोक-सभा)
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५	. दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ८	. पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १०	चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा) ।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०-९७१/६३, एल० टी०-९७२/६३, एल० टी०-९७३/६३ और एल० टी०-९७४/६३]

कोयला खान मुहाने पर स्नानागार (संशोधन) नियम

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): मैं खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना

---

†मूल अंग्रेजी में

संख्या जी० एस० १९७ में प्रकाशित कोयला खान पुहाने पर स्नानागार (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-९७१/६३]

सभा का कार्य

†संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं, ८ मार्च, १९६३ को घोषित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के क्रम के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि १८ मार्च से आरंभ होने वाले सप्ताह के सरकारी कार्य में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों पर चर्चा और मतदान होंगे :—

(१) वैदेशिक-कार्य ।

(२) खाद्य तथा कृषि ।

(३) सूचना और प्रसारण ।

(४) शिक्षा ।

(५) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य ।

(६) अणु शक्ति ।

(७) स्वास्थ्य ।

(८) सिंचाई और विद्युत ।

†श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : हमें अभी वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । अन्य मंत्रालयों के विषय में अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये । यह प्रतिवेदन सम्बन्धित मंत्रालयों की मांगों पर विचार करने के कम से कम ५ दिन पहले आ जाने चाहियें । क्या आप मंत्रालयों से इस विषय में कहेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही मंत्रालयों से इस विषय में कह दिया है ।

†श्री सत्यनारायण सिंह : मैं ने सब सम्बन्धित मंत्रालयों से यह कह दिया है कि इस वर्ष प्रतिवेदन अनुदानों की मांगों पर विचार आरम्भ करने के कम से कम ३ दिन पूर्व भेज दिये जायें ।

†श्री हरिविष्णु कामत : कम से कम पांच दिन ।

†श्री सत्यनारायण सिंह : मैं ने "इस वर्ष" के लिये कहा है । मैं ने कहा है कि मांगों पर विचार आरम्भ करने के कम से कम तीन दिन पहले प्रतिवेदन पहुंच जाने चाहियें ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रतिवेदनों का अध्ययन करना पड़ेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । मैं भी यही समझता हूं कि यद्यपि इस वर्ष के लिये सभा ३ दिन से ही सहमत हो जायेगी, तथापि इस के लिये कम से कम ५ दिन होने चाहियें । मंत्रालयों को ऐसा करना चाहिये । अब तक केवल ३ प्रतिवेदन, वैदेशिक-कार्य, खाद्य और कृषि और सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सम्बन्ध में प्राप्त हुये हैं । शेष मंत्रालयों से, जिनकी मांगों पर अगले सप्ताह चर्चा की जायेगी, यथासम्भव शीघ्र प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मैंने उन्हें लिख दिया है और मैं समझता हूं वह ऐसा करेंगे।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : उन्हें इसे कार्यान्वित करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री कामत और माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे प्रतिदिन निदेश देने के लिये न कहा जाये। प्रतिदिन कहने से इसका कोई मूल्य नहीं रहता।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : यह आप पर नहीं, सरकार पर आक्षेप है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह एक बार ही कहें और मैं कोई निदेश दूं या प्रार्थना करूं और उसका पालन न हो तो वह आपत्ति उठा सकते हैं। किन्तु यदि हर बार ऐसा किया जाये तो उसका महत्व नहीं रह जाता।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : किन्तु यदि वह उसका पालन न करें तो मैं और किससे कहूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि वह उसका पालन करेंगे।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : गत सत्र में आपने वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय को निदेश दिया था कि विभिन्न उद्योगपतियों के वर्गों को दी गयी अनुज्ञप्तियों का विवरण पृथक्-पृथक् बतलाया जाये। सभा को दो बार आश्वासन दिया गया था कि ऐसा किया जायेगा। किन्तु १½ वर्ष से अधिक हो गया....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कृपा करके लिख कर दे दें। मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

सभा के कार्य के बारे में

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट में यह निवेदन करना है कि २३ मार्च को सरदार भगतसिंह बलिदान दिवस है। शुरू में आपने उस दिन छुट्टी की हुई थी। उसी के मुताबिक हमने देश भर में अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था। अब २३ मार्च को दुबारा वर्किंग डे कर लिया गया है। ऐसी दशा में हम लोगों का क्या होगा क्योंकि वहां हम लोगों की पोलिटिकल ड्यूटी है और यहां पर पार्लियामेंटरी ड्यूटी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को चाहिये कि पहले इस बात का ध्यान रखा करें। जिस वक्त बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी का फैसला होता है और हउस के सामने आता है उस वक्त यह चीज उनको लानी चाहिये। जब हाउस ने फैसला कर लिया और सारा काम हो गया उस वक्त उनको ख्याल आया है। मैंने तो पहले से ही कहा हुआ है कि जब हाउस के सामने कोई चीज़ आये उस वक्त ऐतराज होना चाहिये। अब अगर माननीय सदस्य को कोई ऐतराज इस बात पर है तो वह मेरे पास आयें। मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है, लेकिन जरा मुश्किल बात है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : एक निवेदन मैं भी करना चाहता था। आपने अभी पार्लयामेंटरी अफेअर्स के मिनिस्टर से कहा है कि जिन विभागों की यहां पर बहस हो उनकी रिपोर्टें काफी समय पहले मिलनी चाहियें। पिछले वर्षों में प्रायः यह देखा गया है कि इंग्लिश की रिपोर्ट तो ठीक समय पर मिल जाती हैं, लेकिन हिन्दी की रिपोर्टें जब वाद-विवाद समाप्त हो जाता है तब मिलती हैं। जब उस पर भी इतना व्यय किया जाता है तो अगर वे समय पर मिल जाया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन है कि दोनों ही प्रकार की रिपोर्टें यथा समय मिल जाया करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य आयव्ययक-सामान्य चर्चा—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब सामान्य आयव्ययक पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी। श्री उ० मू० त्रिवेदी अपना भाषण जारी रखें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : कल मैं यह कह रहा था कि हमारे राजस्व का जहां भी अपव्यय हो रहा है उसे रोका जाये। जहां भी सरकार को पता चले कि अपव्यय को समाप्त करके मित-व्ययिता की जा सकती है वहां उसे आवश्यक पग उठाना चाहिये।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभी पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी राशि लेनी है। हमने उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है और इस प्रकार एक ऐसे देश के कारण जिससे हमारे मित्रता के सम्बन्ध नहीं हैं, हम पर कर लगाये जा रहे हैं।

अपव्यय बहुत किया जा रहा है। खण्ड विकास और सामुदायिक परियोजनाओं में हर किसी को समाज-कल्याण के नाम पर जीप दी जा रही है और वह इसका दुरुपयोग करते हैं। यह अपव्यय समाप्त किया जाना चाहिये। जिन समवायों को सरकार रुपये की सहायता देती है अथवा जो सरकार द्वारा चलायी जाती हैं उनके प्रतिवेदन बहुत महंगे कागज पर छापे जाते हैं। इस प्रकार के अपव्यय को भी रोका जाना चाहिये।

अधिलाभ कर में दो प्रकार की गलतियां हैं : पहली तो यह कि ६ प्रतिशत से अधिक लाभ को अधिलाभ माना गया है। किन्तु हाल ही का अनुभव यह बताता है कि ६प्रतिशत या इससे अधिक पर भी पूंजी सरलता से नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त जोखिम भी है। फिर ६ प्रतिशत की सीमा किस प्रकार उचित है। पहले चार अथवा पांच वर्षों में तो लाभ होता ही नहीं। इसलिये यदि कोई ऐसा उपाय नहीं अपनाया गया कि जिसके द्वारा आगामी पांच अथवा दस वर्ष के लिये अधिलाभ कर से मुक्त कर दिये जायें तो लोगों को बहुत हानि होगी और पूंजी प्राप्त नहीं हो सकेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री टांटिया।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर): अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिये इतने बड़े बजट की आवश्यकता थी। मैं इसे प्रस्तुत करने के लिये वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

नये कर २७५ करोड़ रुपये के हैं जो विभिन्न मदों में---उत्पादन शुल्क में वृद्धि, सीमा शुल्क में वृद्धि, अनिवार्य बचत, आय कर पर अधिभार और अधिलाभ कर आदि---में विभाजित कर दिये गये हैं।

मेरा सुझाव है कि मिट्टी के तेल पर प्रस्तावित शुल्क में कमी करके अन्य विलास की वस्तुओं पर बढ़ा दी जाये।

३००० रुपये से कम आय वाले लोगों पर और उन किसानों पर जो ५० रुपये से कम भू-राजस्व के रूप में देते हैं अनिवार्य बचत योजना लागू न की जाये। इससे गरीब लोगों को तो राहत मिलेगी ही सरकार का रुपया भी जो आवश्यक कर्मचारियों आदि पर व्यय करना होगा, बच जायेगा।

मैं आयकर पर अधिभार के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि जब अमीर और गरीब सब कुछ न कुछ दे रहे हैं तो मोटी आय वालों को भी अधिक देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिलाभ कर केवल धनिकों के लिये ही नहीं है, निर्धनों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। समवायों के अंशधारी बहुधा छोटे व्यक्ति—अवकाश प्राप्त, विधवायें इत्यादि—हैं। कुछ ऐसे भी अंशधारी हैं जिन्होंने १०० अथवा ५०० रुपये के ही अंश लिये हुये हैं। निगम क्षेत्र में कर लेने के दो मार्ग हैं: या तो निगम कर बढ़ा कर अथवा अधिलाभ कर लगा कर। मैं निगम कर बढ़ाने के पक्ष में भी नहीं हूं क्योंकि इसका प्रभाव नये उद्योगों पर होगा।

अधिलाभ करों से आप २५ करोड़ रुपया प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु इसका मूल्यांकन कम किया गया है। परसों श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि इससे १०० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों की राय में यह राशि ६५ अथवा ७५ करोड़ रुपये होगी।

सरकार द्वारा प्रकाशित 'स्टेटिस्टिकल पॉकेट बुक' के पृष्ठ ३६ पर यह दिया गया है कि निजी समवायों की पुंजी १२०१ करोड़ रुपया है। ५०० करोड़ रुपये की उनकी रक्षित निधि जोड़ कर और ४०० करोड़ उन समवायों के, जिनका लाभ कम है, घटा कर यह राशि १३०० करोड़ रुपया होती है जिसका लाभ ३८० करोड़ रुपया और वर्तमान कर १६० करोड़ रुपया है। शेष १६० करोड़ रुपये पर अधिलाभ कर ६५ करोड़ रुपया होता है।

अधिमान अंशों की वर्तमान दर ६·५ प्रतिशत है फिर ६ प्रतिशत पर साम्य अंश कौन लेगा? इससे अवश्य ही उत्पादन में कमी होगी।

अधिलाभ कर के देने के बाद भी जो लाभ होगा उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे। यदि हम अंशों का वर्तमान मूल्य देखें तो यह अंशधारी को ५ प्रतिशत ही देता है।

पांच वर्ष पहले जब उन्हें वित्त मन्त्री बनाया गया था तब लोग प्रसन्न हुये थे कि वह एक विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों पर भार बढ़े। किन्तु प्रतिवर्ष कर बढ़ाये जा रहे हैं। इस वर्ष अधिलाभ कर की कल्पना करने में भी भूल की गई है और वह यह कि जो प्रतिशत अधिमान अंशों का है वही साधारण अंशधारियों को दिया जाना चाहिये था।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : माननीय मन्त्री कल वाद-विवाद का उत्तर देंगे?

†**अध्यक्ष महोदय** : लगभग २ बजे।

†**श्री सेज़ियान** (पेरम्बलूर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह बजट विशेष रूप से प्रतिरक्षा के लिये तैयार किया गया है। हमें अपने देश की रक्षा करनी है और अपना आर्थिक और औद्योगिक विकास करना है। माननीय वित्त मंत्री ने यह बजट बहुत योग्यता से तैयार किया है। हमें यह देखना है कि क्या अतिरिक्त करों का मूल्यांकन ठीक किया गया है और उन्हें उचित रूप में वितरत किया गया है?

अधिलाभकर कर जिस आधार पर रखा गया है और जिस रूप में रखा गया है उस का मैं समर्थन करता हूं। यह कुल पूंजी से, कटौतियों के पश्चात ६ प्रतिशत से अधिक लाभ पर लागू होगा इससे अनुमानित प्राप्ति बजट में २५ करोड़ रुपया दिखायी है। यह राशि कम आंकी गई है।

हो सकता है इसे जान बूझ कर इसलिये कम आंका गया हो कि ६ प्रतिशत से ८ प्रतिशत के सम्भावित परिवर्तन के लिये गुंजाइश बनी रहे। वरना इन का अनुमान ५५ अथवा ६६ करोड़ लगाया जाना था। कुछ भी हो हमारा आग्रह यह है कि इसे लगाया जाये तो निर्धारण ठीक आधार पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सेझियान]

किया जाये और आय-कर निर्धारण में जो कमियां पाई जाती हैं वह इस क्षेत्र में न आ जायें। मिट्टी के तेल साबुन, लिखने और छापने के कागज, चाय, कॉफी, तम्बाकू, पर जो अधिक शुल्क लगाया गया है उस से मध्यम श्रेणी और निर्धन वर्ग के लोगों के कष्ट बढ़ जायेंगे। उदाहरणार्थ साबुन पर यह १½ नया पैसा और कपड़े पर प्रति वर्ग १½ मीटर नया पैसा होगा। किन्तु दुकान पर यदि ईमानदार हुआ तो २ नये पैसे लेगा और यदि आप गांवों में चले जायें, तो ५ अथवा १० नये पैसे भी सकता है। निर्वाह परिव्यय में और इन पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि बाजार के दूसरे पदार्थों के मूल्यों को भी बढ़ा देगी।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं? क्या सरकार उत्पादन पर नियन्त्रण करेगी, या आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य अपने हाथ में लेगी या उचित मूल्य की दूकानें खोलेगी? केवल आश्वासनों से ही कुछ नहीं होगा। जब तक इस पर नियंत्रण करने के लिये हमारे पास ठोस सुझाव न हों और इस की कार्यान्विति के लिये उचित व्यवस्था न हो मूल्य बढ़ते ही जायेंगे।

अनिवार्य बचत योजना, मैं समझता हूं, लोगों के विभिन्न भागों की बचत करने की क्षमता को बिना आंके ही बना ली गई है। व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद् ने १६६० में शहरी लोगों की आय और बचत के बारे में अध्ययन किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों की बचत में बहुत अन्तर है। ३००० रुपये से कम वालों की बचत ऋणात्मक है और उन्हें उधार ले कर अथवा अपनी पहली बचत के रुपयों से काम चलाना पड़ता है। १००० रु० से कम आय वालों के ऋण का आय से अनुपात २०.६. १००० रु० से १६६६ रु० की आय वाले का ६ और २००० रु० से २६६६ रु० की आय वालों का १ है। किन्तु ३००० रु० की आय के ऊपर बचत आरम्भ हो जाती है और २५००० रु० तक यह क्रमशः बढ़ती चली जाती है। २५,००० रु० और इस से ऊपर की बचत का आय से ४४.५ का अनुपात है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बचत उच्च वर्ग में ही अधिक होती है। यह आंकड़े १६६० के हैं अब मंहगाई बढ़ गई है। बचत करना और भी कठिन है इसलिये अच्छा होता यदि वित्त मंत्री निम्न आय वालों के स्थान पर उच्च आय वालों के लिये अनिवार्य बचत योजना लागू करते। यहां उल्लेखनीय बात यह भी है कि यह योजना १५०० रु० से ३६०० रुपये की आय वालों के लिये ही है।

मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार हम ने पूंजी पर नियंत्रण करने की योजना बनाई है उसी प्रकार वेतन के नियंत्रण के लिये भी बनाई जाये। ५००० रु० से उपर वाली नियुक्तियां करने के पूर्व, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, सरकार की स्वीकृति ली जाये। इस के अतिरिक्त २००० रु० मासिक से ऊपर वेतन की वेतन वृद्धि, कम से कम इस का ५० प्रतिशत अनिवार्य बचत में दे दिया जाये।

हम गरीब आदमियों से कर देने के लिये और अनिवार्य बचत के लिये कहते हैं। किन्तु क्या सरकार भी कुछ बचत करने का प्रयत्न कर रही है? क्या माननीय मंत्रियों ने और मंत्रालयों ने भी अपना व्यय कम करने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाये हैं?

अविलम्बनीयता की भावना, जो आपात काल में बहुत महत्वपूर्ण हो, अब नहीं रही। खेतों में किसान, कारखाने में मजदूर और दफ्तर में क्लर्क यह अनुभव नहीं करते कि यह आपात काल है और यदि उन्हों ने कुछ अधिक कार्य किया तो यह चीनियों को खदेड़ने में सहायक होगा। सरकार को स्वयं ऐसा कार्य कर के उन में यह भावना उत्पन्न करना चाहिये। सरकारी कार्य में मितव्ययिता करने की बहुत गुंजाइश है। श्री कृष्णमाचारी ने अगस्त १६५६ में कहा था कि प्रशासनीय कार्य कुशलता ही परिव्यय में १५ प्रतिशत का अन्तर डाल देगी।

इस प्रकार तृतीय योजना में बचत की कमी तो यह ११२५ करोड़ रुपये की होगी। १९६३–६४ में ही, जिसके लिये १२२६ करोड़ रखे गये हैं, १० प्रतिशत के हिसाब से १२० करोड़ रुपये की बचत होगी। इस प्रकार गरीबों पर कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस प्रकार यदि हमने सरकार के व्यय में बचत की तो गरीब कष्ट से बच जायेंगे।

प्रतिरक्षा की तैयारियां अल्पकालीन नहीं हैं। जब तक युद्ध का संकट बना हुआ है यह चलती रहेंगी। इसलिये यदि हमने दूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपनाया, लोगों की कर देने की और बचत करने की क्षमता का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं किया तो देश में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

श्री जोजाधर कटकी (नवगोला) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् वित्त मंत्री ने इतना कड़ा बजट प्रस्तुत कर के अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। १४ नवम्बर, १९६२ को इस सभा ने और २६ जनवरी, १९६३ को सारे राष्ट्र ने राष्ट्रीय आपात का सामना करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न करने की शपथ ली थी। यदि हम ने प्रतिरक्षा को मजबूत करना है तो अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। कई बार कहा गया है कि प्रतिरक्षा और विकास पर बरारबर ध्यान देना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिये यह कहना कि यह बजट बहुत अधिक है ठीक नहीं है। यह सच है कि जनता पर भार अधिक पड़ा है, किन्तु यह आवश्यक था।

किन्तु फिर भी बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। उन पर विचार करने से भी बजट पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि उन्हें निकृष्ट मिट्टी के तेल पर शुल्क हटा लेना चाहिये और उत्तम मिट्टी के तेल पर शुल्क कम कर देना चाहिये। मिट्टी का तेल अधिकतर गरीबों द्वारा, विशेषतया गांवों में, प्रयुक्त किया जाता है।

दूसरी बात यह है कि उन्हें अलाभप्रद खेतों और कम आय वाले लोगों पर अनिवार्य बचत योजना लागू नहीं करनी चाहिये। और यदि वह ऐसा नहीं कर सकें तो इस के स्थान पर आवश्यक अनिवार्य बीमा की योजना लागू की जाये।

छोटे और मध्यम उद्योगों से अधिलाभकर नहीं लिया जाये।

उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य अवश्य बढ़ेगा। किन्तु यह न्यायसंगत रेखा से ऊपर नहीं जाना चाहिये। इसका ध्यान रखा जाना चाहिये।

कृषि उत्पादन संतोषप्रद नहीं है। यही अवस्था रही तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे और हमें विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

जहां तक प्रतिरक्षा और विकास की नीतियों का उत्तर पूर्व सीमान्त से सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस क्षेत्र में विकास का कार्य कोई विशेष आशा-जनक नहीं है। विभाजन का भी इस क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। और पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस क्षेत्र का विकास आवश्यकता के अनुकूल नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में संसाधनों की बहुतायत है। किन्तु उन को प्रयोग नहीं किया गया है। यहां की अर्थ व्यवस्था अपेक्षाकृत अविकसित है। यह समस्या स्थानीय ही नहीं अपितु राष्ट्रीय भी है। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्सों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में अगर किसी देश में सब से ज्यादा टैक्स हैं, तो उस देश का नाम भारत है। आज हमारे सामने बड़ा प्रश्न यह है कि जो व्यवसायी वर्ग हमारे देश का है, जिसको मैं सामाजिक रीढ़ की हड्डी मानता हूं, और जो देश की उन्नति का मूल साधन है,

उस व्यवसायी वर्ग के अन्दर अगर इस प्रकार की भावनाएं अंकित हो गई कि उसे नए व्यवसाय की ओर नहीं जाना है तो यह इतनी बड़ी हानि होगी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इस बारे में समाचारपत्रों में जो छपा, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं। अनेक समाचारपत्रों में इस प्रकार की भावनाएं अंकित हुई कि हमारे देशऔर दूसरे देशों में टैक्स की व्यवस्था में कितना अन्तर है और इन टैक्सों की वजह से कितना उत्साह व्यवसायी वर्ग में नए व्यवसाय शुरू करने का हो सकता है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। अमरीका में इन्हीं दिनों जो बजट लाया गया टैक्सों में भारी कमी इस कारण की गई कि व्यवसायी वर्ग में उत्साह की भावना फैलें। तथा यह कहा गया है कि अगर हमने टैक्सों की मात्रा में कमी न की तो व्यवसायी वर्ग में निरुत्साह की भावना फैल जाएगी। परन्तु इसके विपरीत कितने दुःख की बात है कि पिछले बजट में ही जो टैक्स लगाये गये थे जिनके कारण लोगों में उत्साह शून्यता आ गई थी अब और ज्यादा लगाये जा रहे हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि आज हमारे देश के व्यवसायी वर्ग के अन्दर ऐसी भावना अंकित हो गई कि वह नया व्यवसाय शुरू करने में रुचि ही नहीं ले सकता नए व्यवसाय में जाने की भावना समाप्त सी होती जा रही है। इससे कितनी बड़ी हानि हमारे देश को होगी, इसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। टैक्स बढ़ा कर जितना लाभ हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा हानि इससे हो सकती है। ठीक यही बात अमरीका के प्रेजीडेंट श्री कैनेडी ने कही थी। उन्होंने कहा कि सामान्यतः यह प्रतीत होता है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से कमी की ओर जा रहे हैं परन्तु हमें निश्चित विश्वास है कि अगर हमने देश के अन्दर टैक्सों की मात्रा कम कर दी तो लोगों में इनिशियेटिव आएगा, लोगों में उत्साह पैदा होगा, इस प्रकार की भावनायें अंकित होने से बाद में हम अधिक से अधिक टैक्सों की मात्रा को बढ़ा सकेंगे।

आज यह कहा जाता है कि चूंकि चीन के साथ हमारी लड़ाई है इस वास्ते हमें टैक्सों की मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं क्या हमारे वित्त मंत्री जी यह कहने का साहस करेंगे कि अगर लड़ाई न हुई या होने के बाद जब शान्ति स्थापित हो तो वह इन टैक्सों की मात्रा को घटा देंगे? आज तक का इतिहास तो यह बताता है कि जो भी टैक्स एक बार लग गया कभी वह कम नहीं हुआ और न ही हटा। सेल्ज़ टैक्स को ले लीजिए या दूसरी किसी किस्म की लैवी को ले लीजिए। जो टैक्स एक बार लग गया वह कभी नहीं हटा उसको कम करने का कोई प्रश्न भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में स्पष्ट निवेदन करने का साहस करता हूं कि बिना टैक्सों को बढ़ाये क्या हम कोई ऐसा कार्यक्रम देश में नहीं अपना सकते जिससे तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और टैक्स भी न बढ़ाने पड़े। अगर ऐसा कोई उपाय सोचा होता तो ज्यादा अच्छा होता और सरकार के प्रति जनता की सहानुभूति भी होती। ऐसा नहीं किया गया है। आपका दृष्टिकोण तो यही प्रतीत होता है कि टैक्सों को बढ़ा दिया जाए।

मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। जिसे अनेक वक्ताओं ने कहा दोहराना चाहता हूं कि कितने प्रकार के डिपार्टमेंट है और कितने प्रकार के सरकारी ऐसे खर्च हैं, जो कि घटाये जा सकते हैं और अगर उनकी तरफ हमारे मिनिस्टर साहिबान ध्यान देते तो आपको टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अगर इस ओर ध्यान दिया जाता और गम्भीरता पूर्वक चेष्टा की जाती तो मेरा यह निश्चित मत है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती थी कि हमें

टैक्स बढ़ाने की जरूरत महसूस न होती। हमारे कहने की बात को तो आप छोड़ दें। कांग्रेस बेंचिज की तरफ से भी यही बात अनेकों प्रकार अनेकों सज्जनों द्वारा कही गई, परन्तु दुःख है कि इसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी पालिसी बन कर आ गई, उसे अनिवार्य रूप से देश पर लाद दिया जाए। इसका कारण यह है कि अपोजीशन की संख्या नगण्य है उसके द्वारा कही बात का कोई मूल्य ही नहीं होता है।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि आज देश में अनेक बैंकों में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया डेड एकाउंट में पड़ा है, क्या कभी किसी बजट में उसको दिखाया गया या यह सोचा गया है कि उसका एडवांटेज उठाया जाए? क्यों नहीं सरकार उस रुपये का इस्तेमाल करती है? लाखों नहीं करोड़ों और अरबों रुपयों के नोट जल जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, मैंने कभी भी बजट में यह नहीं देखा है कि इन नोटों का भी एकाउंट सरकार ने कभी रखा हो। जब टैक्स बढ़ाना ही मैन आबजैक्ट सरकार के सामने है, तब तो कोई बात कहने की ही आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। करोड़ों रुपया पाकिस्तान से हमें लेना है। अगर पाकिस्तान से हमारी सरकार रुपया वसूल करने में समर्थ नहीं है तो पाकिस्तान को कोयला वगैरह देने की क्या जरूरत है। सामान हमने पाकिस्तान को दिया और देने के बाद धन वापिस नहीं हुआ, तब क्या कारण है कि आज भी हमारा लखूखा रुपयों का सामान नित्य पाकिस्तान को जाता है? एक तरफ पाकिस्तान के साथ हमारा यह व्यवहार दूसरी तरफ हमारा अरबों रुपया पाकिस्तान की तरफ बकाया है, उसको वसूल करने का साहस नहीं। देश में जो आपकी जनता है, वह अपना जीवन कैसे निर्वाह कर रही है, इसका आपको ज्ञान नहीं, फिर भी उस पर टैक्स बढ़ाना ही आपको सहज और ईज़ी मालूम होता है।

पाकिस्तान से समझौते के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है। चूंकि अभी वार्ता कंटिनुएशन में है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, परन्तु एक पक्ष उस का यहां पर रखना चाहता हूं। पाकिस्तान से वार्ता आखिर किस आधार पर की जा रही है। एक ओर तो हमारे मंत्री महोदय वार्ता के लिये पधारने वाले हैं लेकिन उन के पधारने से पहले ही चीन से ऐग्रिमेंट हो जाता है। उस के बाद भुट्टो साहब आने से पहले पीकिंग जा कर फाईनल सिग्नेचर कर आये। आप को किस बात की आशा है? रुपया वह हमें देंगे नहीं। मेरे पास ऐसे अनेक केसेज हैं उनको मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता अनेकों बातें अटकी पड़ी हैं जिन का कोई सुलझाव नहीं उन में कोई सुधार नहीं हो रहा है परन्तु हम पता नहीं किस भावना से रोज पाकिस्तान में अपने मंत्रियों को भेजते हैं। मैं निश्चित रूप से इसे मानने को तैयार हूं कि इस तरह की चीजों से हमारे राष्ट्र का सम्मान दिनों दिन घट रहा है। बजाय इस के कि हम पाकिस्तान से कोई बातचीत करें, हमें पाकिस्तान के सामने सीधी शर्तें रखनी चाहिये कि यह हमारी टर्म्स ऐंड कंडिशन्स हैं कि पहले हमारा रुपया दो। हम चीन के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम को रुपया चाहिये। कोई संसार का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय यह कहने के लिये तैयार नहीं होगा कि जो हमारा रुपया नहीं देता, उसको हम कोयला दें। आखिर जो हमारा रुपया नहीं देता उसको हम अनेक प्रकार की सुविधायें किस आधार पर दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें हम इस तरह से ले सकते थे, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया।

पर हमारी सरकार को सब से सीधी और सच्ची बात यह मालम होती है कि देश में टैक्स बढ़ा दिया जाय। मैं इस बात का सबसे बड़ा दुष्परिणाम निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, आज स्थिति यह है कि देश में वैसे ही ईमानदारी का अभाव था, नये टैक्सों के लगने के बाद आज यह परिस्थिति बन गई है कि ईमानदार आदमी ढूंढने से भी मिल रहे हैं। कारण यह है कि अगर टैक्स की पूरी मात्रा सरकार के सामने रख दी जाय तो उसके बाद जीवन निर्वाह का प्रश्न जटिल हो जाता है। और अगर टैक्स न दिया जाय तो

किसी भी सम्माननीय आदमी के हृदय में चोट लगती है कि हमारी सरकार ने ऐसा विधान ही क्यों बनाया जिस के कारण जनता को कोई शर्म नहीं रही ।

मैं यहां पर थोड़ी कोलम्बो प्रपोजल्स की चर्चा भी करना चाहत हूं । कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में चीन का जो रवैया अब तक रहा उस को देखने के बाद में समझ नहीं पाता हूं कि कोलम्बो प्रस्तावों का जो मृतक शरीर है उसे हमारे देश की सरकार क्यों अपने कन्धे लादे फिर रही है । उसमें से कुछ भी निकलनेवाला नहीं, आपकी सफलता उस में होने वाली नहीं साथ ही देश के कितने आदमियों के अन्दर उसके प्रति सद्भावनायें निहित हैं यह समझने में मैं आज तक समर्थ नहीं हो सका ।

मध्यम वर्ग के सम्बन्ध में और सज्जनों ने बहुत सी बातें कहीं हैं, परन्तु मैं एक बात बड़े साहस के साथ आप के सामने रखना चाहता हूं । अगर आप बड़े आदमियों को और सब से छोटे आदमियों को छोड़ दीजिये तो आज मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति यह है कि किसी भी आदमी के उपर, जो कि २०० या ३०० रू० माहवार पाने वाला है, उस पर आप कम्पलसरी सेविंग्स.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप का समय काफी हो चुका है, अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री बिशनचंद्र सेठ : मुझे मालूम है कि आपने मुझे दस मिनट दिये हैं लेकिन मैंने अभी पूरा समय नहीं लिया ।

उपाध्यक्ष महोदयः : आप के दस मिनट पूरे हो गये ।

श्री बिशनचंद्र सेठ : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं । तो मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि आज मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत खराब है । जो मध्यम वर्ग हमारे देश की अभिवृद्धि की रीढ़ की हड्डी है उसकी तरफ सरकार को देखना चाहिये । आज उसकी स्थिति यह है कि अगर वह अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है तो बीमारी के इलाज के लिये उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर वह इलाज करवा लेता है तो कपड़े के लिये पैसे नहीं बचते । आज इस मध्यम वर्ग के ऊपर जितना टैक्सेशन लगाया गया है उसका इनडाइरेक्ट असर पड़ रहा है और इसका फल यह है, मध्यम वर्ग के पचासों लोगों ने वार्ता के समय मुझे बतलाया, कि उनके सामने जीवन निर्वाह का प्रश्न आ गया है । अब तक अगर उन पर ४० रु० वार्षिक टैक्स लगता था तो अब उन के ऊपर २४० रु० टैक्स लगेगा । वे लोग २० रु० मासिक कहां से अपने बजट में प्रोवाइड करेंगे ? जिस सरकार का लोकप्रिय सरकार बनने का दावा है, अगर वह सचमुच ऐसी है तो उसको इन बातों पर ईमानदारी से विचार करना चाहिये । उसके बाद अगर कोई ऐसी आफत आ गई है जिसके कारण वह कंसेशन नहीं दे सकती है तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश पूरी तरह से सरकार के साथ रहेगा । परन्तु अगर दूसरे तरीकों से रुपया इकट्ठा कर सकती है तो कोई कारण नहीं कि वह देश को झिंझोड़ कर रख दे और इस तरह की गलत टैक्सेशन पालिसी को मान्य करे ।

अन्त में मैं केवल एक चीज कह कर बैठ जाऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है । और वह है मिट्टी के तेल के संबंध में । बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके संबंध में कहा है, लेकिन मैं बल्कुल इसके खिलाफ कहना चाहता हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि मिट्टी के तेल पर इतना टैक्स केवल इसलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

लगाया गया कि लोग इस संबंध में बहुत कुछ बोलें और उसके बाद हमारे वित्त मंत्री महोदय उसको छोड़ दें। मैं इस तरह की बात सोच कर आश्चर्य चकित रह जाता हूं। मैं समझता हूं कि पहले से यह तय कर लिया गया था कि अगर मिट्टी के तेल के बारे में लोग बोलेंगे तो आप उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार की मनोवृत्ति राष्ट्रीय सरकार की नहीं होनी चाहिये। राष्ट्रीय सरकार को बहुत सौम्य और बहुत सच्ची होनी चाहिये ताकि उसका अनुकरण जनता कर सके।

इन शब्दों को कहते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री नटराज पिल्ले** (त्रिवेन्द्रम) : पिछले वर्ष सीमांत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ था और हमने अपने सीमांत की रक्षा करने और आक्रमणकारियों को खदेड़ने का प्रण किया था। सरकार का कर्त्तव्य है कि सभा में किये गये इस निश्चय को कार्यान्वित करे। यह बजट उस दिशा में पहला कदम है। इस बजट को प्रतिरक्षा बजट कहा जा सकता है।

हम युद्धकालीन अर्थ व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिये यह आवश्यक है कि संसाधनों को कम महत्व के विषयों से हटा कर प्रतिरक्षा प्रयत्नों के काम में लाया जाये। वित्त मंत्री ने इस संबंध में सराहनीय कार्य किया है।

बजट में प्रतिरक्षा के लिये लगभग ८०० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस राशि का उचित उपयोग हो। किन्तु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का कार्य उत्साहवर्धक नहीं है।

वर्ष १९६०–६१ में २८.०८ रुपये की बचत थी जबकि ३३८.२५ करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। यह बचत इसलिये हुई कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी की। ऐसी परिस्थिति फिर नहीं रहेगी। आपातकाल में इस विभाग को मंजूर की गई पूरी राशि व्यय करनी चाहिये। देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने के लिये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसलिये यह आवश्यक है कि बजट में विकास के लिये काफी व्यवस्था हो। देश की अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार का समायोजन होना चाहिये कि प्रतिरक्षा की क्षमता को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिले।

जहां तक अनिवार्य बचत योजना का संबंध है, भूराजस्व का ५० प्रतिशत अनिवार्य बचत में दिया जायेगा। छोटे किसानों के लिये बचत करना कठिन है। उनसे अनिवार्य बचत योजना में योगदान के लिये कहना अनावश्यक दंड देना है। १२५–२५० रुपये के आय वाले लोग तो प्रायः ऋण ग्रस्त हैं। इन पर भी इस योजना का प्रभाव पड़ेगा। अतः यह योजना लागू नहीं की जानी चाहिये।

†**श्री रंगा** (चित्तूड़) : इस बजट का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सरकार की यह कोशिश है कि मूल्यों को न बढ़ने दिया जाये। सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, परन्तु कृषि उपज के मूल्य नहीं बढ़ने दिये जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप किसानों को बहुत हानि हो रही है। दूसरे सरकार राज्य सरकारों पर भूमि सुधार के लिये दबाव डाल रही है। भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निश्चित हो जाने के कारण किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गये हैं। इस सीमा से एक कृषि परिवार की अधिक से अधिक आय ४०० रुपये प्रतिमास तक हो सकती है। इसके बावजूद भी उन पर नये करों का भार डाला गया है। अनिवार्य बचत के लिये कुछ लोगों को तो छूट दी गई है, परन्तु किसानों को बिल्कुल छूट नहीं दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मजदूरों पर भी काफी बोझ पड़ा है। वे तो पहले ही कठिनाई से निर्वाह कर रहे हैं। उनको कुछ करों से छूट दी जानी चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मध्यम वर्ग के लोगों पर काफी भार पड़ रहा है। अधिलाभ कर के अधिकतर लोगों ने विरोध किया है। इसका लाभ तो उन लोगों को हो सकता है जो धोखेबाजी से काम लेते हैं।

वित्त मंत्री कर प्रस्तावों के बारे में गोपनीयता रखते हैं। परन्तु मुख्य कर प्रस्तावों के बारे में गोपनीयता की आवश्यकता भी है। वित्त मंत्री को बिना ब्यौरे में जाने के, इन प्रस्तावों की चर्चा किसानों के प्रतिनिधियों, श्रमिकों और अन्य प्रभावित लोगों से कर सकते थे। यही प्रथा स्वर्ण नियंत्रण आदेश के सम्बन्ध में अपनाई जा सकती थी। इस तरह से वित्त मंत्री अधिकतर सन्तोषजनक प्रस्ताव रखते। इससे यह सिद्ध होता है कि बजट के मामले राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रहा है।

प्रधान मंत्री जो कई बार कह चुके हैं कि चीन किसी समय भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। हमें प्रधान मंत्री के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। अतः यह बजट सुरक्षा बजट होना चाहिए था।

पिछले वर्षों में प्रशासन पर व्यय बहुत बढ़ गया है। १९५२-५३ में प्रशासन पर व्यय २३ करोड़ रुपये था; १९६१-६२ में ५९ करोड़ रुपए हो गया। सामाजिक विकास पर अब सरकार लगभग १५५ करोड़ रुपये व्यय करती है। जब कि १९५२-५३ में उन्होंने केवल २३ करोड़ रुपए खर्च किया। सामान्य प्रशासन पर १९५२-५३ में ७ करोड़ रुपये व्यय होता था। १९६३-६४ के बजट में १९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लोगों पर पहले ही करावान का काफी भार है। अब संकट की स्थिति का सामना करने के लिए और भार उठाने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। जब कि लोगों ने प्रतिरक्षा व्यय का स्वागत किया है सरकार को यह खोज करने का पहले यत्न करना चाहिए था कि कौन से देश हमारी सहायता करने के लिये तैयार हैं उन्हें अपनी आवश्यकताओं और समर्थताओं के बारे में अपने विश्वास में लेना चाहिए और श्री कनेडी ने तो यह कहा था कि चीन के भारत पर अतिक्रमण से सारे संसार के लोकतन्त्र राज्यों को खतरा है और चीन का भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण नहीं होगा। इसका हमें स्वागत करना चाहिए था। हमें यह बजट पेश करने से पहले अमेरिका से पूछना चाहिए था कि किस सीमा तक वे हमारी सहायता करेंगे। उस के अनुसार हमें अपना बजट बनाना चाहिए था।

हम रूस की तरह से अप्रत्यक्ष करों पर अधिक से अधिक निर्भर हो रहे हैं। इसे रुक कर कहना चाहिये। हमारे यहां देश में अप्रत्यक्ष कर से अधिक राजस्व जुटाया जाता है, जब कि प्रत्यक्ष करों से कम। प्रत्यक्ष करों से केवल २५७ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया जाता है। जब कि अप्रत्यक्ष करों से ६३० करोड़ रुपए।

सरकार लोगों को नौकरी के अधिक अवसर नहीं दे सकी है। उन्होंने इस परिस्थिति को और भी खराब कर दिया है। कई स्वर्णकार बेरोजगार हो गए हैं।

यह बजट राष्ट्रीय बजट नहीं है। एक दल का बजट है। यह समाजवादी बजट तो हो सकता है, परन्तु विकासात्मक बजट नहीं है।

†**श्री कृष्ण मैनन** (बम्बई-उत्तर) : हम प्रतिरक्षा की समस्या को विकास की समस्या से अलग नहीं कर सकते। किसी भी देश की सेना से ही रक्षा नहीं हो सकती, परन्तु लोगों के दृढ़ निश्चय से रक्षा होती है। योजना व्यय में कुछ कमी हुई है। विकास-कार्य की गति पहले ही बहुत है। आशा है कि सरकार विकास योजनाओं को स्थगित रखने के बारे में कोई कदम नहीं उठायेगी।

इस बजट में २७५ करोड़ रुपए का कराधान है। २७५ करोड़ रुपयों में से ७० करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों से आएंगे और बाकी अप्रत्यक्ष करों से।

पूंजीगत वस्तुओं पर आयात कर को बढ़ाने का कोई वित्तीय या सामाजिक औचित्य नहीं है। यह लाभप्रद है तथा मेरे विचार में इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

हमारे देश में अमीर और गरीब लोगों में भेद करना कठिन है। कुछ एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ कर भारत में बाकी सभी गरीब हैं। उपभोक्ता सामान पर १७५ करोड़ रुपए के कर हैं। इन में से ४५ करोड़ रुपये मिट्टी के तेल पर हैं। २८ करोड़ रुपये तम्बाकू पर हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वनस्पति तेल से १० करोड़ रुपये की आय को क्यों छोड़ा गया और इस तरह से जोड़ दिया गया है। विभिन्न वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर का काफी भार भी गरीबों पर है।

समाजवादी समाज में गरीबों पर भी कर लगते हैं। उन को करों से मुक्त नहीं रखा जाता। कराधान में कमी होनी चाहिए। इस बजट में आधा भार गरीबों पर है।

अतिरिक्त अधिभार के आरोपण का प्रस्ताव एक कर के समान है। जो आय पर न हो कर शेष की राशि पर है। सरकार को इस संबंध में कि परामर्श नहीं दिया गया है।

अनिवार्य बचत करारोपण नहीं है। परन्तु ऋण के समान है। जो लोग धन दे सकते हैं उन्हें बिना मजबूरी के दिया जाना चाहिये। यह ऋण क्यों है? यदि ऋण है तो इसके साथ मजबूरी नहीं होनी चाहिये। यदि मजबूरी की शर्त है तो यह कर होना चाहिये जैसे सरकार को करदाता को लौटाना नहीं है। सरकार को अनिवार्य बचत योजना पर पुनः विचार करना चाहिये और इस की त्रुटियों को दूर करना चाहिये।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक अन्य मामले की ओर आकर्षित करूंगा। बजट को अन्तर्राष्ट्रीय नीति से पृथक कर के नहीं देखा जा सकता, अतः हमें यह विचारना है कि क्या चाय पर। निर्यात शुल्क हटाने से श्रीलंका के लोगों और सरकार पर विरोधी प्रभाव तो नहीं पड़ा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश के लोग आज हमारे कितने निकट हैं और श्रीलंका सरकार कितना महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिये कर रही है। मैं समझता हूं कि इस देश के हितों की उपेक्षा कर के यह शुल्क हटाया जा रहा है।

भू-राजस्व के बारे में मैं समझता हूं कि अधिक कठिनाई के बगैर गरीबों का बोझा हल्का किया जा सकता है। यह भू-राजस्व प्रतिगामी प्रकार का है उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ७० प्रतिशत ग्रामीणों के पास ५ एकड़ तक भूमि है, और इस वर्ग द्वारा कुल खेती की १७

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है । इस वर्ग पर प्रस्तुत बजट प्रस्तावों के अनुसार १८ करोड़ रुपया का कर लगाया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि इस राशि को आप ५ से १० एकड़ तक भूमि पर खेती करने वाले वर्ग के लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। जो वर्ग कि १५ प्रतिशत है और जिस के द्वारा २० प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है । इस वर्ग पर ५ प्रतिशत ढंक कर बढ़ाने से १६ करोड़ रुपये प्राप्त हो सकती है। इस से अगला वह वर्ग है जो २० से ३० एकड़ भूमि का स्वामी है। इस वर्ग द्वारा कुल क्षेत्र को १३ प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है और इस पर कर ८ रु० तक लगाने से २३ करोड़ रुपया प्राप्त हो सकता है । ३० एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले लोग केवल ३ प्रतिशत हैं परन्तु वह देश की २७ प्रतिशत भूमि पर खतों करते हैं। इस वर्ग पर १२ रुपये तक कर लगाने से १०२ करोड़ रुपये मिल सकता है। इस लिये मैं सुझाव देता हूं कि इन गरीब ७० प्रतिशत ग्रामीणों पर अतिरिक्त भू-राजस्व का बोझ न डाला जाय ।

मिट्टी के तेल पर कर के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकार भी गरीबों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में उतनी ही चिन्तित है जितना कि कोई अन्य व्यक्ति । यदि हमें राजस्व की आवश्यकता है तो उस के लिये क्षमता के अनुसार सब पर बोझ पड़ेगा ही ।

अनिवार्य बचत योजना के सम्बन्ध में हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इस से वह परिणाम निकलेंगे जिन की हम आशा करते हैं।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपलब्ध पूंजी विकास परियोजनाओं पर खर्च करने की बजाय लाभ की दृष्टि से मकानों के निर्माण जैसे उपक्रमों में न लगाई जाय । इस से विकास की बजाय मुनाफाखोरी बढ़ेगी ।

घोड़-पालन उद्योग पर जो छूट दी गई है उसे वापिस लेना चाहिए । क्योंकि घोड़े उगते नहीं बल्कि पाले जाते हैं। और जो रियायत गरीब लोगों को मिलनी है उसे इस धनी लोगों के उद्योग को नहीं दिया जाना चाहिये ।

कर अपवंचन की समस्या पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । मैं ने सुना है कि करोड़ों रुपये की आयकर राशि अभी बकाया है। यह आय-कर बकाया कोई ऋण तो है नहीं । यह सरकार का धन है अतः इसे चुकाने की सीमा में उचित परिवर्तन लाने चाहियें । पर घोर अनियमितता है कि आय कर बकाया नहीं चुकाया जाय। निगम भी किसी आधार पर इस से बच नहीं सकते ।

मेरा सुझाव एक यह भी है कि उन वस्तुओं सम्बन्धी राजकीय सहायता दी जानी चाहिये जिन से भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है। क्योंकि हमारे पास केवल ३५० एकड़ भूमि खेती-योग्य है, और यदि वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाय तो अधिक भूमि पर खेती की जा सकती है और अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं रहेगी जिस पर कि अधिक व्यय हो जाता है।

लेफ्टिनेंट कर्नल या उस से कम की पंक्ति के सेना पदाधिकारियों पर इन प्रस्तुत करों का बोझा नहीं पड़ना चाहिये । क्योंकि इस पंक्ति के अधिकारी बहुधा सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाते हैं अथवा इन पर अन्य प्रकार के बहुत बोझे होते हैं ।

इसी तरह भूमि संबंधी कर भी सैनिकों पर नहीं लगने चाहियें । अंग्रेजी के शासन काल में एक सैनिक को २५ वर्ग भूमि दी जाती थी । अब यदि उन्हें यह छूट दी जाय तो सरकार को अधिक घाटा नहीं होगा ।

वित्त मंत्री अथवा सरकार एक चिकित्सक की तरह होती है जिसे किसी अंग के खराब होने पर काटना भी पड़ता है। उस की दी जाने वाली दवाई कई लोगों के लिये हानिकारक भी हो सकती है।

इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि समाज सुरक्षा उपायों में कमी नहीं आनी चाहिये।

इन प्रस्तावित करों का सामना जनता उसी प्रकार करने को तैयार है जिस प्रकार वह चीनियों के बर्बरतापूर्ण आकस्मिक आक्रमण का सामना करने को तैयार थी। जनता इन बोझों को सहन करने को तैयार है यदि यह सब पर समान रूप से डाले जायें।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने आयव्ययक पर हुई चर्चा में भाग लिया। विशेषतया, मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि प्रतिरक्षा और विकास पर जो व्यय किये जाने का प्रस्ताव है वह अधिक नहीं है, इस बारे में सभी एकमत हैं। इस व्यय को समुचित समझा गया है और इसे सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है। कोई भी वित्त मंत्री यह आशा नहीं करेगा कि बजट पर आलोचना नहीं की जायगी, विशेषतया जब इस परिमाण का बजट माननीय सदस्यों के समक्ष रखा जाता है। यदि इसके सामान्य ढांचे पर नहीं तो इसके ब्यौरों पर आलोचना किया जाना आवश्यक है। सिवाय मेरे माननीय मित्र प्रो० रंगा के और उस के साथी के अन्य किसी ने भी बजट को पूर्णतया त्रुटिपुर्ण नहीं बताया है। परन्तु मैं समझाता हूं कि उन्होंने और उनके दल ने इस सरकार का विरोध करने का निश्चय किया हुआ है, इसलिये सरकार जो भी कार्य करे उस की आलोचना उन के द्वारा की जानी है, इसलिये उन के द्वारा कही गयी बातों की ओर ध्यान दिया ही नहीं जाना चाहिये। मैं उन की इस सरकार को गद्दी से उतारने की इच्छा का विरोध नहीं करता। ऐसा करना उन का अधिकार है। परन्तु, कुछ भी हो, एक अधिकार के प्रयोग में लाने में बुद्धिमत्ता होनी चाहिये क्यों कि यदि इस प्रकार नहीं किया जाता तो उन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या आप चाहते हैं कि उन की इच्छा पूर्ण हो ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : प्रत्येक न्यायोचित इच्छा को पूरा होना ही चाहिये। यह विवादास्पद बात है कि यह इच्छा न्यायोचित है या नहीं। यदि हम आपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते तो यह न्यायोचित होगी। मुझे इस बारे में अपने मन में कोई शंका नहीं है। परन्तु मैं नहीं समझता कि किसी भी न्यायस्तर के आधार पर पक्षपातरहित ढंग से यह कहा जा सकता है कि हम अपने कर्त्तव्य पालन में असफल रहे हैं। अथवा प्रो० रंगा और उन का दल इस कर्त्तव्य का हम से अधिक अच्छी तरह पालन कर सकते हैं।

जैसा कि मैं ने स्वयं कहा कि इस आयव्ययक का परिमाण इतना है कि इस से इस देश की जनता पर अवश्य ही भारी बोझा पड़ेगा। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि यह अवश्यम्भावी है। जिन परिस्थतियों में आज हम हैं उन में हमें धन प्राप्त करना ही है, और यह आवश्यक है कि प्रतिरक्षा तथा विकास पर व्यय के लिये धन जुटाया जाय। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि विभिन्न मदों को अनुचित अथवा अत्यधिक बता कर उन की आलोचना तो की गई. परन्तु किसी ने भी यह नहीं बताया कि इस राजस्व को अन्य किन साधनों से प्राप्त किया जाय। जब

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह व्यय का बजट उचित है, ठीक है और इस के सिवाय और कोई चारा नहीं है तो मेरे विचार में सभा का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस के लिये धन उपलब्ध करे। यदि जो सुझाव मैं ने दिये हैं वह ठीक नहीं है तो जो उचित हैं उन का सुझाव दिया जाना चाहिये। परन्तु यदि भिन्न सुझाव नहीं दिये जाते तो मेरे विचार में मैं यह आशा करने में न्यायानुमत हूं कि चूंकि मैं इस धन को उपलब्ध करने में इस संसद् का एक माध्यम हूं इस लिये जब इस बजट को स्वीकार कर लिया जाय तो समस्त सभा का मुझे समर्थन प्राप्त होना चाहिये ; मैं की गई आलोचना का सम्मान करता हूं और उस पर विचार भी किया जायगा। अन्त में वित्त विधेयक के आने पर बजट को पारित होना ही है।

परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन किये जायेंगे। क्योंकि परिवर्तन करने का अर्थ उस पूंजी के लिये अन्य साधन ढूंढने का होता है और इस सभा में कोई भी यह नहीं चाहता कि घाटे की वित्त व्यवस्था हो। मैं उठाये गये प्रश्नों के बारे में निश्चित निर्णय भी नहीं दूंगा क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये सम्भव नहीं है। हर बात का हमें पूरी तरह अध्ययन करना है। परन्तु एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ सभा में कहा गया है उस से बजट संबंधी नीति की उचितता और प्रस्तावित करों की न्यायोचितता की पुष्टि हो गई है।

हमें आक्रमणकर्ता से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा करने और हर प्रकार के बलिदान देना संबंधी संकल्प को भुलाना नहीं चाहिए। यह समस्त देश का संकल्प है। श्री रंगा भी इस बारे में एकमत हैं। यदि वह चाहते हैं कि मैं अधिक तेजी से कार्य करूं तो उन्हें मुझे और अधिक साधन देने चाहियें। वह यदि कृषकों, श्रमिकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों पर बोझ न डालने के लिये कहते हैं तो क्या संसद् सदस्य सारे करारोपण का बोझ सहन करेंगे ?

उन का कहना है कि बजट से राष्ट्रीय दृष्टिकोण का आभास नहीं मिलता। मैं नहीं समझ सका कि वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण का क्या अर्थ समझते हैं। यदि, उन के अनुसार, इस बजट के कारण मेरी सभी पक्षों द्वारा आलोचन की गई है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इस के द्वारा मैं किसी वर्ग विशेष अथवा दल विशेष का हित कर रहा हूं। उन के अपने तर्क से सिद्ध होता है कि यह राष्ट्रीय बजट है। जैसा कि ठीक ही कहा गया था कि सरकार को केवल जनता के समर्थन करने पर ही नीतियां निर्धारित नहीं करनी चाहियें बल्कि यह उस का कर्त्तव्य है कि वह नीतियों के निर्धारण में जनता का पथप्रदर्शन करे। केवल जनता की इच्छानुसार चलना काफी नहीं है। जनता क्योंकि अपना पथप्रदर्शन स्वयं नहीं कर सकती इसलिये वह सरकार बनाती है ; और विशेषतया जब एक सरकार लोकतंत्रात्मक हो तो वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और जहां जनता समस्याओं को न समझ सके वहां ऐसी सरकार को पथप्रदर्शन करना होता है। यह कार्य हमने इस बजट द्वारा सम्पन्न करने का प्रयत्न किया है।

इस बजट के लिये मैं पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूं। इसमें जो बुराइयां हैं वह मेरे कारण हैं और जो अच्छाइयां हैं वह सरकार के कारण हैं, परन्पु यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं परन्तु यह सरकार कुछ पग उठाने के लिये मुझे मजबूर करती है।

हम सब का उद्देश्य इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाल बनाना है और उस प्रयोजनार्थ हमें सरकार को भी उसी प्रकार चलाना हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कल्पना ही के आधार पर सोचने लगें। इस के साथ साथ समय की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखना

व्यक्ति पूर्ण रूप से निपुण नहीं हो सकता, अतः हम शनैः शनैः उन्नति तो कर सकते हैं, बेशक आशाओं को मूर्त रूप देने में सफल न हों। इस बजट के बारे में भी इसी तथ्य को दृष्टि में रखा गया है।

जब मैंने समान वितरण की चर्चा की थी तो मेरा मतलब यह कदापि नहीं था कि असमानता हम दूर करने में सफल हो गये हैं, वरन् हम केवल इस उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रस्तुत बजट में भी मैं ने ऐसे तत्वों को समाविष्ट किया है जिन से हम समयानुसार समानता लाने के लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे। यह आशा करना कि बजट का प्रभाव सभी वर्गों पर एक सा पड़ता है यह सोचने के बराबर है कि यह एक कल्याणकारी राज्य है। हमारा कल्याणकारी राज्य नहीं है बल्कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर हैं। जब तक यह कल्याणकारी राज्य बन नहीं जाता तब तक हम यह नहीं कह सकते कि यह राज्य कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सका और उस से कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं की मांग नहीं कर सकते। देखना केवल यह कि यह अपने प्रयासों में तत्पर है या नहीं। इस बजट को भी इसी दृष्टि से देखना चाहिये।

यह कहना उचित नहीं होगा कि इस बजट का अधिक बोझ गरीबों पर पड़ेगा। यदि यह आशा की जाती है कि सारा बोझ धनी लोगों पर डाला जाय और गरीबों पर बिल्कुल न डाला जाये तो मुझे खेद है कि मैं इस आशा को पूरा नहीं कर सकूंगा। संसार की किसी सरकार ने ऐसा न किया है और न कर ही सकेगी। परन्तु मैं ने प्रयत्न किया है कि इस बजट में कम से कम बोझ गरीबों पर डालूं, और अतिरिक्त राजस्व बहुधा उन वर्गों से लूं जिन को इस के देने में अधिक असुविधा नहीं होगी।

इस प्रसंग में, अधिलाभ कर की आलोचना की गई है। मैं उनकी बात ठीक से समझ नहीं सका हूं। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह १० प्रतिशत है परन्तु उपरिस्तर पर यह केवल २.२ प्रतिशत अथवा १.५ प्रतिशत ही होगा। यह कहना बिलकुल ठीक है कि उच्चतम स्तर से नीचे यह २.२ अथवा २.५ प्रतिशत ही होगा, इससे अधिक नहीं। परन्तु इस बात को नहीं भुलाना चाहिये कि उच्चतम स्तर पहले ही ८५ प्रतिशत है और यदि यह आशा की जाती है कि इसे १० प्रतिशत बढ़ा कर मैं ९५ प्रतिशत अथवा १०० प्रतिशत कर दूं तो मैं कहूंगा कि ऐसा सुझाव सोच समझ कर और व्यक्ति की प्रकृति का विचार कर के नहीं दिया गया है। यह कहना आसान है कि कुछ सीमा से ऊपर की आय पर १०० प्रतिशत आयकर लगना चाहिये, और कानूनी तौर पर हम ऐसा कर भी सकते हैं। परन्तु यदि ऐसा कर दिया जाय तो उस सीमा से अधिक आय का व्यक्ति के लिये प्रलोभन ही क्या रह जायगा। इसके फलस्वरूप हम उस व्यक्ति की क्षमता को बेकार बना देंगे और उत्पादन एवं अन्य लोगों की आय को भी घटा देंगे। इस बात पर समस्त समाज के कल्याण की दृष्टि में रख कर ही हमें विचार करना है।

मंत्रियों के पानी और बिजली के अत्यधिक बिलों की चर्चा की गई है। परन्तु हमें नहीं भूलना चाहिये कि इसी सभा ने उनके लिये बिना किराये के, फर्नीचर सहित, मकान का उपबन्ध किया है.....

†श्री हेम बरुआ : यह फिजूल का बहाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं कोई बहाने पेश करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो सच है उसे आप के समक्ष रख रहा हूं। इस बात से मैं सहमत हूं कि उपबन्ध कर देने का यह अर्थ नहीं है कि हम जितना चाहें खर्च कर सकते हैं (**अन्तर्बाधा**)। खर्च ठीक प्रकार ही होना चाहिये परन्तु इस पर तर्कोचित दृष्टिकोण से ही विचार करना चाहिये। मैंने एक बिल को अब देखा है --क्योंकि इस से पहले यह बिल हमारे पास नहीं आते थे--कुछ लोगों ने उनकी बत्तियों का भी ख्याल रखा है। जब से मैं यहां आया हूं मैंने अपनी बत्तियों का ख्याल रखा है। यह शायद इसलिये कि मैं बचपन से इसका आदी हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यह तो आदत की वजह से है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी हां, ऐसा ही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह अच्छी आदत है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यहां भी मैं रोज देखता हूं, माननीय सदस्य नल खुले छोड़ कर चले जाते हैं। पानी व्यर्थ बहता रहता है। एक नहीं, कई कई नल खुले रहते हैं। मैंने ये नल कई बार बन्द किये हैं, और किसी को मैंने नल बन्द करते नहीं देखा। मेरे विचार में औरों ने भी देखा होगा। मुझे कस्टोडियन को भी इस बात का ध्यान रखने के लिये कहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा अतः किसी को नाराज नहीं होना चाहिये, परन्तु एक बात है जिसका हमें विश्लेषण करना चाहिये। इस तरह पानी का बिल अधिक हो जाता है, परन्तु जब कभी इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया जाता है तो पूरा ध्यान रखा जाता है।

गृह-कार्य मंत्री के यहां की बिजली का व्यय भी चर्चा का विषय बना है। इस बारे में निवेदन है कि प्रातः से लेकर रात के १२ बजे तक उनके यहां लोग उन्हें मिलने आते हैं, अतः बिजली, हीटर अथवा पंखों की व्यवस्था करनी होती है। परन्तु इस पर जो खर्च होता है उससे गृह-कार्य मंत्री को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। लोगों की सुविधा के लिये ही यह सब कुछ किया जाता है। नौकरों के क्वार्टरों की बिजली का खर्च भी इसी में से होता है। फिर भी इस बारे में पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह जो सुझाव दिया गया है कि नौकरों के क्वार्टरों के लिये और दर्शक कक्षों के लिये अलग "मीटरों" का उपबन्ध होना चाहिये। वित्त मंत्रालय इस संबंध में भविष्य में अधिक सावधान रहेगा।

अब आती है आयकर की बात। इस मामले में हमने प्रक्रिया को थोड़ा सरल कर दिया है। ४ से १० प्रतिशत कर लगेगा। जिस व्यक्ति की आय २ लाख है, उसे आयकर निकाल कर लगभग ६०,००० रुपये मिलते हैं। हमारे देश के आयकर की दर तुलनात्मक रूप से किसी भी देश से कम नहीं हैं। जिस व्यक्ति की आय २० लाख है उसके पास केवल ३,५०,००० अथवा ३,६०,००० बचता है। इसी तरह छिपाई हुई आय का भी जब पता लगता है तो उसके लिये सजा दी जाती है, इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं। परन्तु यह कहना कि प्रत्येक व्यक्ति आय छिपाता है भी गलत बात है। एक बात समझ लेनी चाहिये कि आय कर अपवंचन किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है, न ही प्रत्येक मामले में यह जानबूझ कर किया जाता है। कर अपवंचन की राशि उतनी नहीं है जितनी कि लोग समझते हैं। इसे एक ही ढंग से समाप्त किया जा सकता है, और वह यह है कि इस दिशा में निरन्तर प्रयास होता रहना चाहिये। और वह प्रयास हम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आश्चर्य की बात यह है कि लोगों ने बड़े चालाक परामर्शदाता नियुक्त कर रखे हैं, जो उन्हें कर बचाने के लिये सुराख बताते रहते हैं। हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक धन निकाला जाय। बकाय बचे हुये धन की भी उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है। बकाया राशि के बारे में बात यह है कि कुछ तो ऐसी राशियां हैं जिन्हें वसूल किया जा सकता है, और कुछ ऐ ी जिन्हें नहीं। जो लोग दीवालियां हो गये हैं अथवा देश को छोड़ गये हैं उनसे क्या वसूली हो सकती है। कई लोगों के पास कुछ होता नहीं है और कुछ एक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपीलें कर रखी हैं। इस प्रकार लाखों रुपये की वसूली बट्टे खाते में रह जाती है।

जिन बकाया राशियों की वसूली हो सकती है, वे वार्षिक मांग की राशि के आधे भाग से भी कम है। यह भी तथ्य है कि हम पिछले प्रत्येक वर्ष की वार्षिक मांगों की तुलना में अधिक राशि एकत्र कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह निकलता है कि बकाया राशियां समाप्त हो रही हैं। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति के प्रति पूर्णतः जागरूक है। इस बारे में एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बकाया राशियां वसूल नहीं की जा सकती, उनको शीघ्र ही बट्टे खाते में नहीं डाल दिया जाता क्योंकि उनकी किसी समय भी वसूली हो जाने के संबंध में आशा बनी रहती है। निस्सन्देह हम पूरी जांच करके ऐसे आंकड़ों को शनैः शनैः समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा अपने माननीय मित्रों से निवेदन है कि बार बार इस प्रश्न के उल्लेख का कोई लाभ नहीं। हम सके प्रति बहुत जागरूक हैं।

अधिलाभकर के संबंध में बहुत आलोचना हुई है और उसके पक्ष में भी बहुत सी बातें कही गयी हैं। जो भी सुझाव दिये गये हैं उसके बारे में मेरा निवेदन केवल इतना हा है कि निगम कर को प्रतिशतता में वृद्धि करके अधिलाभ कर में परिवर्तन करने संबंधी सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं है। माननीय सदस्यों को पता है कि गत वर्ष जब इस प्रकार की वृद्धि की गयी थी तो सदन में उसकी बहुत ही कड़ी आलोचना की गयी थी। एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिये और वह बात तथ्य की है कि इस वृद्धि का प्रभाव केवल मात्र उन्हीं समवायों पर पड़ेगा जिनका लाभ कम है। अतः मैं इस अधिलाभ कर पर दृढ़ हूं। इसको हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार की भ्रांतियां दूर हो जानी चाहियें।

नये समवायों के बारे में भी कुछ सुझाव आ रहे हैं विशेष रूप से वे जो ६ प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं। सरकार द्वारा नये समवायों की कठिनाइयों पर विचार किया जा रहा है, यदि ऐसा मालम हुआ कि उत्पादन और औद्योगीकरण पर कुप्रभाव पड़ रहा है तो उपचारों को लागू किया जायेगा। सरकार इस बारे में जो संभव होगा करेगी। आखिर इन करों के लगाने का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यह तो नहीं कि गैर-सरकारी क्षेत्र का सब कु समाप्त कर दिया जाये। उद्देश्य यह है कि अधिक लाभ में भाग सब को मिले, सरकार को भी। सरकार इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है कि देश की प्रगति उद्योग और व्यापार की प्रगति के साथ साथ ही हैं। परन्तु उद्योगपतियों और व्यापारियों को प्रगति करते हुये सरकार और जनता के लक्ष्यों का भी ध्यान रखना होगा। गत चार वर्षों से मैं कर लगा रहा हूं और लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। परन्तु मैंने हर वर्ष अनुमान से भी कहीं अधिक राजस्व इकट्ठा करके दिखा दिए हैं। अतः मेरा निवेदन है कि यह कहना बिलकुल ीक नहीं है कि अधिलाभ कर लागू करने से कर क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कार्य-कुशल व्यक्तियों को देश के लिये अधिक योगदान देना चाहिये। सरकार असीमित लाभ कराने की अनुमति कभी भी नहीं दे सकती। क्षमता वाले लोगों को सजा दी जा रही है यह बात भी प्रायः गलत ही है। आखिर अधिक आय होगी ही तो आप अधिक कर देंगे न। यदि यही भावना सब के सामने रहे तो यह बहुत ही अच्छी बात है। जो विदेशी लोग हमारे सहयोग से काम कर रहे हैं वे भी अधिक लाभ नहीं

[श्री मोरारजी देसाई]

चाहते। उचित लाभ तो उन्हें मिलना ही चाहिये। जब तक हमारी क्षमता अपेक्षित विकास नहीं कर जाती हमें विदेशी सहयोग लेना ही होगा। हमें विदेशी सहायता और सहयोग का लाभ उठाना ही चाहिये। हमारी तो सम्मिलित अर्थ-व्यवस्था है। सरकार द्वारा सब कुछ करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मुझ से यह भी कहा गया है कि यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो मुझे बहुत धन मिल सकता है। हमारे साम्यवादी मित्र हर वर्ष राष्ट्रीयकरण का प्रश्न प्रस्तुत कर देते हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर प्रधान मंत्री ने सरकार की नीति की व्याख्या कुछ समय पूर्व की थी। हम चाहते हैं कि बैंक व्यवस्था का अधिकतर विस्तार हो। जैसा कि उन्होंने कहा था, ऋण व्यवस्था का भारत में विस्तार होना है। यदि सरकार का विचार इस समूचे कार्य को स्वयं करने का हो तो इसमें बहुत समय लगेगा। इसलिये यदि हम दूसरे लोगों को इसमें भाग लेने से रोकें तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि बैंक व्यवस्था तबाह हो जायेगी। हमारे लिये उचित उपाय यही है कि सैद्धांतिक विचारों संबंधी उलझनों में न पड़ कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें।

उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा यह विचार कदापि नहीं कि गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन न दिया जाय, बल्कि हमें उसे प्रोत्साहन देना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है। इसका यह मतलब कदापि नहीं लिया जाना चाहिये कि मैं इसे सरकारी क्षेत्र की कीमत पर प्रोत्साहन देना चाहता हूं। सरकारी क्षेत्र का स्थान तो सब से ऊंचा रहेगा ही और उसके द्वारा ही शनैः शनैः देश की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण हुआ करेगा। बाकी को तो उसके साथ चलना होगा।

बैंकिंग के बारे में इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि देश में बैंकिंग प्रगति करे और वह भी तेजी से। देश भर में ऋण-व्यवस्था का भी विस्तार होना है। गैर-सरकारी बैंक इस मामले में पहल नहीं कर सकते, इसे तो सरकार को ही करना है। परन्तु सारे कामों को सरकार के लिये एक दम कर सकना सम्भव नहीं। यूरोप के देशों में तो हर गांव में बैंक है, परन्तु हम तो उस स्थिति से अभी कोसों दूर हैं। अब यदि हम तो कुछ कर न सकें और दूसरों को कुछ करने न दिया तो यह तो बैंकिंग व्यवस्था को ही तबाह कर देगा। अगर लक्ष्य को सामने रख कर हमें सैद्धान्तिक उलझनों से बचते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिये। हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये ऐसा करना बहुत ही आवश्यक है। अतएव बैंकों के राष्ट्रीयकरण की निरन्तर कही जाने वाली बात का कोई अर्थ नहीं। किन्तु मैं जानता हूं कि यह कहने पर भी मेरे मित्र इस बात को हर अवसर पर दोहरायेंगे।

अधिलाभ कर के सम्बन्ध में यह आक्षेप किया गया था कि नये उद्योगों में वह पूंजी नहीं लगेगी और न ही वे गैर-सरकारी पूंजी बना सकेंगे। पूंजी निवेश बढ़ाने के सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि पूंजी निवेश न्यास द्वारा अधिक संख्या में मध्यवर्गीय निवेशकों को कम्पनियों की समानांश पूंजी में अपना थोड़ा बहुत पैसा लगाने का प्रोत्साहन दिया जाय। इस प्रस्ताव का मूल विचार यह है कि देश की निरन्तर विकासशील औद्योगिक प्रगति में सामान्य साधनों के लोग हिस्सा प्राप्त कर सकें जिससे उन्हें न्यूनतम सुरक्षा और उपयुक्त लाभ प्राप्त हो सकें। इस प्रस्ताव के लिये कुछ कर लगाने का विचार है जिस पर भारत का रक्षित बैंक विचार कर रहा है। अतः हम आगे विकास के विभिन्न उपायों पर भी विचार

कर रहे हैं। यह श्री मोरारका के कथन के निदेश के सम्बन्ध में है कि इस प्रकार ठोस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

यह कहा गया है कि राजस्व ७५ करोड़ या १०० करोड़ रुपया होगा। मैंने जो आंकड़े देखे हैं उनके अनुसार यह ठीक नहीं। श्री हिम्मतसिंहका का अनुमान गलत प्रतीत होता है। उन्होंने हिसाब लगाया कि ३१२ करोड़ रुपये पर अधि लाभ कर लगेगा। विभिन्न आय वर्गों पर उन द्वारा लगाये गये हिसाब के अनुसार भी हिसाब ५६ करोड़ रुपये का बनता है। न कि ७५ करोड़ रुपये का। मेरा विश्वास है यह ३० करोड़ या ३५ करोड़ रुपये का होगा। इसकी जांच की जा रही है। कर के गलत या ठीक होने का यह तर्क नहीं है। यदि कर अधिक कठोर हुआ तो विचार करके कुछ सुविधाएं देनी होंगी। यदि इससे प्रगति रुक जाय तो इसे बदलना होगा। किन्तु मेरे विचारानुसार यह हिसाब गलत है। हम हिसाब लगा रहेहैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही निश्चित हिसाब लग जायेगा।

मिट्टी के तेल, लम्बाकू आदि के कर के सम्बन्ध में मैं पहले तम्बाकू को लेता हूं। तम्बाकू सब की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे विलासिता समझता हूं। क्या जो लोग सिग्रेट पीते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा जीवन का अधिक आनन्द लेते हैं, जो सिग्रेट नहीं पीते। कसौटी केवल यह है कि जब उन्हें सिग्रेट नहीं मिलती तो वे ना खुश अनुभव करते हैं अन्य लोग नाखुश नहीं होते। अतः तम्बाकू का कर कठोर नहीं है। वे तम्बाकू पीना कम कर दें। इससे उन्हें लाभ ही होगा। इस से राजस्व को तो हानि होगी किन्तु लोगों का स्वास्थ्य बन जाय तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। किन्तु जब तक वे तम्बाकू पीते हैं मैं उन से अधिकाधिक राजस्व लेना चाहता हूं।

कागज़ ऐसी वस्तु है, जिसका संभरण बहुत कम होता है अतः बहुत कठिनाई होती है। यह काला बाजार में चला जाता है और बीच के व्यापारी अधिक मुनाफा कमा लेते हैं।

मैं यह नहीं कहता कि मिट्टी के तेल पर कर से गरीब लोगों को हानि नहीं होगी किन्तु उसे प्रतिमास २० नये पैसे ही तो अधिक देने पड़ेंगे क्योंकि वे दो तीन बोतल तेल ही प्रयोग करेंगे। यदि ४ बोतल का प्रयोग भी करते हों तब भी ३० नये पैसे अधिक खर्च करने पड़ेंगे। मैं मानता हूं। कि यह भी कठिन है किन्तु मैं इस से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा के दायित्व को कम करना चाहता हूं। दो वर्ष पूर्व हम ३० करोड़ रुपये का तेल आयात करते थे जब कि इस वर्ष ३० करोड़ रुपये का आयात किया गया है। क्या ऐसा करने से हम उद्योग को हानि नहीं पहुंचा रहे। लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सस्ता है। अतः इसे महंगा बनाना होगा। ऐसा न करने पर सभी इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। हम इसके लिये विदेशी मुद्रा नहीं देना चाहते अतः सरकारी तेल शोधक कारखानों को बढ़ा रहे हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : गांव में लोग इसे ईंधन के लिये नहीं बल्कि रोशनी के लिये प्रयोग करते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं गांवों में रहा हूं। चुनाव में श्री कामत के विरुद्ध आन्दोलन में भी मैं गांव में रहा था जब उन्हें हार हुई थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप की कोशिशों के बावजूद और कांग्रेस की सारी मशीनरी के बावजूद मैं जीता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ सीमा होनी चाहिये और कुछ औचित्य की भावना भी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्हें भी तो ध्यान रखना चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि मेरे ऐसा कहने से माननीय मित्र को बुरा लगा है तो मुझे अफसोस है। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था।

†**श्री रंगा** : वे मुख्य मंत्री होते हुये भी पराजित हुए तथापि हमने उनकी हार का कभी उल्लेख नहीं किया।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरी पराजय का जिक्र कई बार किया गया है तथापि मैंने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। मैं समझता था कि माननीय सदस्य इस बात को हंसी में ही लेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह बातें दोनों ही ओर के लिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें काफी बातें कहने की अनुमति दी है अब उन्हें चुप रहना चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरा इरादा अपने सहयोगी पर किसी प्रकार आक्षेप लगाने का नहीं था। यदि वे चाहते हैं तो मैं उनसे क्षमा मांगने को तैयार हूं। क्योंकि मैं उनका आदर करता हूं।

मैं बता रहा था कि हमें मिट्टी के तेल के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। अतः मैं राजस्व के इस साधन को नहीं छोड़ सकता हूं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके स्थान पर नमक पर कर लगा दिया जाये। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि भावना के ख्याल से ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है यह भावना राष्ट्रपिता से सम्बन्धित है और यदि हम राष्ट्रपिता का एक बात में भी आदर नहीं कर सकते हैं तो हम उन्हें राष्ट्रपिता कहने के भी अधिकारी नहीं हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि गरीब व्यक्तियों के लिये नमक भोजन का ही एक भाग है। वे लोग रोटी के साथ चटनी और नमक लेते हैं।

यह बात न केवल महात्मा गांधी ने ही कही बल्कि श्री गोखले और कई यूरोपीयों ने भी। फ्रांस में नमक कर का कड़ा विरोध किया गया था। भारत में दादा भाई नौरोजी वाचा, फिरोजशाह मेहता और गोखले ने इसके विरुद्ध वर्षों तक संघर्ष किया था। जो लोग ऐसा कहते हैं वे शायद गरीबों की भावनाओं की परख नहीं करते हैं।

माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि नमक से ३० करोड़ रुपयों की आय हो सकती थी। नमक का उत्पादन १९६२ में ३९ लाख टन था इसमें से केवल २५ लाख टन पर उत्पादन कर लगाया जा सकता था। यदि हम नमक पर ३ रु० प्रतिमन कर लगायें तो भी अधिक से अधिक २० करोड़ की आय हो सकती है। अतः इससे अधिक आय भी नहीं होगी और गरीबों पर आघात भी अधिक होगा।

कुछ लोगों ने मद्य निषेध के सम्बन्ध में कहा है। मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने मद्य निषेध के बारे में यह कहा है कि यदि मुझे एक मिनट को भारत का तानाशाह बनने का अवसर दिया जाये तो मैं सारी शराब की दुकानें बन्द करवा दूंगा तथा कारखाने के मालिकों से कहूंगा की वे अपने मजदूरों के लिये मनोरंजन गृहों और जलपान गृहों की व्यवस्था करें जहां कि

---

†मूल अंग्रेजी में

उनको स्वस्थ आमोद प्रमोद प्राप्त कर सकें । जो ऐसे आमोद प्रमोद की व्यवस्था नहीं कर सकता उस कारखाने को बन्द कर दिया जायेगा । कुछ माननीय मित्रों ने मितव्ययता करने की सलाह दी है। प्रशासन व्यय में प्रतिवर्ष ६० से ८० करोड़ तक की वृद्धि होती है तथापि इस वर्ष केवल १८ करोड़ की वृद्धि की गयी है इस में से भी १४ करोड़ सीमान्त क्षेत्रों की पुलिस के लिये तथा २ करोड़ सिक्किम व भोटान के लिये और २ करोड़ आकस्मिक व्यवस्था के लिये रखा गया है । तीन सचिवों की एक समिति इस बात पर विचार कर रही है कि जहां आवश्यकता हो वहां आवश्यक कर्मचारी रख दिये जायें तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त न किया जाये ।

हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि कुछ सरकारी मासिक पत्रों का प्रकाशन रोक दिया जाये इससे कागज और रुपये की बचत होगी ।

हम यात्रा भत्तों में कटौती कर रहे हैं। इसके लिये अनुदानों में १० प्रतिशत कटौती कर दी गयी है । गोष्ठियां, सम्मेलन इत्यादि तभी किये जायेंगे जब वे आवश्यक होंगे । विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल भी समाप्त कर दिये गये हैं। प्रतिनिधि मंडल विदेशों को तभी बाहर भेजे जायेंगे जब उनका बाहर भेजना अत्यावश्यक होगा ।

अब मैं अनिवार्य बचत का प्रश्न लेता हूं इस के पहिले मैं लोक लेखा समिति की इस आलोचना के संबंध में भी कुछ बताना चाहता हूं कि बजट में राजस्व संबंधी अनुमान कम लगाये जाते हैं। श्री याज्ञिक ने कहा है कि बजट में १२० करोड़ का अनुमान कम लगाया गया है जब कि वास्तविक संख्या १२० लाख है ।

१५०० मामले ऐसे हैं जिन में १०,००० रु० से कम की गलती हुई है और ५५ से ६५ मामले ऐसे हैं जिन में १०,००० रु० से अधिक गलतियां की गयी हैं। तथापि मंत्रालय इस पर निरंतर विचार करता रहता है। इनमें अधिकांश गलतियों का कारण यह है कि हिसाब गलत लगाया गया है। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि आगे से इस प्रकार की कोई गलती नहीं हो ।

जब नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक स्वयं राजस्व बोर्ड के सभापति और सचिव थे तब भी इस प्रकार की गलतियां होती थी ।

इसके अतिरिक्त यदि आय अधिक और व्यय कम होता है तो भी हम देश को दिवालियेपन से बचाते हैं। हमें यह समझना चाहिये कि इस प्रकार की गलतियां क्यों होती हैं। जब हम बजट बनाते हैं तो उसका आधार पिछले १२ या १४ महीने के आंकड़े होते हैं और क्योंकि बजट जुलाई महीने से बनना आरम्भ हो जाता है इसलिये हमारे आंकड़े नवीनतम नहीं होते हैं।

इसी प्रकार व्यय का हिसाब भी योजना के व्यय के अनुरूप लगाया जाता है, तथापि कई मामलों में अपेक्षित व्यय नहीं हो पाता है। निस्संदेह जहां तक आय का प्रश्न है हम बहुत वास्तविक रुख अपनाते हैं। तथापि एक वर्ष को छोड़ कर कभी की अधिक राशि नहीं रही । यद्यपि पिछले वर्ष ११९ करोड़ रुपये अतिरिक्त आय प्राप्त हुई तो भी २४० करोड़ का घाटा रहा। अतः ऐसी बात दोनों ओर हो सकती है जिसके लिये हमें तैयार रहना होता है। मेरे विचार से इस में गलती नहीं समझी जानी चाहिये ।

खाद्य तैलों से शुल्क इस कारण हटा लिया गया है कि गरीबों को चिकनाई केवल इसी से प्राप्त होती है, अतः उस में राजस्व की छूट देना उचित है । यह कहना गलत है कि

[श्री मोरारजी देसाई]

मिट्टी के तेल पर ३०० प्रतिशत कर लगाया गया है। मिट्टी तेल की एक बोतल जो २४ नये पैसे की आती थी अब वह ३४ नये पैसे की आयेगी। अतः पिछले वर्ष से इस पर केवल ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

†**एक माननीय सदस्य** : उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इसे नगण्य नहीं कहता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ऐसा करना मेरे लिये अनिवार्य है। इसके लिये अन्य कोई कारण नहीं।

†**एक माननीय सदस्य** : इस पर पुनः विचार कीजिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : कोई भी हर किसी वस्तु के विषय में वर्ष भर और आगामी वर्ष भी पुनः विचार करता रहता है।

†**एक माननीय सदस्य** : पोस्ट कार्डस के सम्बन्ध में क्या है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : पोस्टकार्डों पर प्रति वर्ष हमें ३ करोड़ रुपये की हानि होती है। मैं नहीं समझता कि उस प्रकार की सेवा उचित होगी। यदि हम ५ नये पैसे से बढ़ा कर ६ नये पैसे कर दें तो १ करोड़ रुपये की हानि कम हो जायेगी। फिर भी २ करोड़ रुपये की हानि रह जायेगी। हम इस बात का प्रयास करके देखेंगे कि क्या पोस्टकार्ड सस्ते तैयार किये जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने ही पोस्टकार्ड का उपयोग करता है तो उसे टिकट लगाना पड़ता है। किन्तु उसे साथ ही ६ नये पैसे और देने होंगे। हम उसे पूरा पोस्टकार्ड देकर उसकी कुछ बचत करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि ५ के स्थान पर ६ नये पैसे ही अच्छे रहेंगे।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या तर्क है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जीवन तर्क यह नहीं है —यह सर्वदा तर्क नहीं है। अन भी अवश्य ही तर्क नहीं है।

†**एक माननीय सदस्य** : इन्द्रजाल।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह इन्द्रजाल उन्हीं के लिये है जिनमें इसे समझने की बुद्धिमत्ता नहीं है।

अनिवार्य बचत एक नया कदम है। यह बजट में एक नई विशेषता है। किन्तु यह विचार नया नहीं है। इसके विषय में गत १० अथवा १२ वर्षों से विचार किया जा रहा है। किन्तु अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया था। अब जिन परिस्थितियों में हम कार्य कर रहे हैं उनमें हमें विनिधान के लिये लोगों की बचत की राशि शनैः शनैः बढ़ानी है। यदि हम ऐसे कदम नहीं उठाते जिससे हर व्यक्ति बचत करने लगे, तो मुझे भय है कि जैसा हमें चाहिये, बचत करने का स्वभाव उत्पन्न नहीं होगा। यह सच है कि निम्न स्तर पर लोगों की आय इतनी नहीं है कि जिसे समुचित से अधिक अथवा समुचित ही कहा जा सके। मैं इसे स्वीकार करता हूं। किन्तु फिर भी यदि इन लोगों को अपनी स्थिति सुधारनी है, और यदि इन्हें अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाये रखना है तो कुछ साधन बनाने पड़ेंगे। आखिर यह गरीब लोगों का ही देश है और यदि उन्होंने ही कुछ नहीं दिया

†मूल अंग्रेजी में

तो और कौन देगा। यह कर नहीं है। यह तो अनिवार्य बचत है जो लोग करते हैं। हमारे देश की ही बात लीजिये। हम सब देशों से विदेशी मुद्रा उधार ले रहे हैं। हमें उन्हें ब्याज की ऊंची दर देनी है। किन्तु फिर भी हम अपने पड़ौसी राष्ट्रों को सहायता दे रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिये। वरना हम दूसरी चीजों को प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इसी सादृश्यता को देखते हुये मेरी दृष्टि में यह भी आवश्यक है कि यदि गरीब लोगों को सामर्थवान बनाना है, तो यह अच्छा है कि वह बचत करें। इसी लिये यह पग उठाया गया है। किन्तु यह नई बात है और इसके प्रबन्ध भी नये ही होंगे। इसलिये सारी समस्या का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। हम इसमें शनैः शनैः सुधार करने का प्रयास करेंगे किन्तु इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह बहुत आवश्यक योजना है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे संसाधनों को संचित करने का समर्थन करें क्योंकि यह संसाधन देश की सुरक्षा के लिये सीमान्त के लिये और विकास के लिये बहुत आवश्यक हैं। मतभेद कुछ भी हों, यह केवल वित्त मंत्री और उसके सहयोगियों का ही कर्तव्य नहीं कि राजस्व एकत्रित करें। यह सभी व्यक्तियों और नागरिकों का कर्तव्य है, यदि वह चाहते हैं कि कल्याण राज्य की शीघ्र स्थापना हो, कि बजट के पारित होने के पश्चात् राजस्व एकत्रित किये जायें। अभी इसमें परिवर्तन करने के लिये काफी समय है। जब तक इस में परिवर्तन न हो जायें और यदि इस में परिवर्तन न हों, तो यही समझा जायेगा कि सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। एक बार इसे स्वीकार किये जाने के पश्चात् प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य हो जायेगा कि संसोधन एकत्रित किये जायें और इस में कोई रुकावट न डाली जाये।

लेखानुदानों की मांगें, १९६३-६४

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं वर्ष १९६३-६४ के लिये लेखानुदानों की मांगें प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या यह प्रस्ताव लेखानुदान पर नियम २१४ के अधीन है?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस मद और अगली दो मदों के सम्बन्ध में, नियमों के अधीन, सारी प्रक्रिया सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध है।

नियम २१४ (२) में कुल अनुदान में कमी के लिये संशोधन प्रस्तुत करने का उपबन्ध है। हमें संशोधनों की सूचना देने के लिये कोई समय नहीं मिला। इसलिये नियमों के अन्तर्गत मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सोमवार तक के लिये स्थगित कर दिया जाये जिससे हम संशोधनों की सूचना दे सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनकी जानकारी के लिये कहूंगा कि गत १० वर्षों से लेखानुदान का विषय एक नियमित प्रक्रिया है। यह एक सीमित काल के लिये ही लिया जाता है। सदस्यों को मांगों पर चर्चा करने का अवसर बाद को भी मिल जाता है और

---

†मूल अंग्रेजी में

यह परिपाटी १९५१ से चली आ रही है । यदि यह अधिक काम के लिये, ३ अथवा ४ माह के लिये होता, तो हम इस पर कुछ समय लगाते। इसलिये सभा मे पिछले कुछ वर्षों से इस अवसर पर केवल औपचारिक मत लिया जाता है और कोई चर्चा नहीं की जाती ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : जब हम मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तब लेखानुदान की क्या आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इसे उस समय से पूर्व समाप्त नहीं कर सकेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब आप इस नियम का पालन नहीं करते तब इसकी क्या आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अपनी प्रक्रिया स्वयं निश्चित करती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जहां तक नियमों का सम्बन्ध है आप स्वामी हैं। जब तक आप सभा को यह न बतायें कि यह नियम निलम्बित कर दिया गया है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : जब भी ३ अथवा ४ माह के लिये लेखानुदान मांगे जाते हैं हम इस पर चर्चा के लिये समय रखते हैं और संशोधन और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये भी कहते हैं। किन्तु जब यह कुछ ही दिनों के लिये हो . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उचित तो यही है कि नियम ३८८ के अधीन इस नियम को निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक-सभा के क्रिया तथा प्रकार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २१४ के उप-नियम (२) और (४) को १९६३–६४ के आयव्ययक (सामान्य) के लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रस्ताव नियम ३८८ के अधीन आपकी सम्मति से प्रस्तुत किया जाना चाहिये । क्या आपने अपनी सम्मति दे दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब मैं से मतदान के लिये रख रहा हूं तो इसका यही अर्थ है कि मैंने अपनी सम्मति दे दी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप को ऐसा स्पष्ट रूप से कहना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं जब मैं स्वयं ही इसे मतदान के लिये रख रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २१४ के उप-नियम (२) और (४) को १९६३–६४ के आयव्ययक (सामान्य) के लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम २१४ के उप-नियम (२) और (३) निलम्बित किये गये । अब मैं मांगों को मतदान के लिये रखता हूं ।

वर्ष १९६३-६४ के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	६,३७,०००
२	उद्योग	१,८०,६६,०००
३	नमक	५,२०,०००
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े	७,९०,०००
५	वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३०,९१,०००
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२,४४,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकार	३२,९६,०००
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	४,५१,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी	६०,२८,८९,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी	१,५७,५०,०००
११	अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय	१,४०,०००
१२	संभरण तथा निपटान	२९,८०,०००
१३	अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	४,७४,०००
१४	शिक्षा मंत्रालय	३,९७,०००
१५	शिक्षा	१,४०,४२,०००
१६	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२०,५९,०००
१७	आदिम जाति क्षेत्र	१,१४,०९,०००
१८	नागा पहाड़ियां —त्वेनसांग क्षेत्र	५०,४४,०००
१९	वैदेशिक-कार्य	१,४०,६५,०००
२०	पांडिचेरी राज्य	३१,३९,०००
२१	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	१,१७,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२२	गोआ, दमन और दीव	५८,६५,०००
२३	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	४०,२३,०००
२४	वित्त मंत्रालय	१५,६२,०००
२५	सीमा-शुल्क	३४,८०,०००
२६	संघ उत्पादन शुल्क	८७,७८,०००
२७	निगम कर आदि सहित आय पर कर	५७,३६,०००
२८	मुद्रांक	२५,३८,०००
२६	लेखा परीक्षा	१,०६,२६,०००
३०	चल मुद्रा और सिक्के	७७,६०,०००
३१	टकसाल	२१,०४,०००
३२	कोलार की सोने की खाने	४६,५१,०००
३३	पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ	८८,७५,०००
३४	प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेन्शनें	१,६१,०००
३५	अफीम	२,४७,०३,०००
३६	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	७,३५,३०,०००
३७	योजना आयोग	७,६४,०००
३८	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	१२,७८,०६,०००
३६	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२,०६,०००
४०	विभाजन पूर्व के भुगतान	७६,०००
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	६,८६,०००
४२	कृषि	२६,६५,०००
४३	कृषि अनुसन्धान	४१,१०,०००
४४	पशु-पालन	८,०६,०००
४५	वन	८,८८,०००
४६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,६४,६७,०००
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय	१,६१,०००
४८	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	८५,४३,०००
४६	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५,६२,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
५०	गृह-कार्य मंत्रालय	३७,०१,०००
५१	मंत्रिमंडल	३,७९,०००
५२	क्षेत्रीय परिषदें	२०,०००
५३	न्याय प्रशासन	२५,०००
५४	पुलिस	१,३४,६७,०००
५५	जनगणना	७,७९,०००
५६	आंकड़े	१५,८९,०००
५७	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	१,३४,०००
५८	दिल्ली	१,५६,५३,०००
५९	हिमाचल प्रदेश	९२,०४,०००
६०	अन्देमान और निकोबार द्वीप समूह	२४,६१,०००
६१	मनीपुर	३७,६८,०००
६२	त्रिपुरा	९६,१६,०००
६३	लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह	२,२९,०००
६४	गृह-काय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२६,२४,०००
६५	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	१,४६,०००
६६	प्रसारण	४६,८२,०००
६७	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३३,०५,०००
६८	सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	२,२७,०००
६९	बहुद्देशीय नदी योजनायें	९,९३,०००
७०	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	४५,६१,०००
७१	श्रम और रोजगार मंत्रालय	२,२६,०००
७२	मुख्य खान निरीक्षक	२,३३,०००
७३	श्रम और रोजगार	६८,६०,०००
७४	श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१७,१६,०००
७५	विधि मंत्रालय	३,३९,०००
७६	निर्वाचन	११,६०,०००
७७	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३६,०००
७८	खान और ईंधन मंत्रालय	२,०७,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७९	भूतत्वीय सर्वेक्षण	३४,६२,०००
८०	खान और ईंधन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१,०२,०४,०००
८१	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय	३,११,०००
८२	पुरातत्व	९,२४,०००
८३	भारत का सर्वेक्षण	३०,१०,०००
८४	वानस्पतिक सर्वेक्षण	२,३२,०००
८५	प्राणिकीय सर्वेक्षण	१,६५,०००
८६	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य	१,४६,४७,०००
८७	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	४,७२,०००
८८	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय	२,६०,०००
८९	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,५७,६०,०००
९०	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	८,५२,०००
९१	ऋतु विज्ञान	१७,६१,०००
९२	केन्द्रीय सड़क निधि	३६,२५,०००
९३	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित)	६१,४९,०००
९४	वाणिज्य नौवहन	८,३०,०००
९५	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत	९,२०,०००
९६	उड्डयन	४५,९५,०००
९७	समुद्रपार संचार सेवा	११,६६,०००
९८	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२७,४०,०००
९९	भारतीय डाक-तार विभाग (कार्य-संचालन व्यय सहित)	७,९७,२१,०००
१००	सामान्य राजस्व को डाक व तार का लाभांश और रक्षित निधि की विनियोग	१,६६,४३,०००
१०१	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय	७,४७,०००
१०२	लोक-निर्माण-कार्य	२,८७,५४,०००
१०३	लेखन-सामग्री और छपाई	८१,१८,०००
१०४	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	६९,९९,०००
१०५	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	६,४६,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०६	अणु शक्ति विभाग . . .	१,३१,०००
१०७	अणु शक्ति अनुसंधान	७०,८४,०००
१०८	संसद्-कार्य विभाग	२७,०००
१०९	लोक-सभा	८,०२,०००
११०	लोक-सभा का अन्य राजस्व व्यय . .	४२,०००
१११	राज्य सभा . . .	३,५९,०००
११२	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . . .	१०,०००
११३	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	९६,४०,०००
११४	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	२,६६,०००
११५	प्रतिरक्षा पूंजी परिव्यय	१३,२३,०८,०००
११६	अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	८,०००
११७	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	१३,०००
११८	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	१०,२५,०००
११९	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी परिव्यय . .	१,५५,०००
१२०	चलमुद्रा और सिक्के पर पूंजी परिव्यय .	१,१९,५६,०००
१२१	टकसालों पर पूंजी परिव्यय . . .	१,५४,०००
१२२	कोलार को सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय .	२९,९४,०००
१२३	पेन्शनों का परिगणित मूल्य . . .	८,८३,०००
१२४	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	५,३६,३८,०००
१२५	राज्यों के विकास के लिए पूंजी परिव्यय . .	२,०४,८२,०००
१२६	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन	१९,५४,५०,०००
१२७	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	८३,०००
१२८	खाद्यान्नों का क्रय . . .	२९,७३,००,०००
१२९	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	५,४७,९५,०००
१३०	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	७७,४६,०००
१३१	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	६,११,०००
१३२	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	२४,८०,०००
१३३	बहुउद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	८५,७२,०००
१३४	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	१,५१,५५,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१३५	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	७,०००
१३६	खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	४,३६,९८,०००
१३७	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	२५,६२,०००
१३८	इस्पात, और भारी उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	११,९१,२४,०००
१३९	सड़कों पर पूंजी परिव्यय . . .	५,१९,२७,०००
१४०	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय . . .	५८,५३,०००
१४१	असैनिक उड्डयन पर पूंजी परिव्यय . . .	३०,४८,०००
१४२	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	६०,५२,०००
१४३	भारतीय डाक व तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं दिया गया) . . .	३,२२,६३,०००
१४४	लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	६६,१७,०००
१४५	दिल्ली पूंजी परिव्यय . . .	६५,६७,०००
१४६	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	७५,६९,०००
१४७	अणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . .	१,३७,२०,०००

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री हरिविष्णु कामत** : यह प्रस्ताव नियम ७४ के दूसरे परन्तुक के विरोध में है ; इसे भी नियम ३८८ के अधीन निलम्बित किया जाये । इसमें यह दिया गया है कि जब तक विधेयक की प्रतियां सदस्यों के प्रयोग के लिये उपलब्ध न करा दी जायें, यह प्रस्तुत न किया जाये । हमें अभी इसकी प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अन्य सदस्यों को इसकी प्रतियां मिल गई हैं ?

†**श्री सेझियान** : यह हमें परिचालित नहीं की गयीं ।

†**एक माननीय सदस्य** : मेरे पास एक प्रति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें कहां से मिलीं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : डाक के साथ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह परिचालित कर दी गई हैं । नियम ७४ के दूसरे परन्तुक को निलम्बित करने की आवश्यकता नहीं ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडों को लेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १६५६, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य सम्बन्धी बिक्री पर कर लगाने का भी उपबन्ध है। अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में यह उपबन्ध है कि सरकार अथवा अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यापारियों को की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री पर उसके १ प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा। यह दर १६५६ में अधिनियम को बनाते समय निर्धारित की गयी थी और तब से इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया। समस्त उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त करने की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुये इस सामान्य दर को १ प्रतिशत से बढ़ा कर २ प्रतिशत कर देने का विचार है। जहां तक उपभोक्ताओं अथवा अपंजीकृत व्यापारियों को अन्तर्राज्यीय बिक्री का प्रश्न है धारा ८ की उपधारा २ में यह उपबन्ध किया गया है कि इस पर ७ प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा। इस दर को बढ़ा कर १० प्रतिशत कर देने का विचार है ।

संविधान के अनुच्छेद २६६(१)(छ) के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय कर पर कर से प्राप्त राजस्व राज्यों का होता है। अधिनियम की धारा ६ तदनुसार, यह उपबन्ध करती है कि अधिनियम के अधीन कर, केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लगाया और उगाहा जायेगा और इसकी प्राप्ति राज्य सरकार के पास रहेगी। तथापि संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्राप्ति भारत की संचित निधि का अंग बनेगी। गत वर्ष के कर संग्रह के आधार पर और वृद्धि की गति तथा प्रस्तावित वृद्धि का अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रभाव देखते हुये यह आशा की जाती है कि प्रस्तावित उपाय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व में, वर्ष भर में, ३० करोड़ रुपये तक की वृद्धि कर देगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पाठासीन हुए।]

इसमें संघ राज्य-क्षेत्रों की प्राप्ति १.५ करोड़ रुपये होगी। तथापि १६६३–६४ में अतिरिक्त राजस्व वर्ष के तीन चौथाई भाग में होगा और यह लगभग २२.५ करोड़ रुपये होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात के कारण कि केन्द्रीय बिक्री कर की दर में कोई भी वृद्धि या कमी राज्य राजस्व पर प्रभाव डालती है, इस उपाय को प्रस्तुत करने के पूर्व राज्य सरकारों का परामर्श प्राप्त कर लिया है। मैं यह भी कह सकता हूं कि उनमें से अधिकतर ने प्रस्ताव का स्वागत किया है।

उपर्युक्त बातों को देखते हुये मैं अनुभव करता हूं कि सभा मेरी इस बात से सहमत हो जायेगी कि विधेयक के उपबन्ध विवादास्पद नहीं हैं और मैं विश्वास करता हूं कि सभा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लेगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १६५६, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री हरिविष्णु कामत** : इस विधेयक के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

†**श्री बड़े** : २ घंटे।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता–पूर्व) : श्री मोरारजी देसाई के भाषण के पश्चात्.....

†**श्री हरिविष्णु कामत** : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता—पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं श्री मोरारजी देसाई द्वारा अपने भाषण में कही गई बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं। और उनके भाषण के तुरन्त बाद एक और विवादास्पद विधेयक पेश कर दिया गया है। इस विधेयक का प्रभाव व्यापारियों पर होगा, और वह इस कर का अपवंचन करेंगे। मैं जानता हूं कि पश्चिमी बंगाल और बिहार और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में इस कर से बचने के लिये तस्कर व्यापार किया जाता है। इसका पहला परिणाम यह होगा कि तस्कर व्यापार में वृद्धि होगी। इससे जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक की कार्यान्वित से ३० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय आय के प्राक्कलनों से प्रतीत होता है कि १६४८-४६ से १६६१–६२ के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। ऐसी अवस्था में अतिरिक्त कर जनता के कष्टों को बढ़ायेगा। यह अप्रत्यक्ष कर है और आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रत्यक्ष कर भी १६४८–४६ से १६६१-६२ के दौरान ४०० प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष बजट की घोषणा के बाद मूल्य बढ़ गये हैं। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को पारित कर जनता से और धन प्राप्त करना वांछनीय होगा।

यह कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास और प्रतिरक्षा के लिये करों का बढ़ाया जाना और नये कर लगाया जाना आवश्यक हैं। हम इससे सहमत है; किन्तु इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई ने यह प्रश्न रखा था कि यदि ऐसा नहीं किया जाये तो दूसरा वैकल्पिक उपाय क्या है ? मैं कहता हूं बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाता ? उसमें हमें काफी

†मूल अंग्रेजी में।

प्राप्ति हो सकती है। जब बर्मा जैसे छोटे राष्ट्र ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

दूसरे मार्ग भी हैं। बर्मा ने चावल और इमारती लकड़ी के व्यापार को अपने हाथ में ले लिया है। बिना लोगों पर अतिरिक्त कर लगाये वह राष्ट्र के विकास में प्रयत्नशील है।

बजट में २७५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं किन्तु अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ष के अन्त में वास्तविक राशि ५०० करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी ।

इसलिये मैं कहता हूं कि जनता पर और अधिक करों का भार न लादा जाये।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : इस विधेयक से मूल्यों में वृद्धि होगी। बिक्री कर में ३ प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस प्रकार मूल्यों में भी ३ तिशत ी वद्धि होगी।

जब किसी राज्य में माल खरीदा जाता है तब यह कह कर कि बिक्री हो चुकी है उससे राज्य बिक्री कर ले लिया जाता है। और जब वह उस राज्य से बाहर जाने लगते हैं तब केन्द्रीय बिक्री कर लिया जाता है।

जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना जाता है तब उस पर केवल केन्द्रीय बिक्री कर ही लिया जा सकता है; किन्तु अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि कर दो बार लिया जाता है ।

एक मामले में एक अधिकारी ने एक व्यापारी से केन्द्रीय बिक्री कर और दूसरे कर देने के लिये कहा । उस व्यापारी ने अपील कर दी। ३ वर्ष तक उस अपील पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और इसके बाद वह अपील खारिज कर दी गई।

इस कर को ३ प्रतिशत बढ़ा देने से सब वस्तुओं के मूल्य ३ प्रतिशत बढ़ जायेंगे ।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस बात की जांच करें कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम किस प्रकार लागू किया जाता है।

एक ही माल पर राज्य बिक्री कर और केन्द्रीय बिक्री कर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही माल दो बार, एक बार राज्य में और फिर राज्य के बाहर, नहीं बेचा जा सकता।

काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकारों ने और भारत सरकार ने एक कम्पिटीशन सा कर लिया है सेल्स टैक्स को लगाने में । वे इस के असर को भी देखने के लिये तैयार नहीं हैं कि इस का क्या नतीजा होने जा रहा है: अभी-अभी जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं उन्होंने अपने सेल्स टैक्स हर चीज में बढ़ा दिये हैं, और केवल हर चीज में ही नहीं बढ़ा दिया है बल्कि उन चीजों पर भी लगा दिया है जिन पर पहले नहीं लगता था। राजस्थान सरकार ने फूड ग्रेन्स के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया है, उस के ऊपर हम कहते हैं कि प्राइस लाइन को रोकने के लिये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिये । ऐसी दशा में ऐसा प्रतीत होता है कि फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय ने इस बात की तकलीफ नहीं गवारा की कि वह देखें कि जो

†मूल अंग्रेजी में ।

कुछ टैक्सेशन उन्होंने इस समय किया है और जो प्रदेश सरकारें करने जा रही हैं, उन सब के क्या नतीजे होने जा रहे हैं, और उन को देखते हुये क्या इस सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल को लाने की जरूरत थी ।

मैं निवेदन करूंगा कि अभी अभी बहुत सी बात हुई हैं और हमारे वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में कहा है कि उन्होंने ऐसा टैक्सेशन नहीं किया जिससे जनसाधारण की, गरीबों की जरूरत की चीजों पर असर पड़े । लेकिन यह सेल्स टैक्स ऐसा है जिसका असर सीधा जनसाधारण की जरूरत की चीजों पर पड़ेगा । इसलिये कोई वजह नहीं कि इस सेल्स टैक्स को लगाया जाय । इसके नतीजे न केवल यह होंगे कि कीमतें बढ़ेंगी बल्कि इसका नतीजा यह भी होगा कि सीधा भ्रष्टाचार बढ़ेगा । स्पष्ट है कि सेल्स टैक्स के मामले में भ्रष्टाचार होता है । यह सेल्स टैक्स भी वही अफसर लगाते हैं जो राज्यों में सेल्स टैक्स लगाते हैं । इस के लिये कोई मशीनरी यहां की नहीं होती है । इसलिये इस में भी कुछ करप्शन के होने का अन्देशा है ।

इस के अलावा मैं यह अर्ज करूं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे कि दिल्ली है, जहां से लोग माल ले जाते हैं । उनकी यह मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाती है । अगर सेल्स टैक्स के लगाने का यह मंशा है कि लोग अपने व्यापार को खत्म कर दें, व्यापारियों का दिल्ली आना कम हो जाय तो बात दूसरी है । इस सेल्स टैक्स का क्या नतीजा होगा यह हम अच्छी तरह जानते हैं । अभी अभी हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि वह टैक्स जिस से व्यापार ठप्प होता हो, जिस से पैदावार ठप्प होती हो, उसे नहीं लगाना चाहिये । लेकिन क्या वित्त मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस से इन्टर स्टेट व्यापार ठप्प नहीं होगा ? अब तक जो व्यापार होता था उस में बहुत कमी हो जायेगी ।

इसके अतिरिक्त जो सब से ज्यादा आश्चर्य की बात है वह यह कि अनरजिस्टर्ड डीलर्स का टैक्स बढ़ रहा है ७ प्रतिशत से १० प्रतिशत । इसका कारण मैं समझ नहीं सकता । अनरजिस्टर्ड डीलर जो हैं उन में कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं । इस के माने यह हैं कि कंज्यूमर्स दोहरी मार से मरे अगर कोई आदमी राजस्थान का दिल्ली से माल ले जाना चाहता है अपनी खपत के लिये तो वह अनरजिस्टर्ड डीयर की परिभाषा में आ जायेगा और उस को १० परसेन्ट देना पड़ेगा । या तो फिर वह चोरी करेगा और कहेगा कि मैं यहां का ही रहने वाला हूं और यहां का सेल्स टैक्स लो। चूंकि यहां के लोग सैल्स टैक्स देते नहीं हैं सलिये वह वगैर सेल्स टैक्स दिये अपना माल ले जायेगा । इस चीज से किस को लाभ होने वाला है ? क्या सरकार यहां इस बात को रखना चाहती है कि जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उन का व्यापार इससे बढ़ेगा या तरक्की करेगा ? मैं यहां इस बात को रखना चाहता हूं कि इस से उस में रुकावट आयेगी । इससे उन की तरक्की होने वाली नहीं है क्योंकि अनरजिस्टर्ड डोलर के नाम पर जो लोग पहले ७ परसेन्ट देते थे उन को अब १० परसेन्ट देना होगा । जो फर्क पहले ६ परसेन्ट का था अब वह ८ परसेन्ट का हो गया है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डीलर में । यह फर्क किस कारण से हो गया है यह भी मंत्री महोदय ने बतलाने की कृपा नहीं की है ।

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रकार की जो बातें रक्खी जाती हैं और उनका कारण भी नहीं बतलाया जाता है, इस से महंगाई और बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा । सिवा इस के और कोई नतीजा इस का होने वाला नहीं है । इस में अनरजिस्टर्ड डीलर की बात इस लिये रक्खी गई थी कि ट्रेड का फ्लो ठीक रहे और रजिस्टर्ड लोगों के जरिये से यह काम हो । लेकिन इस प्रकार का फर्क रखने का मतलब यह हो जाता है कि लोगों के अन्दर चोरी की वृत्ति बढ़े, लोग टैक्स से जी चुरायें । क्योंकि जितने भी टैक्स का बोझ आप जनता के ऊपर लादते चले जायेंगे और जितने भी कानून बनायेंगे उन पर अमल का नतीजा वही होता है जिस प्रकार लोग शराब के बड़े बड़े ठेके लेते हैं । वहां पर महंगाई होने से इल्लिसिट लिकर बढ़ जाती है । इल्लिसिट लिकर वहां

[श्री काशी राम गुप्त]

हीं नहीं बढ़ती है जहां पर शराबबन्दी होती है बल्कि वहां बनती है जहां पर वह महंगी हो जाती है। इसलिये इस प्रकार के सेल्स टैक्स के लगाने से जिस से लोगों को मौका मिले चोरी करने का, वह चोरी और भी आगे बढ़ेगी। क्या सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध हो गई है कि वह ऐसे कानून बनाये जिस से चोरी की मात्रा बढ़ती चली जाय ... और लोगों का नैतिक पतन होता चला जाए। अतः मैं निवेदन करूंगा कि खास तौर से इस इमरजैंसी के समय जब कि टैक्स बढ़ रहे हैं और जब कि हर राज्य सरकार अपने यहां सेल्स टैक्स बढ़ा रही है, उस समय इस सेल्स टैक्स को लगाना किसी तरह से उचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब दृष्टियों से इस सेल्स टैक्स बिल को वापस ले लिया जाए और इसको न लगाया जाए।

†श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं बिक्री कर का समर्थक नहीं हूं। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये इस विधेयक को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है।

यह कर ७ वर्ष पहले लगाया गया था और अब समय आ गया है कि इसकी दर में परिवर्तन किया जाये। इसके लिये कई कारण भी हैं। हाल ही में केन्द्र ने रिजर्व बैंक को राज्यों की ओर से ऋण के भुगतान के रूप में ७६ करोड़ रुपये के लगभग दिये थे। विधेयक के पारित होने के पश्चात् राज्यों को ३० करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

बजट में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में परिवर्तन का भी उपबन्ध है जिससे राज्यों को ९.६ करोड़ रुपये के लगभग प्राप्ति होगी। और अनिवार्य बचत योजना की राशि का कुछ अंश भी राज्यों को मिलेगा।

मेरा एक सुझाव यह है कि इस कर को केन्द्रीय विषय बना दिया जाये। हां, यथापूर्व इसका कुछ अंश राज्यों को भी दिया जाये। इस विषय में कुछ व्यापारिक संस्थाओं ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सैंट्रल सेल्स टैक्स बिल मूल बिल के सेक्शन ८ में यह संशोधन करने के लिये लाया गया है कि एक पर सेंट की जगह दो परसेंट कर दिया जाए और ७ परसेंट की जगह १० परसेंट कर दिया जाए। अभी बजट के द्वारा हमारे ऊपर टैक्स लगाए गए हैं और अब यह इनडाइरेक्ट टैक्स और हमारे ऊपर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जितने भी टैक्स बढ़ेंगे उतनी ही महंगाई भी बढ़ेगी। शासन चाइना के एग्रेशन के नाम पर टैक्स बढ़ाता चला जा रहा है मानों उसने एक मंत्र अपने हाथ में ले लिया है और इमरजैंसी के नाम पर टैक्स बढ़ा रहा है। शासन ने जो यह एक परसेंट से दो परसेंट टैक्स किया है इसका परिणाम यह होगा कि वस्तुओं का दाम दूना हो जाएगा। और अनआथोराइज्ड डीलर्स पर ७ परसेंट से १० परसेंट करने में शासन ने कौन सी युक्ति बतलायी है। मैं तो कहता हूं कि शासन अपनी झ्विम से ऐसा करता रहता है, इसके पीछे कोई युक्ति नहीं है। मैं पूछता हूं कि ७ परसेंट से १४ परसेंट क्यों नहीं कर दिया। कौन सा क्रायटेरिया शासन ने अपने हाथ में लिया है समझ में नहीं आता।

दूसरे मैंने देखा है कि यह सेल्स टैक्स इवेड बहुत होता है। अगर कोई आदमी दिल्ली में ५० हजार का माल लेता है तो वह कहता है कि मैं बिना रसीद के माल ले लूंगा जिससे मुझे

†मूल अंग्रेजी में

सेल्स टैक्स न देना पड़े। इस तरह से वह इस टैक्स को इवेड करता है। और फिर अपनी एकाउंट बुक्स में उस माल की खरीदी नहीं दिखलाता और उसको बेचता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार को इनकम टैक्स का भी नुकसान होता है। इस तरह से सेल्स टैक्स बढ़ाने से एक तरफ महंगाई बढ़ती है और दूसरी तरफ सेल्स टैक्स का इवेजन होता है और इनकम टैक्स का भी नुकसान होता है। शासन ने मनमाने ंग से १ परसेंट का २ परसेंट कर दिया है और ७ परसेंट का १० परसेंट कर दिया है। और इसका कोई कारण बताया नहीं है। इस कर से ३० या ४० करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। इसके बारे में शासन ने केवल यह बताया है कि यह कर इमरजेंसी के कारण लगाया जा रहा है। इससे महंगाई बढ़ेगी, इस टैक्स का इवेजन होगा और इनकम टैक्स की हानि होगी। साथ ही साथ स्मगलिंग बढ़ेगा।

मेरा विचार है कि सारे देश में एक सा यूनीफार्म सेल्स टैक्स होना चाहिए था। और यह सेल्स टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स हो। आज हर राज्य में सेल्स टैक्स की दरें अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश में अलग रेट है और बम्बई में अलग रेट है। इससे काफी इवेजन की गुंजाइश रहती है। अगर यूनीफार्म सेंट्रल टैक्स हो तो इवेजन नहीं होगा।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जहां वस्तुएं तैयार हों वहीं पर उन पर सेल्स टैक्स ले लिया जाए और जब वे हैंड्स चेंज करें या एक जगह से दूसरी जगह ले जायी जाएं तो उन पर फिर सेल्स टैक्स न लगाया जाए। अभी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगने के बाद स्टेट का सेल्स टैक्स का भी झगड़ा रहता है जिससे लोगों को कठिनाई होती है। सेक्शन ४ में यह डफीनीशन दिया हुआ है :

> "जहां एक से अधिक स्थानों के लिए वस्तुओं के क्रय या विक्रय का ठेका हो वहां इस उपधारा के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक ऐसे स्थान के लिये, वस्तुओं के सम्बन्ध में, पृथक्-पृथक् ठेका किया गया हो।" "(b) अनिश्चित अथवा भावी वस्तुओं के सम्बन्ध में, उनको क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा बिक्री के ठेके में सम्मिलित किये जाने के समय, चाहे दूसरे पक्ष की सम्मति ऐसा ठेका किये जाने के पहले मिले अथवा बाद में।"

यह दो सैक्शन हैं। सैक्शन ४(२) का ऐक्सप्लेनेशन जो दिया गया है उसके मुताबिक़ यदि यहां प्लेस आफ़ विज़नेस दिल्ली में होने से रजिस्टर्ड डीलर होता है तो एक परसेंट होता है और अगर अनरजिस्टर्ड होता है तो पहले जहां ७ परसेंट लगता था वहां अब उस पर १० परसेंट लगेगा। अब यहां से यदि वह सी फार्म भरता है और डिक्लेरेशन करता है कि हम प्लेस आफ विज़नेस इंदौर ले जा रहे हैं तो क्या होगा। पंजाब से यहां माल दिल्ली आया और दिल्ली से फौरवर्ड कंट्रैक्ट से जिस प्रकार से उनका कंट्रैक्ट होता है वैसे कंट्रैक्ट हो गया और सैक्शन ४ के मुताबिक़ इन्दौर में चला गया तो इस तरह तीसरा कंट्रैक्ट हो गया और इस तरह से उसको दुगुना, तिगुना देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जो सेल्स टैक्स है वह उसको लागू होगा। इसका कारण यह है कि अभी तक क्लिअर आइडिया ही नहीं है कि यहां पर सेल्स टैक्स लगने के बाद वहां सेल स टैक्स लगेगा भी कि नहीं। परिणाम यह होता है कि व्यापारी जितने होते हैं वे यहां से वहां तक कोर्ट्स में धक्के खाते फिरते हैं। बिजनेसमैन इस तरह के हेरेसमेंट और गड़बड़ घुटाले से तंग होकर सेल्स टैक्स को इवेड करने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं कि भाई दस परसेंट के बजाय तुम पांच परसेंट ले लो। हमें भले ही सेल्स टैक्स की रसीद मत दो। माल परचेज कर लिया जाता है लेकिन रसीद नहीं देते हैं। इस प्रकार से सेल्स टैक्स इवेड होता है।

सेल्स टैक्स ऐक्ट जिस तरह से अमल में आता है उससे जनता काफी त्रस्त हो रही है। मैंने देखा है कि यदि सेल्स टैक्स इसपैक्टर सेठ जी की दुकान पर पहुंच जाता है तो उसको आता देख कर

[श्री बड़े]

सेठ जी दुकान से फौरन उठ जाते हैं और टट्टी में चले जाते हैं और जब तक वह दुकान पर बैठा रहता है सेठ जी दुकान पर वापिस नहीं आते हैं। सेल्स टैक्स के कारण लोगों को बड़ी तकलीफ अनुभव होती है। सेल्स टैक्स के बारे में क्लिअर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि आज के दिन नहीं है। अब होता यह है कि सैंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट्स सेल्स टैक्स इन दोनों में आपस में एक कम्पिटीशन चलता है। सैंट्रल सेल्स टैक्स वाले चाहते हैं कि आमदनी अपने पास आये और स्टेट्स सेल्स टैक्स वाले चाहते हैं कि इसकी आमदनी स्टेट्स में आये। और यह जो सेठ जी हैं या बेईमान व्यापारी वहां हैं वे कहते हैं कि एक कंट्रैक्ट हुआ, दो कंट्रैक्ट हुआ। प्लेस आफ बिजनेस दिल्ली नहीं है, प्लेस आफ बिजनेस इंदौर है। **विच इज दी प्लेस औफ बिजनेस** इस पर झगड़ा चलता है। **हाऊ मैनी हड्स आर कैंज्ड**, इसको लेकर झगड़ा चलता है और फिर मामला कोर्ट में जाता है। तीन तीन दफे कंट्रैक्ट हुआ, ऐसा बतलाया जाता है। अब अदालतों में झगड़ा चलता है और नतीजा इसका यह होता है इस तरह से सेल्स टैक्स का इवेज़न ज्यायादा होता है और स्मगलिंग ज्यादा होती है।

गुड्स ओफ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन इंटरस्टेट और कामर्स, इसकी भावना बहुत अच्छी है कि इस तरह के गुड्स के ऊपर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए लेकिन इनके बारे में सैंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट के सैक्शन १५ में यह रैस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगाई गई हैं :—

> (१) इस विधि के अधीन राज्य में ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर दिया जाने वाला कर उनके क्रय अथवा विक्रय मूल्यों के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसा कर एक प्रक्रम से अधिक पर नहीं लगाया जायेगा ;

इसके अनुसार परिणाम यह होता है कि इन स्टेटों में जो दो परसेंट टैक्स पड़ता है उसका दो परसेंट टैक्स लगा सकती हैं। अब यहां टैक्स ज्यादा बढ़ जायगा। सात परसेंट का दस परसेंट कर दिया है। स्टेट्स भी अपने टैक्सेज़ बढ़ाती जायेंगी।

जैसा कि सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट के सेक्शन १४ में कुछ गुड्स के इंटर स्टेट ट्रेड या कामर्स में स्पेशल इम्पोर्टेंस के डिक्लेयर किये गये हैं जैसे कि कोल, कौटेन, हाइड्स एंड स्किंस, पिग आयरन ऐंड आयरन स्क्रैप वग़ैरह, इन के लिए स्टेटों को भी अधिकार दिया है कि वे नौट मोर दैन ४ परसेंट टैक्स लगा सकती हैं। इधर ७ का १० परसेंट हो गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह जो यह सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल लाये हैं आखिर सका मापदंड क्या है। १ का २ परसेंट कर देने से आपको ३० करोड़ रुपया आयेगा लेकिन ७ का १० परसेंट करने से कितना रुपया आयेगा इसका हिसाब भी क्या लगाया गया है? मैंने जोड़ा है। मेरे पास फीगर्स हैं। मैं समझता हूं कि इससे ४०—५० करोड़ रुपया आपके पास आयेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आपको यह टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी महंगाई बढ़ती जा रही है और जो गुड्स हैं उनमें और महंगाई इससे बढ़ेगी इस वास्ते मैं चाहता हूं कि यह जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है वह ठीक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सैंट्रल सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६३ आज सदन के सामने पेश है, जहां उस के मुताल्लिक यह ठीक है कि जो मौजूदा टैक्सेज़ हैं उन के साथ साथ यह सेल्स टैक्स के रूप में एक ऐसा अतिरिक्त बोझ है जो कि जनता पर डाला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लानिंग कमिशन ने यह बात कही है कि हर एक स्टेट अपने डेवलपमेंट कार्य के लिए जितने रुपये का घाटा पड़ेगा, वह उन्हें अपनी स्टेट्स से खुद पैदा करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में और जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उस में मैं समझता हूं कि स्टेट्स के डेवेलपमेंट प्लांस को

पूरा करने के लिए जो घाटा पड़ रहा है, उस को वह स्वयं अपने वहां से पूरा करें और ऐसी हालत में स्टेट्स सेल्स टैक्स का सहारा लेकर ही उस रुपये की कमी को पूरा कर सकती हैं। ऐसी हालत में सेल्स टैक्स का समर्थन किये बग़ैर नहीं रहा जा सकता है।

सेल्स टैक्स से जो आमदनी होगी यह बिल्कुल साफ़ है कि वह स्टेट्स को जायगी और जैसा कि हमारे मंत्री महोदय ने कहा भी है। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक, दो बातें उनके सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। जितने भी यहां सेल्स टैक्स के मुहकमे हैं और उनमें जितने भी इंस्पैक्टर्स हैं, उनके द्वारा हर एक दुकानदार पर शक किया जाता है और सच्चा दुकानदार भी यदि उनके पास जाता है तो उस पर भी शक किया जायगा। सेल्स टैक्स के कारण सभी दुकानदारों के लिए एक हेरेसमेंट रहता है और उसका नतीजा यह होगा कि हर एक आदमी झूट बोलने के लिए तैयार होगा। करप्शन चलता है और साथ ही झूठ भी चलेगा। इसके अलावा जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि सेल्स टैक्स एवाइड करने के लिए दुकानदार रसीदें नहीं देंगे। यह भ्रष्टाचार का सिलसिला जो इसको लेकर चलता है इसको ख़त्म करने के लिए आपने एक चीज़ की थी और मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ आपका ध्यान जाय। अव्वल तो मैं यह चाहता हूं कि यह जो सेल्स टैक्स स्टेट्स टु स्टेट्स डिफर करता है यह ठीक नहीं है। सारी स्टेट्स में सेल्स टैक्स के डिफ़ेंट रेट्स हैं। पंजाब में जुदा रेट है, उत्तर प्रदेश में जुदा रेट है, राजथान में जुदा रेट है, दिल्ली में जुदा रेट है और हिमाचल प्रदेश में जुदा ही रेट है। अब पंजाब में एक टैक्स लगता है जब कि पंजाब के साथ लगता हुआ दिल्ली का जो इलाका है वहां जुदा रेट है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे पंजाब के साथ मिलता है वहां पर केवल लग्ज़री गुड्स पर है बाकी चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं है। अलग अलग सेल्स टैक्स के रेट्स चलते हैं और कहीं पर सेल्स टैक्स ही नहीं है तो उसका नतीजा यह होता है कि मसलन पंजाब में अगर कोई सेल्स टैक्स लगता है और उसके पड़ोसी स्टेट्स में नहीं लगता है तो इससे पंजाब की ट्रेड बाहर उन स्टेट्स को चली जाती है और इससे पंजाब को ख़ास तौर से नुकसान होता है। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मुलहका स्टेट्स हैं उन पर इस बात के लिए ज़ोर डाला जाय कि उनके सेल्स टैक्स के रेट्स आदि तकरीबन एक बराबर हों ताकि ऐसा न हो कि किसी एक स्टेट की तिजारत दूसरी तरफ चली जाय और वह स्टेट उससे जो रुपया हासिल करना चाहती है, अपना डेवलपमेंट करना चाहती है, वह उसे पूरा न कर सके।

दूसरी बात जो आपने की थी कि एडीशनल ड्यूटीज़ आफ ऐक्साइज़ (गुड्स आफ स्पेशल इम्पौर्टेंस) ऐक्ट, १९५७ पास करके सेल्स टैक्स ऐक्ट को रिप्लेस किया है। मैं चाहता हूं कि बाकी चीजों को भी उस ऐक्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया जाय और उनके लिए भी सेल्स टैक्स ऐक्ट को रिप्लेस कर दिया जाय तो यह उचित होगा क्योंकि इससे करप्शन ख़त्म हो जायगा। एकाउंट्स का जो सिलसिला है उसको रखने से भी व्यापारी लोग बच सकते थे। जहां इस तरह की व्यवस्था होने से व्यापारियों को सहूलियत होती वहां आप को जो रुपये की वसूली है उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं रहती। मैं चाहता हूं कि जिस तरह सरकार शूगर, टी, फेब्रिक्स, वूलन फ़ेब्रिक्स, टोबेको वग़ैरह तीन या चार चीजों को एडीशनल ऐक्साइज़ ड्यूटी में शुमार करके रुपया वसूल करके स्टेट्स को दे देती है, उसी तरह कुछ दूसरी एसेन्शल चीजों, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, वनस्पति घी, पेपर, पेट्रोलियम प्राडक्ट्स वग़ैरह, को भी एडीशनल एसाइज़ ड्यूटी में शामिल कर लिया जाये। अगर सरकार समझती है कि सारी स्टेट्स अभी तक इस बात को नहीं मानती हैं, तो उसको ख़ास कर रेट्स की तरफ स्टेट्स की तवज्जह दिलानी चाहिए। इस बिल का जो असल मकसद है कि कहीं पर कोई बेईमानी न हो, वह अलग अलग रेट्स के रहने से हल नहीं होगा। मैं आपके सामने प्रोहिबिशन की मिसाल देना चाहता हूं। आज हालत यह है कि किसी जगह

[श्री हेमराज]

तो प्राहिबिशन है और किसी जगह नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि शराब वगैरह एक जगह से दूसरी जगह स्मगल की जाती है और इस तरह स्मगलिंग बढ़ती है। इसी तरह से अलग अलग रेट्स होने से करप्शन और स्मगलिंग बढ़ती ही है, कम नहीं होती है।

मैं जानता हूं कि मौजूदा हालत में इस बिल से पब्लिक पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा और चीजें महंगी होंगी, लेकिन चूंकि सरकार को डेवेलपमेंट के कामों के लिये पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर विचार किया जाये कि एक तो सारी स्टेट्स में रेट्स तकरीबन बराबर हों और दूसरे, जिन एसेन्शल चीजों का मैंने अभी जिक्र किया है, उन को भी एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में रख दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं स बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री मा० ल० जाधव** (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह न्यायसंगत है।

श्री रेवा कोटा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में वोरम नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रथा ऐसी है कि १ घंटे तक गणपूर्ति न होने पर आपत्ति नहीं की जा सकती हमने ४ बजे घंटी बजाई थी। कृपया ५ बजे तक प्रतीक्षा कीजिये।

†**श्री मा० ल० जाधव** : दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर नहीं लगाया है। इसलिये इसका प्रभाव साधारण जनता पर नहीं पड़ेगा। इसलिये मैं इस बिक्री कर का समर्थन करता हूं।

बिक्री कर उगाहने के कार्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कर का अपवंचन बहुत किया जाता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि ऐसे उपाय अपनाये जिससे भ्रष्टाचार और अपवंचन दोनों रुक जायें। इसके लिये मैं यह सुझाव देता हूं कि यह कर कारखानों में अथवा अन्य उद्गम स्थानों पर उगाहा जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कर सारे राज्यों में एक समान ही हो। ऐसा होने पर व्यापारियों को कर देने में सुविधा होगी।

इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** (आनन्द) : कर बहुत अधिक लगा दिये गये हैं और अब इनमें अधिक वृद्धि करना उचित नहीं। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर लगाने के स्थान पर सीधा "चीनी कर" लगा दिया जाये, चाहे यह दस गुना अधिक हो, हम इसका भुगतान करेंगे।

करों के विषय में अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि यह इस प्रकार लगाये जायें कि कर दाता को अधिक कष्ट न हो; जिस प्रकार शहद की मक्खी फूलों से शहद एकत्र करती है किन्तु फूलों को हानि नहीं पहुंचाती। किन्तु बिक्री कर के उगाहने की पद्धति इतनी उलझी हुई है कि व्यापारी कई प्रकार के फार्म भरते भरते ही थक जाते हैं। गांवों के ७० से ८० प्रतिशत व्यापारी अल्पशिक्षित हैं और वह फार्म भरने में कई प्रकार की गलतियां करते हैं। अधिकारी इन गलतियों का लाभ उठा कर उन्हें तंग करते हैं, फलस्वरूप उन्हें घूस देनी पड़ती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया को कुछ सरल किया जाये। कर के अपवंचन को रोका जाये। सारे सदस्यों ने इस विषय में कहा है। किन्तु सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती।

इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं कि एक तो इससे लोगों को तंग किया जाता है और दूसरे यदि सरकार रुपया चाहती है तो सरकार को चाहिये कि प्रत्यक्ष कर लगाये। यदि वह प्रतिरक्षा के लिये रुपया चाहते हैं तो सीधा "चीनी कर लगायें।" किन्तु सरकार इस अवसर का लाभ उठा कर अन्य प्रयोजनों के लिये अप्रत्यक्ष कर लगा रही है।

क्योंकि सत्तारूढ़ दल के हाथ में सारी शक्तियां हैं इसलिये यह आवश्यक है कि उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाये। मैं इस विधेयक का विरोध केवल इसलिये नहीं कर रहा कि इसे सरकार ने प्रस्तुत किया है। जो भी राष्ट्रीय प्रयास वह करे, हम उसका समर्थन करेंगे। किन्तु यह राष्ट्रीय प्रयास नहीं है। सरकार केवल अवसर का लाभ उठा कर कर की दर में वृद्धि कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूं।

†**श्री सुब्बरामन** (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, केन्द्रीय बिक्री कर के उगाहने में कुछ कठिनाइयां हैं। सब अधिकारी एक ही जैसे पद्धति नहीं अपनाते। व्यापारियों को समय के अन्दर फार्म प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि एक बार फार्म देने के पश्चात् इसे पूरे वर्ष तक के लिये पर्याप्त समझ लिया जाये और यह सम्भव नहीं हो तो एक फार्म को ५,००० रुपये से १०,००० रुपये तक की बिक्री के लिये पर्याप्त समझ लिया जाना चाहिये। यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो व्यापारियों की कठिनाई काफी सीमा तक कम हो जायेगी।

माननीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि आपात काल के कारण इस कर में वृद्धि की आवश्यकता हुई है। यह सच है किन्तु इससे मूल्यों में वृद्धि होगी और उसे रोकने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता।

दूसरी बात यह है कि जब भी कर बढ़ाये जाते हैं करों के अपवंचन के लिये प्रलोभन उत्पन्न हो जाता है। इसलियें इसके लिये काफ़ी निगरानी की आवश्यकता है। खरीदार भी कुछ मूल्य देकर बिना रसीद के माल ले जाने के लिये तैयार हो जाते हैं। यदि उचित निगरानी हो तो कर का अपवंचन रुक जाये और फिर कर की दर बढ़ाने की आवश्यकता ही न रहे।

यदि कर की दर बढ़ाने से प्राप्त राजस्व राज्यों के पास जाये तो बहुत ही अच्छा है।

†**श्री ब० रा० भगत** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, इसके उपरान्त भी कि कई सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लेने का अनुग्रह किया, और कुछ ने विधेयक के उपबन्धों से अपनी असहमति और अरुचि प्रकट की, मैं यही समझता हूं कि इसके ऊपर विवाद उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं है ; क्योंकि यह सीधा और अविवादास्पद है। जिन माननीय सदस्य ने आरम्भ में भाषण दिया था उन्होंने कहा था कि सरकार एक नया उपाय अपना रही है। यह नया उपाय नहीं है। हम केवल दर को एक प्रतिशत से बढ़ा कर दो प्रतिशत कर देने का ही विचार कर रहे हैं। यह नया उपाय नहीं, अपितु वर्तमान उपाय का ही एक संशोधन है। फिर माननीय सदस्य श्री महीड़ा ने, जो सामान्यतः सुसंगत बोलते हैं, यह कहा "चीनी कर क्यों नहीं लगाया जाता ; इसे १० प्रतिशत कर दिया जाय, एक के बाद एक कर लगाने के उपाय क्यों प्रस्तुत किये जा रहे हैं ?" इसका किसी प्रकार की प्रतिरक्षा अथवा चीनी आपातकाल अथवा किसी अन्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

सभा को यह नहीं भूलना चाहिये कि बिक्री कर, प्रशासन और कर की प्राप्तियों, दोनों के सम्बन्ध में, राज्यों का विषय है। माननीय सदस्यों ने इसके भ्रष्टाचार, उत्पीड़न आदि का साधन होने के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण दिये। यद्यपि वह अतिशयोक्तिपूर्ण है तथापि यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्रशासन में सुधार किये जाने की गुंजाइश है। भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिये। इसका प्रशासन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिये कि यह उत्पीड़न का साधन बने। किन्तु तथ्य तो वही है कि प्रशासन राज्यों का विषय है, हमारा नहीं।

यह उपाय १६५६ में सभा में लाया गया था। अन्तर्राज्यीय व्यापार में वृद्धि हो रही थी और अधिकतर राज्यों और केन्द्र ने यह अनुभव किया कि यदि कर का स्वरूप और इसकी दर सब राज्यों में एक समान न हुई तो अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा** : इसके उद्देश्य और कारण सम्बन्धी विवरण में "समस्त उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त करना" दिया गया है।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सच है, किन्तु इसका अर्थ चीनी आक्रमण अथवा आपात काल नहीं है।

†**श्री नमेरेन्द्र सिंह महोड़ा** : और इसका क्या अर्थ है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे तो माननीय सदस्य की अनभिज्ञता पर बड़ा आश्चर्य और विस्मय हो रहा है। हम एक योजना काल से गुजर रहे हैं। यह आपात काल नहीं था तब भी राज्यों को संसाधनों की आवश्यकता थी। अधिकतर राज्य संसाधन प्राप्त करने के लिये अथक प्रयत्न कर रहे हैं। बिक्री कर राजस्व का महत्वपूर्ण साधन है। राज्य के संसाधनों में इसने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आपातकाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। जैसा कि मैंने कहा है इसके प्रशासन का कार्य भार राज्यों के ऊपर है।

†**डा० रानेन सेन** : किन्तु आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मूल विधेयक और अब यह विधेयक आपने ही प्रस्तुत किये हैं।

†**श्री ब० रा० भगत** : ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हम उन्हें परामर्श दे सकते हैं। समय-समय पर बैठकें होती हैं ; समस्या पर विचार होता है। किन्तु यह हमारा विषय नहीं ; उत्तरदायित्व राज्यों का है। समय-समय पर हुई बैठकों में हम उपायों पर विचार-विनिमय करते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि प्रशासन को कहां तक सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है।

इस समय प्रशासन सम्बन्धी समस्त शिकायतों का उल्लेख करना सुसंगत नहीं है। अभी केवल यही कहा जा सकता है कि हमें एक समान आधार पर कार्य करना है, क्योंकि, यदि दरें और कार्य-प्रणाली प्रत्येक राज्य में पृथक्-पृथक् हैं तो, कभी कभी प्रशासन कष्टकारी और क्लेशप्रद हो जाता है। यही कारण है कि एकरूपता एक ऐसा उपाय है जो प्रशासन को सुव्यवस्थित और सरल बना कर बहुत सी शिकायतें दूर कर सकता है।

एक माननीय सदस्य ने अपने अनुभव के आधार पर एक बात कही थी कि बिक्री कर अधिकारी राज्य-कर वसूल करते हैं और किसी तरीके से केन्द्रीय कर भी वसूल करते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो यह विधि के अनुसार पूर्णतया अवैध है। विधि में स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध किया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि किसी लेन-देन पर यह कर लगा देने के पश्चात् उस पर राज्य कर नहीं लगाया जा सकता। यदि ऐसा हुआ है तो इसका एकमात्र उपाय, जो मैं समझ सकता हूं और जिसे माननीय सदस्य वकील होने के नाते स्वयं जानते हैं, यह है कि विधि न्यायालय में विषय को ले जाया जाये।

दूसरी बात यह थी कि यह व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। हम इसे बढ़ा कर १ से २ प्रतिशत और ७ से १० प्रतिशत कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं पहले कर को ७ से बढ़ा कर १० प्रतिशत करने के विषय में कहूंगा। यह मुख्य रूप से निरोधात्मक है। हमने यह इसलिये किया कि विलास की वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्यों ने दरों का पुनरीक्षण किया है। पहले यह ७ प्रतिशत निश्चित की गई थी और इसीलिये हमने अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा किये गये विलास की वस्तुओं के लेन-देन के सम्बन्ध में यह कर ७ प्रतिशत रखी थी। अब राज्यों ने इसका पुनरीक्षण करके इसे १० प्रतिशत कर दिया है और इसीलिये हमने भी इसे १० प्रतिशत कर दिया है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इससे प्रशासन सुगम हो जायेगा। दूसरा कारण, जिसे सभा भी स्वीकार करेगी, यह है कि यह अपवंचन को रोकेगा क्योंकि बिक्री कर में अधिकतर अपवंचन अपंजीकृत व्यापारियों की युक्तियों से होता है, जिनका हम पता नहीं चला सकते। इसी कारणवश अपंजीकृत व्यापारियों के अपंजीकृत और पंजीकृत व्यापारियों से लेन-देन पर ७ प्रतिशत की निरोधात्मक दर निश्चित कर दी गई थी क्योंकि वह एक छिद्र था जिसके द्वारा वह कर का अपवंचन किया करते थे। यह स्वरूप से अधिक निरोधात्मक है। इससे राजस्व प्राप्त नहीं होता। इसलिये यह कहना कि दर को ७ प्रतिशत से बढ़ा कर १० प्रतिशत कर देने से मूल्य बढ़ेंगे पूर्णतया अशुद्ध है।

अधिनियम ७ वर्षों से लागू है। हमने जान बूझ कर इसे १ प्रतिशत रखा। छः अथवा ७ वर्षों के बाद राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिये हमने इसे बढ़ा कर २ प्रतिशत कर दिया। यह निरोधात्मक भार नहीं है। दूसरे कर भी बढ़ाये जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ व्यवस्था बढ़ रही है और राज्यों को विनिधान और विकास के प्रयोजनों के लिये अधिकाधिक संसाधनों की आवश्यकता है। दर को एक प्रतिशत से बढ़ा कर २ प्रतिशत कर देने से कुछ सीमा तक मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। हमने स्वयं भी कहा है कि इससे अन्तर्राज्य व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; किन्तु हमें यह खतरा तो उठाना ही है। किन्तु इस सब के उपरान्त भी सभा इस बात को स्वीकार करेगी कि यह उपाय पूर्णतया राज्यों के लाभ के लिये है। हम उनकी सम्मति और सहयोग के साथ उनके लाभ के लिये इसे पुरस्थापित कर रहे हैं।

यह भी कहा गया था कि इस सब का केन्द्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाता? केन्द्र इसे अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में ले ले, जैसा कि कुछ अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में किया जा रहा है। यह हम उसी समय कर सकते हैं यदि राज्य भी इसे स्वीकार कर लें। हमने अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को, विशेषतः अन्तर्राज्यीय व्यापार की वस्तुओं को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया था किन्तु राज्य इससे सहमत नहीं हुये। उनकी स्वयं की कठिनाइयां हैं; क्योंकि उनके लिये यही एक राजस्व का साधन है जिसे वह सरलता से बढ़ा सकते हैं और वह इसे छोड़ना आसान नहीं समझते। उनकी स्वयं की समस्यायें हैं। यदि इसे अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में परिवर्तित कर दिया जाये तो प्रशासनीय दृष्टि से यह अच्छा होगा और यह कुछ कमियों को भी दूर कर देगा। यह सच है, किन्तु हमें राज्यों की कठिनाइयों, आवश्यकताओं और भावनाओं का भी ध्यान रखना है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह राज्य सरकारों से किसी एक विचार पर सहमत होने के लिये आग्रह करें। जहां तक केन्द्र का प्रश्न है, हमें कोई आपत्ति नहीं।

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा): दरों को समान क्यों नहीं कर दिया जाता?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि अखिल भारतीय महत्व की वस्तुओं, विशेष महत्व की वस्तुओं और उन विशेष वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में, जिनके विषय में तस्कर व्यापार और अपवंचन का निरोध आवश्यक है। जहां तक दरों का सम्बन्ध है हमने कुछ सीमा तक एकरूपता प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के बिक्री कर और उनकी विभिन्न दरों की जांच करने का अर्थ यह होगा कि हम बिक्री कर प्रशासन का सारा कार्य अपने हाथ में ले लें। मैं समझता हूं यह न वांछनीय होगा और न संभव। यह एक संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न कर देगा। हमें वह कार्य राज्यों की सूची से निकाल कर केन्द्र की सूची में रखना होगा। यह प्रश्न कुछ संगत प्रतीत नहीं होता। मैं कुछ बातों की सार्थकता को स्वीकार करता हूं। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में विधेयक राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के लिये ही पुरःस्थापित किया गया है। यह एक सरल उपाय है। हमने दरों को १ प्रतिशत से बढ़ा कर २ प्रतिशत और ७ प्रतिशत से बढ़ा कर १० प्रतिशत कर दिया है। यह प्रशासन सम्बन्धी एक सरल उपाय है और इसके सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। और इसे विवादास्पद विषय समझने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†उपाध्यक्ष महोदयः अब मैं प्रस्ताव को सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है .....

†श्री बेरवा कोटा : कोरम नहीं है।

†उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजा दी जाये। अब गणपूर्ति हो गई।

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १६५६ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। मैं खण्ड २ को सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा।

†श्री हरि विष्णु कामत : खण्ड २ को पृथक-पृथक २ भागों में रखा जाये।

†उपाध्यक्ष महोदयः मैं नहीं समझता उसे इस प्रकार २ भागों में बांटा जा सकता है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

†उपाध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार हुआ :

पक्ष में ६४ ; विपक्ष में १४।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक बिल में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित कर दिया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ: ।

नियम ७४ के पहले परन्तुक का निलम्बन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

मैंने पहले ही अनुमति के लिये आपसे आवेदन किया है । मेरा अनुरोध है कि इस नियम के निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखा जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नियम के निलम्बन के लिये मंत्री द्वारा कोई कारण नहीं दिये गये हैं । यह कहने का कुछ लाभ नहीं कि उन्होंने पूर्व में कुछ कहा था । आज कारण अवश्य बताये जायें । उसके बगैर तो इस प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हो सकती ।

†**श्री हजरनवीस**: इस प्रश्न पर हमारे द्वारा विचार किया गया था और यह सोचा गया कि शायद इस विधेयक के कुछ मामले अनुच्छेद ११० के कुछ खण्डों के अन्तर्गत आ जायेंगे । इसके परिणाम-स्वरूप नियम ७४ का परन्तुक प्रभावित होगा । हम चाहते हैं कि एक संयुक्त समिति हो जिसमें दूसरी सभा के सदस्य भी सम्मिलित हों । क्योंकि हम प्रतिनिधित्व के बारे में उपबन्ध कर रहे हैं और इसके लिये दूसरी सभा के सदस्यों का परामर्श भी लेना चाहिये । हम संयुक्त समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव कर रहे हैं इसलिये हम चाहते हैं कि इस बारे में नियम ७४ के परन्तुक को निलम्बित कर दिया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्री-परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रस्ताव इस सभा की चर्चा के लिये है अतः मैं कहना चाहता हूं कि .....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय:** उन्होंने कारण बता दिये हैं इसलिये मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब चर्चा नहीं हो सकती। यदि वह कुछ कहना चाहते थे तो उन्हें पहले ही खड़े होना चाहिये था।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जब आप प्रस्ताव सभा के समक्ष रखेंगे तभी चर्चा हो सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** अच्छा, उन्हें क्या कहना है ?

†**श्री हरिविष्णु कामत :** आज दो तीन घण्टे में यह दूसरा अवसर है जब कि नियम ३८८ के अन्तर्गत एक नियम के निलम्बन की अनुमति मांगी गयी है। यह स्थिति असाधारण है। इस स्थिति के लिये मंत्री और सरकार स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि थोड़ी सावधानी बर्ती गई होती तो यह अवसर न आता। गत सत्र में भी इस प्रकार का विधेयक आया था। वह संविधान संशोधन विधेयक था जिस पर हम तत्काल ही सहमत हो गये थे। यह संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक है जिसकी इतनी महत्ता नहीं है। इस प्रकार के विधेयक के सम्बन्ध में उचित यह था कि इसे पहले इस सभा की समिति द्वारा लिया जाता और विचार किया जाता। और इसे पारित करने के पश्चात् दूसरी सभा में भेजा जा सकता था। सरकार ने इस विधेयक के लाने में विलम्ब किया है और अब नियम का निलम्बन चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार द्वारा अपने कार्य का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिये कि नियमों के निलम्बन की आवश्यकता ही न पड़े। केवल बहुमत के बल पर नियमों का निलम्बन करना अनुचित है। इस सत्र में ऐसे ७ अवसर आ चुके हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि आप मंत्रि-पीठ को इस बारे में चेतावनी दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** अब मैं फिर इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये।"

सभा में प्रस्ताव के पक्ष में मत देने वालों की संख्या चूंकि अधिक है इसलिये इसे सभा द्वारा स्वीकृत माना जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मन्त्रि-परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३०, अर्थात् श्री अच्युतन, श्री रामचन्द्र विठ्ठल बड़े, श्री लक्ष्मी नारायण भंज देव, श्री ब्रजबासी लाल, श्री बूटा सिंह, डा० कोलाको, श्री दलजीत

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंह, श्री दशरथ देव, डा० पी० डी० गैटोण्डे गायतोंडे, श्री हरजनवीस, श्री गौरी शंकर कक्कड़, श्री शिरांग किशिंग, श्रीमती कृष्णी कान्तम्मा, श्री ललित सेन, श्री लोनीकर, डा० महादेव प्रसाद, श्री धुलेश्वर मीना, श्री मुहम्मद यूसूफ, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री प्रताप सिंह, श्री मानसिंह पृ० पटेल, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, श्री कृष्णामूर्ति राव, श्री रेड्डियार, श्री संजी रूपजी, श्री सेझियान, श्री स० टो० सिंह, श्री हरि चरण सौय, श्री वाडीवा और श्री लाल बहादुर शास्त्री और राज्य सभा के १५ सदस्य हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को १५ अप्रैल, १९६३ तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा सयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

श्री शिवराम रंगो राने की जगह मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के नाम का सुझाव कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे सूचित किया है कि वह इस समिति का कार्यभार सहन करने को तैयार नहीं है ।

आज बहुत देर से यह प्रस्ताव चर्चा के लिये लिया जा रहा है परन्तु हम ऐसी संस्थायें स्थापित करने का निश्चय किये हुए हैं जिन से स्थानीय प्रशासन में स्थानीय प्रतिनिधि अधिक से अधिक भाग ले सकें । इसलिये गृह मन्त्री जी ने कल अनुरोध भी किया था कि चाहे देर हो चुकी है फिर भी अपने वैधानिक कार्यक्रम से कुछ समय इस पर चर्चा के लिये निकालना चाहिए ताकि इस विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा सके । हम उत्सुक हैं कि यह विधेयक यथासम्भव शीघ्र परिनियम सम्बन्धी पुस्तिका में आ जाय और कानून की शक्ल ले ले । इस वैधानिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसा हो जायगा और यथासम्भव शीघ्र यह लागू हो जायगा ।

इस विधेयक की खास बात पांच संघ राज्य क्षेत्रों; हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, गोआ, दमन और दीव के लिये विधान सभायें और मन्त्रि-मण्डलों का उपबन्ध करना है । इन में से हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में भाग 'ग' राज्यों के रूप में विधान सभायें थीं और अन्य भाग हमारे साथ बाद में मिले हैं । सर्वथप्रम मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान के अन्तर्गत सरकार का संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन और संसद् के संसदीय उत्तरदायित्व को किसी अन्य प्राधिकार पर नहीं डाला जा सकता । इसलिये जिन प्राधिकारों को हम इस विधेयक के परिणामस्वरूप जहूर में लाते हैं उन्हें विधायी प्राधिकारों के रूप में संसद् के आदेशानुसार और कार्यपालक प्राधिकारों के रूप में राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करना पड़ेगा । इसलिये यह आवश्यक होगा कि सर्वप्रथम जो भी कानून इन स्थानीय विधान सभाओं द्वारा बनाये जायें वह संसद् द्वारा बनाये गये किन्हीं कानूनों के विरुद्ध नहीं होंगे हम समझते हैं कि व्यावहारिक रूप से विधायी सूची भी उतनी ही बड़ी है जितनी कि राज्य सूची । इन की कुछ सीमायें बेशक हैं जिनकी ओर मैं कुछ समय पश्चात् निर्देश करूंगा । जिस प्रकार कुछ मामलों के सम्बन्ध में राज्य विधान सभाओं की सीमायें हैं उसी प्रकार इन की भी सीमायें होंगे । पूर्व इसके कि इन विधान सभाओं द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बन जाय, राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होगा । दूसरे, विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले किसी बजट अथवा वित्तीय प्रस्ताव के लिये

[श्री हजरनवीस]

राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी। क्योंकि आखिरकार, यह सर्वमान्य बात है कि कुछ समय के लिये इन क्षेत्रों में हीनार्थता रहेगी, और इन का विकास केन्द्रीय सरकार के राजस्व से ही हो सकता है। ऐसा होने से, सरकार इस उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ सकती कि वह यह देखे कि इन क्षेत्रों की वित्तीय नीतियां तथा सामान्य प्रशासन अच्छी प्रकार चले।

सभा इन क्षेत्रों के इतिहास से सुविदित है इसलिये मैं उसमें जाने की आवश्यकता नहीं समझता जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इन क्षेत्रों में भाग ख राज्य थे, सिवाय पांडिचेरी, गोआ, दमन और दीव के। इन विधान सभाओं को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप समाप्त कर दिया गया था। परन्तु इन क्षेत्रों में बहुत लोगों द्वारा मांग की जाती थी कि यथासम्भव इन को स्वायत्तता का अधिकार दिया जाना चाहिए। विधि मन्त्री श्री अ० कु० सेन के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप यह प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

इस विधेयक की मुख्य विशेष बातें निम्न प्रकार हैं :—

प्रथमतः, इसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का उपबन्ध है। दूसरे, लोक-सभा में स्थानों को भरने का उपबन्ध है, तीसरे, अलग संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि के गठन; विधान सभा की एक स्थायी समिति के गठन; हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और पांडिचेरी में अस्थायी विधान सभाओं के गठन का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक परिषद् के उत्सादन; पांडिचेरी को दक्षिणीय खण्ड परिषद् में और दादरा, नागर हवेली, गोआ, दमन और दीव को पश्चिमी खण्ड परिषद् में प्रतिनिधित्व प्रदान करने, जिनके वह भौगोलिक दृष्टि से निकट है, और इनके परिणामस्वरूप कुछ संशोधनों सम्बन्धी उपबन्ध हैं। इन विधान सभाओं के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे। हिमाचल प्रदेश के ४० सदस्य होंगे और मणिपुर और त्रिपुरा, पांडिचेरी, गोआ, दमन और दीव इन सब के ३०, ३० सदस्य होंगे। इस समय हिमाचल प्रदेश के ४१ सदस्य हैं, परन्तु इनकी संख्या ४० कर दी गई है ताकि वह ४ का पूर्ण गुणक हो जाय। निर्वाचन-क्षेत्र एक ही परिमाण के हों इसलिये संख्या का ४ का पूर्ण गुणक होना आवश्यक था, और हिमाचल प्रदेश को केवल ४० स्थान आवंटित किये गये।

इसके साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों के सुरक्षित करने पर भी विचार किया गया। हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी के लिये; जहां अनुसूचित जातियों की संख्या क्रमशः २७ प्रतिशत और १५.४ प्रतिशत है, स्थान रक्षित करने का उपबन्ध खण्ड ३(४) में किया गया है। इसका अर्थ है कि वहां के निर्वाचकगणों में इनकी संख्या काफी है। इसलिये इन क्षेत्रों में स्थान रक्षित किये गये हैं।

जहां तक मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन और दीव में रहने वाली अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उनके लिये स्थान रक्षित नहीं किये गये क्योंकि उनकी इन क्षेत्रों में संख्या नगण्य के बराबर है, और इसके अलावा वह लोग वहां पर बिखरे हुए हैं।

जहां तक मनीपुर और त्रिपुरा की अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है वह कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित होने के कारण केवल अपने बल से ही समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल हैं। हिमाचल प्रदेश में किनौर चूंकि एक आदिम जाति क्षेत्र है इसलिये वहां से एक आदिम जाति प्रतिनिधि सभा में भेजा जा सकता है, बेशक उनके लिए स्थान रक्षित न हो। परन्तु, अन्य स्थानों में, जैसा कि मैंने कहा है, आदिम जाति जनसंख्या बिखरी हुई है। इसलिये इन के लिये न तो हिमाचल प्रदेश सभा में और न ही मनीपुर के निर्वाचकगण में, और न ही त्रिपुरा में, स्थान रक्षित थे। प्रस्तुत विधेयक में भी इसी

प्रकार का उपबन्ध किया गया है। यदि चुनावों के फलस्वरूप यह देखा गया कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो चुनावों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली उनकी व्यथाओं को दूर करने के लिये हमें नाम निर्देशन की शक्ति प्राप्त है ।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि विधान सभाओं की विधायी शक्ति संविधान के अनुच्छेद २४६(४) के अधीन रहते हुए ही है, जिसे काफी स्पष्ट कर दिया गया है। वास्तव में यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यह संविधान में समाविष्ट है। इसको अधिक स्पष्ट करने के लिये खण्ड १८(२) है।

राज्य सूचियों में कुछ अन्य मामले भी हैं जो संघ राज्य क्षेत्रों में संगत नहीं हैं। उदाहरणार्थ, संघ राज्य-क्षेत्र की सेवायें सम्बद्ध क्षेत्र के कार्यों के साथ संघ के कार्य भी निबटायेंगी इस का कारण यह है कि स्थानीय विधान सभाओं के होते हुए भी यह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र ही रहेंगे, और संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इसलिये प्रस्तुत विधेयक के परिणामस्वरूप जो प्रशासन कायम होगा उसमें सूची २ की प्रविष्टि ४१ में वर्णित मामले, जैसे 'राज्य लोक सेवायें' और 'राज्य लोक सेवा आयोग' प्रभावहीन होंगे। इसके साथ साथ, वह लोक ऋण भी नहीं ले सकते।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह विधान सभायें उन्हीं परिसीमाओं के अधीन होंगी जिन के कि राज्य विधान सभायें अधीन हैं। अर्थात्, वह संविधान के अनुच्छेद २८५ से १८८ तक के उपबन्धों के अधीन होंगी जिनका संबंध संघीय सम्पत्ति पर करारोपण पर रोक, अन्तर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व की वस्तुओं पर बिक्री कर लगाना, और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोग की गई विद्युत् पर कर से है। यह सब संघ के आपात हैं, इसलिये, अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की गारंटी कुछ परिसीमाओं के अधीन रहते हुये दी गई है। इसलिये, इस बात के बावजूद भी कि संघ राज्य क्षत्रों में विधान सभायें होंगी इनकी शक्तियों की वही परिसीमायें तथा प्रतिषेध होंगे जैसे कि राज्य विधान सभाओं के हैं।

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय होंगे, और उनके सपुर्द किये गये क्षेत्रों के बारे में उन्हें उच्च न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। परन्तु हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन शक्तियों के संबंध में किसी विधेयक अथवा संशोधन को लाने से पूर्व खंड २२ के अन्तर्गत प्रशासक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

वित्त-विवरण के बारे में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है क्योंकि, जैसा कि मैंने पहले कहने का साहस किया था, प्रशासन चलाने और इसके विकास संबंधी वित्तीय उत्तरदायित्व का सारा भार केन्द्रीय सरकार पर पड़ेगा। इस समय मैं यह भी कहने का साहस करूंगा कि तृतीय योजना में लगभग ५७ करोड़ रुपये के व्यय का उपबन्ध किया गया है जिनमें से प्रथम दो वर्षों के अन्त तक, ३१ मार्च, १९६३ तक, २२ करोड़ रुपया व्यय किया गया है। फिर, हमारे संघ राज्य क्षेत्रों के लिये उत्तरदायित्व के अनुसार, एक विधेयक पर पूर्व इसके कि वह कानून बनें, खंड २५ के अन्तर्गत, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी।

राजभाषा का प्रश्न भी आता है। साधारण तौर पर प्रशासन केन्द्र की राजभाषा में ही चलाया जायगा, परन्तु जहां जिला स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी का काफी ज्ञान न हो वहां इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिये, खंड ३४(क) के अन्तर्गत विधान सभा को शक्ति प्रदान की गई है कि हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा अथवा राजभाषा का प्रयोग किया जाय। पांडिचेरी के बारे में प्रवश संधि के अनुसार हम उस बात के लिये वचनबद्ध हैं कि जब तक सभा अन्यथा निर्णय न दे फ्रांसीसी ही का प्रयोग सभी कार्यों के लिये किया जायगा। इसलिये सभा चाहे किसी भी राजभाषा को स्वीकार करे, यह स्पष्ट है कि राज्य-क्षेत्रों के लेखे रखने के लिये और केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ

[श्री हजरनवीस]

पत्र व्यवहार के लिये संघ की राजभाषा का प्रयोग होता रहेगा । चूंकि संघ और राज्यों के साथ पत्रव्यवहार का माध्यम संघ की राजभाषा ही होगी इसलिये राष्ट्रपति के पास यह आदेश देने की शक्ति है कि संघ राज्य-क्षेत्रों में राजभाषा का प्रयोग किया जाय ।

विधान मंडल की तरह हमारी संसदीय कार्यपालिका है । एक मन्त्रि-परिषद् होगी और संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों के जरिये चलाया जायगा । साधारण कानून यह है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रशासकों के जरिये चलाया जायगा । इन प्रशासकों को विभिन्न प्रकार के कार्य सपुर्द किय गय हैं और न कार्यों को करने के लिये बहुत सी शक्तियां इनमें निहित हैं । यह कृत्य संघ सूची के संबंध में भी हो सकते हैं जो कि उनकी क्षमता से परे होंगे जैसे राष्ट्रीय राजपथ, अथवा यह राज्य अथवा समवर्ती-सूचि के मामले हो सकते हैं । कुछ कृत्य न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक प्रकार के हो सकते हैं । इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि कुछ कृत्य, जैसे सीमा की रक्षा, मनीपुर–त्रिपुरा, प्रशासकों द्वारा अपने जिलों में निभाये जायेंगे, जिसका अर्थ यह है कि वह संसद् तथा केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायी होंगे ।

विधेयक के खंड ४४(१) द्वारा उपबन्ध किया गया है कि मंत्रि-परिषद प्रशासक के उन कृत्यों के प्रयोग करने में सहायता तथा परामर्श देगी जो कि सभा की विधायी शक्तियों के अन्तर्गत मामलों से सम्बद्ध हों ।

अन्य मामलों के संबंध में प्रशासक, वर्तमान में, उनकी राय के बगैर भी कार्य कर सकता है, परन्तु निश्चय ही कोई प्रशासक अपने आपको मंत्रि-परिषद के परामर्श से वंचित नहीं करेगा यद्यपि वह राज्य कार्यपालिका को सपुर्द मामलों के उचित रूप से अन्तर्गत न हों, जो कार्यपालिका कि इस विधेयक के परिणामस्वरुप जहूर में आयेगी ।

इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी उपबन्ध हैं जिनकी ओर मैं पहले ही निर्देश कर चुका हूं । अब मैं विभिन्न राज्य क्षेत्रों को आवंटित स्थानों की चर्चा करूंगा । वह इस प्रकार हैं : दिल्ली ५, हिमाचल प्रदेश ४, मनीपुर २, त्रिपुरा २ और गोआ, दमन और दीव २ । वर्तमान में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये एक एक स्थान रक्षित किया गया है और मनीपुर और त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक एक स्थान रक्षित किया गया है । परिसीमन संबंधी कार्य परिसीमन अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत नियुक्त किये गये परिसीमन आयोग के सपुर्द किये जाने की आशा है । सह-सदस्य परिसीमन आयोग के साथ बैठेंगे और परामर्श देंगे । हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा, प्रत्येक के बारे में, विधान सभा के तीन सदस्य सम्बद्ध होंगे और पांडिचेरी के बारे में, जहां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं हैं जिन्हें कि उन्हें परिसीमित करना है, केवल सभा के ३ सदस्य सम्बद्ध होंगे ।

गोआ, दमन और दीव के मामले में, चूंकि परिसीमन से पूर्व सभा जहूर में नहीं आनी थी इस लिये सभा के सदस्यों की सह-सदस्यता का उपबन्ध नहीं है ।

संचित निधि, अकस्मिकता निधि और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में सामान्य प्रक्रियाय हैं । खंड ५० के अनुसार राष्ट्रपति को प्रस्तावित प्रबन्ध के असफल हो जाने की दशा में आदेश जारी करने तथा कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है । मैंने कई बार कहा है कि इन राज्य-क्षेत्रों के स्वायत्त होते हुए भी इनके वित्तीय उत्तरदायित्व हमारे ऊपर हैं, क्योंकि उन के साधन कम हैं और इस लिये इनके प्रशासनों के साथ हमें बराबर सम्पर्क बनाये रखना होगा । यदि यह देखा

गया कि प्रबन्ध उचित नहीं रहा तो राष्ट्रपति के पास प्रथमतः आदेश जारी करने की शक्ति है दूसरे वह इसे निलम्बित भी कर सकतें हैं।

स्थायी समितियों संबंधी प्रक्रिया सामान्य ढांचे पर है। विद्यमान विधान मंडलों के बारे में भी एक उपबन्ध है। गतवर्ष किसी समय हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में प्रादेशिक परिषदों के लिये प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव हुए थे। अब हम आपात काल में से गुजर रहे हैं। गतवर्ष के बाद अब इतनी शीघ्रता से चुनाव हम नहीं कर सकते। इसलिये, इस प्रकार उपबन्ध किया गया है कि यह प्रादेशिक परिषदे स्वयं ही विधान सभाओं में परिवर्तित हो जायेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अन्य राज्य-क्षत्रों में क्या होगा ?

†**श्री हजरनवीस** : अन्य राज्य-क्षत्रों में चुनाव होंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वहां आपात का प्रश्न नहीं आता ?

†**श्री हजरनवीस** : जहां ऐसा करना आवश्यक है, वहां हम करते हैं यदि आपात में इसे छोड़ा जा सकता है तो हम इसे छोड़ देते हैं।

सेवाओं के संबंध में भी उपबन्ध हैं, जिन का व्यवस्थापन करना पड़ेगा। कुछ कमचारी प्रशासन में चले गये थे और कुछ प्रादेशिक परिषदों में। उन सब को अब राज्य प्रशासनों में रख दिया जायेगा।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह खंडीय-परिषदों में बैठेंगे ताकि सामान्य समस्याओं पर चर्चा की जा सके पांडिचेरी, करायकेल, माहि और यनम दक्षिण खंडीय परिषद् में और शेष संघ राज्य-क्षेत्र पश्चिम खंडीय परिषद् में जायेंगे।

इसके साथ ही अन्य आनुषंगिक तथा सहायक उपबन्ध हैं।

संघ राज्य क्षेत्र स्वयं अपने स्थानीय विधान मंडल और स्थानीय प्रशासन लाने के लिये बेचैन है।

गृह-काय मंत्री की ओर से मैं सभा का आभारी हूं कि उसने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लियें, असुविधा होते हुये भी, समय के पश्चात् बैठने पर सहमति प्रकट की।

मैं आशा करता हूं कि हम आज ही इस विधेयक को संयुक्त समिति के सपुर्द कर देंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : त्रिपुरा के वास्तविक प्रतिनिधि तो आज जेल में हैं, मैं तो उनकी अनुपस्थिति में उस क्षेत्र के लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने का यत्न कर रहा हूं। एक का नाम भी संयुक्त समिति के लिय प्रस्तुत है तथापि वह जेल में है हालांकि इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। त्रिपुरा परिषद् के १३ सदस्य साम्यवादी हैं। १२ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बाकी है, क्या यह आतंक नहीं है ?

यह विधेयक एक अच्छा मजाक है। वे लोग जेलों में हैं और चुनाव लड़ने के कार्यक्रम बन रहे हैं। फिर यह कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके लिये केन्द्र उत्तरदायी नहीं,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

मुख्य मंत्री इसके लिये उत्तरदायी है । परन्तु त्रिपुरा के मामले में तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो संघ क्षेत्र हैं, यहां तो केन्द्रीय सरकार का प्राधिकार है । साम्यवादी दल के रूप में हम हमेशा यह मांग करते आये हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी इस बारे में हमने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे । परन्तु फिर सर्वत्र असन्तोष ही रहा । हमें इस बात का सन्तोष है कि इस बारे में हमने ही संघर्ष का आरम्भ किया था । कांग्रेस तो इस बारे आपसी मतभेदों में बटी हुई थी । अब जबकि लोगों में असन्तोष बढ़ गया तो कुछ करना ही पड़ा । वैसे माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि इसका इतिहास बहुत सरल है, एक गलत बात है । इसके पहिले यह कहा जा रहा था कि आर्थिक हालात ठीक नहीं । अब जबकि ३०, ४० व्यक्तियों की परिषद् बनाई जा रही है तो भारत सरकार के अधिनियम १९३५ की याद हो आती है । कोई आर्थिक कठिनाई की बात नहीं की जा रही । अब लोगों की मांग को स्वीकार करने की बात की जा रही है । वहां लोगों के प्रतिनिधि तो जेलों में हैं और यहां बैठ कर हम उनके लिये कानून बना रहे हैं, जैसे भारत सचिव लन्दन में बैठ कर भारत के लिये कानून बनाया करते थे ।

ठीक ही है हमारी सरकार भी तो ब्रिटेन की सरकार की ही उत्तराधिकारी है । परन्तु मेरा यह विचार नहीं कि उन्होंने उनकी मनोवृत्ति उत्तराधिकार में ली हो । विधेयक में कहा गया है कि मंत्रि परिषद् विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होगी । प्रशासक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा परन्तु असली शक्ति प्रशासक के पास ही रहेगी । यदि परिषद् की बैठक का वह अध्यक्ष होगा और वह मुख्य मंत्री नहीं होगा, तो उसके मुख्य मंत्री रहने के क्या लाभ ? परिषद् की हैसियत केवल परामर्श-दात्री समिति की हो जायेगी । यदि आप का विचार यही करने का है तो मंत्रियों की हैसियत को कम करके परामर्शदात्री समिति की हैसियत और क्षमता में वृद्धि की जा सकती है । खंड २३ में तो यह भी व्यवस्था है कि प्रशासक की अनुमति के बिना परिषद् में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार की और भी कठिनाइयां हैं ।

एक अन्य बात की ओर ध्यान आकृष्ट करवाता हूं वह यह कि मनीपुर और पांडिचेरी में, जहां विलय से पूर्व विधान मंडलें निर्वाचित हो गयी थीं, अब केवल परिषद् मात्र की व्यवस्था की जा रही है । बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अपने ही लोगों पर अविश्वास की दृष्टि से देखा जा रहा है । इस प्रकार का अविश्वास तो विदेशी शासन किया करता था । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, के लोगों को भी स्वशासन का अधिकार दिया नहीं जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं, वह यह कि त्रिपुरा मनीपुर और हिमाचल प्रदेश में नजरबन्द व्यक्तियों के मामलों पर पुनर्विलोकन किया जाये । मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक के विविध अंगों पर विचार कर इसे लोकतंत्र की दृष्टि में एक सुन्दर वस्त्र बना देगी ।

श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने माननीय गृह मंत्री जी का प्रस्ताव है कि संघीय प्रदेश बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय । ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी, मैं न समझ सका । एक ऐसा बिल है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । दूसरी बात यह है कि यह बिल एक, दो बातों को छोड़ कर गवर्नमेंट आफ़ पार्ट सी० स्टेट्स ऐक्ट का जिसे कि इस सदन ने १९५२ में पास किया था उस पर आधारित है और जिस वक्त वह बिल पास हुआ, इससे पहले कि वह बिल यहां पर पास हुआ, इस सदन ने

उस पर अच्छे तरीक़े से विचार किया । उसके हर एक पहलू पर विचार किया । श्रीमन्, यदि इस सदन की यह इच्छा है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं यह दरख्वास्त ज़रूर करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप से और आप द्वारा सरकार से तथा इस माननीय सदन से कि इस बिल को संसद के इसी अधिवेशन में ज़रूर पास किया जावे । इस बिल के पास होने की यूनियन टैरीटेरीज़ में रहने वाली जनता बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार कर रही है ।

श्रीमन्, संघीय प्रदेश बिल का मैं स्वागत करता हूं । इसके लिए भारत सरकार व हमारे गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और यूनियन टैरीटरीज़ में रहने वाले लोग इसके लिए उन के आभारी हैं । इसमें कोई शक़ नहीं है कि इस बिल में कई ऐसी बातें हैं जिनसे कि हमारे कई लोग संतुष्ट नहीं हैं । मगर जहां तक यूनियन टरीटेरीज़ में रहने वालों का सवाल है वह इस बिल को अपनी तरक्क़ी का पहला क़दम मानते हैं । वह समझते हैं कि वह वक्त भी आयेगा जिस वक्त कि दूसरा क़दम यह होगा कि वहां के लोगों को दूसरे राज्यों की भांति पूरे अधिकार मिलेंगे ।

श्रीमन्, माननीय गृह मंत्री को इस बिल को लाने के लिए जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो अड़चनें उन के सामने आईं, वैधानिक व दूसरी वे हमें मालूम हैं । कुछ लोगों का यह विचार था कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में विधान सभा नहीं हो सकती, मंत्रिमंडल नहीं हो सकता । हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो अड़चनें थीं वे दूर हुईं और अब यह बिल हमारे सामने आया है जिससे कि इन राज्यों में विधान सभा स्थापित होगी, मंत्रिमंडल स्थापित होगा और वहां की सत्ता वहां के चुने हुए लोगों के हाथ में दी जायेगी ।

श्रीमन्, मुझे यह बतलाते हुए खुशी है कि जब से इस बिल के बारे में लोगों को मालूम हुआ है, वह बहुत खुश हैं और इस फैसले से लोगों की महत्वकांक्षाएं पूरी हुई हैं । और लोगों को आम तौर पर तसल्ली हुई है ।

जहां तक इस बिल के प्राविजंस का सवाल है मुझे दो, तीन सुझाव देने हैं जिन पर मुझे आशा है कि सेलेक्ट कमेटी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा । मेरा पहला सुझाव यह है कि हर एक यूनियन टेरीटेरी में, पहले भी है और इस बिल के मातहत भी होगा कि एक ऐड-मिनिस्ट्रेटर होगा । इस वक्त कुछ यूनियन टैरीटरीज़ हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, गोआ है, वह यह चाहते हैं कि वहां पर इस वक्त उपराज्यपाल है, लेफ्टीनेंट गवर्नर है, और इस बिल के पास होने के बाद भी उपराज्यपाल रहे, लेफटिनेंट गवर्नर रहे । उसके पद में कोई कमी न हो । इस बिल में कहीं यह व्यवस्था नहीं की गई है कि जो वहां, ऐडमिनिस्ट्रेटर होगा, वह उपराज्यपाल भी कहलाया जा सकेगा । मुझे मालूम है कि संविधान के २३९ आर्टीकल में यह प्रावाइडेड है कि राष्ट्रपति जी हर एक यूनियन टैरीटेरी के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे और उस ऐड-मिनिस्ट्रेटर को वह चाहे कोई भी डैज़ीगनेशन दे सकते हैं । परन्तु मेरा सुझाव है कि अगर हम एक अमेंडमेंट कर दें तो इसमें कोई शक़ की गुंजाइश नहीं रहती है और वह अमेंडमेंट यह है कि खंड २ में उप खण्ड १(च)क में नया पैरा जोड़ कर राष्ट्रपति द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की व्यवस्था कर दें ।

श्रीमन्, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस बिल में यह व्यवस्था की गई है, मेरे ख्याल में सेक्शन ४४ है, जिसमें कि वहां जो मंत्रिमंडल होगा उसकी बैठकों में ऐडमिनिस्ट्रेटर प्रीसाइड करेगा । जैसा कि पहले बताया गया है ऐसी व्यवस्था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ़

है, यह लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है और जब कि हम इन को यह मंत्रिमंडल देने जा रहे हैं तो कम से कम मंत्रिमंडल के विषय में कैबिनेट मीटिंग्स के विषय में जो प्रोसीज्योर, जो तरीक़ा दूसरी स्टेटों में अपनाया जाता है वही तरीक़ा यूनियन टैरीटेरीज़ में भी अपनाया जाय । देश के किसी भी राज्य में कबिनेट मीटिंग पर गवर्नर प्रीसाइड नहीं करता तो मैं नहीं समझता कि यूनियन टैरीटेरीज़ में ही क्यों ऐडमिनिस्ट्रेटर के वास्ते उनकी प्रीसाइड करने की व्यवस्था रक्खी गई है ?

श्रीमन्, इसमें हमें एक और आपत्ति भी है । यह ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश में पहले पार्ट सी० स्टेट्स ऐक्ट के अधीन भी उपराज्यपाल होता था और वह केबिनेट मीटिंग में भी प्रीसाइड करता था । आमतौर पर होता क्या था कि लेफ़्टिनेंट गवर्नर केबिनेट के कुछ मिनिस्टरों के साथ मैनीपुलेट करके चीफ़ मिनिस्टर को, जो कि लोगों का चुना हुआ लीडर है, जो कि हाउस का लीडर है, उसको वह मैनीपुलेट करके इनएफक्टिव बना देते थे, अप्रभावी बना देते थे । इस प्रकार से जो चीफ़ मिनिस्टर के ऊपर जिम्मेवारी है, वह उसे अच्छी तरह से निभा नहीं सकता था और सरकार के चलाने में गड़बड़ होती थी । मेरी अपील है कि इस बात को भी ध्यान में रक्खा जाये । यदि इस के लिए भी एक संशोधन माना जाये तो यह भी किसी हद तक हल हो जायेगा वह यह है । मैं इसलिए सब्सटीच्यूट कर रहा हूं क्योंकि जो मैं संशोधन करना चाहता हूं अगर वह मान लिया जाता है तो इस क्लाज़ का रूप ही बिल्कुल बदल जायेगा । इसलिए मैंने कहा है कि उस की जगह पर यह नया क्लाज़ लगा दिया तो यह ठीक रहेगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिल के मौजूदा क्लाज़ ४४ के सब क्लाज़ २ के बदले यह सब्सटीच्यूट किया जाये कि यदि मुख्य मंत्री नहीं होगा तो कोई अन्य मंत्री अध्यक्षता करेगा ।

श्री हरिविष्णु कामत : निहायत दुरुस्त है ।

श्री वीरभद्र सिंह : इस के अलावा मुझे आप को एक सुझाव और देना है और वह यह है कि जब हिमाचल प्रदेश में विधान सभा थी तो उन्होंने एक पंचायती राज्य ऐक्ट बनाया था और जिस वक्त वहां पर पार्ट सी० स्टेट्स सेट अप खत्म कर दिया गया और यूनिनि टैरीटेरीज़ बिल संसद् ने पास किया तो उसके मातहत जो पंचायत राज्य ऐक्ट था भी वह ख़त्म हो गया । उस वक्त उस पंचात ऐक्ट के अनुसार वहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनी थी । इस समय हम जो यह बिल पास करने जा रहे हैं उससे यह ऐक्ट अपने आप रिवाइव नहीं होता । इसलिए मेरा सुझाव है कि एक ऐसा और अमैंडमेंट करे ताकि सेलेक्ट कमेटी उस पर ग़ौर करे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और फिर से माननीय गृह मंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : १९५१ में 'ग' भाग के राज्यों का निर्माण किया गया था जिन्हें १९५६ में समाप्त कर दिया गया था । अब हम पुनः छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करने जा रहे हैं । पता नहीं हमारी सरकार यह क्या प्रयोग करती रहती है । मेरे विचार में यह संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा में कुछ लाभ देने के स्थान पर एक बहुत बड़ा दायित्व बन कर रह जायेगी । कुछ बड़े बड़े पद जरूर बना दिये जायेंगे । इस पर अनावश्यक व्यय होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

मेरा तो इस बारे में बड़ा स्पष्ट मत है कि हमें छः राज्यों का निर्माण कर अपने ऊपर ये बड़े दायित्व नहीं लेने चाहिए । मेरे विचार में सारे देश भर में केवल पांच राज्य रहने चाहिए उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी तथा केन्द्रीय ।

विधेयक के खंड १० में प्रशासक की शक्तियों को बताया गया है । वह बात सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक है । इन उपबन्धों के अन्तर्गत, प्रशासक एक प्रकार से शासक ही होगा क्योंकि उसका कथन अन्तिम होगा । चुने हुए लोगों के मत की कोई विशेष परवहा नहीं की जाये । यह बात लोकतंत्र के विरुद्ध है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । सरदारों के उत्तराधिकारियों के नियुक्त करने की बात की जा रही है, जब कि देश के अन्य भागों में इसे छोड़ा जा रहा है । आशा है कि खंड ५२ के अन्तर्गत, जो कि मनीपुर में सरदारों के उत्तराधिकारों की नियुक्तिवाला उपबन्ध अस्थायी होगा । और क्षेत्र के कुछ विकसित होने पर इसे हटा दिया जायेगा । दिल्ली को इसमें नहीं रखा जा रहा यह बहुत अन्याय है । पता नहीं लग सका कि आखिर क्यों दिल्ली को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से छोड़ दिया गया है । मंत्री महोदय को स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या दिल्ली को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं । मेरे विचार में यह एक महंगा प्रयोग है जो कि हमारी सरकार कर रही है ।

†**श्री से० टी० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : इस विधेयक की बहुत देर से प्रतीक्षा थी । इसके लिए मैं अपने गृह कार्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं । हमारे राज्य के सभी विकास कार्य रुके हुए हैं । इस विधेयक से स्थानीय लोगों को सर्वोमुखी विकास का अवसर मिलेगा और सारे रुके हुए काम चालू हो जायेंगे । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं इससे पिछड़े हुए लोगों को आगे आने का अवसर मिलेगा ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार:** (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इस के बारे में दो तीन महत्वपूर्ण मूलभूत बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं । मेरा विचार यह है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर हिमालय की प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए ; सीमान्त के छोटे छोटे राज्य हमारे लिए प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक नहीं होंगे । यदि हो सके तो सारे क्षेत्र को एक प्रशासनिक क्षेत्र में बदल दिया जाय तो बहुत ही अच्छा है । यह तो ठीक है कि इन क्षेत्रों की उन्नति का कार्य काफी मन्द गति से चल रहा है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार उन क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे तथा उनके विकास की एक योजना तैयार करे । इन क्षेत्रों का विकास तेज़ी से होना चाहिए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं विधेयक का सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करता हूं । किन्तु यह आंशिक रूप से अच्छा है । मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति इसमें उचित परिवर्तन कर देगी ।

इस विधेयक में और राज्य मंत्री तथा मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कई असंगतायें और विरोधाभास है । इसलिये मैंने माननीय मंत्री के प्रस्ताव के लिये ३ संशोधन भेजे थे ; जिनमें से पहला साधारण सा है और मैं उसे प्रस्तुत करना नहीं चाहता । किन्तु संशोधन संख्या २ और ३ को मैं सभा का और आपका ध्यान नियम ७४ की ओर जो इस विषय में लागू होता है, आकर्षित करना चाहता हूं । नियम ७ (३) में यह दिया है कि उसे राज्य सभा की सहमति से दोनों, सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिविष्णु कामत]

गत सत्र में सभा के सम्मुख २ विधेयक में संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक और संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक थे। पन्द्रहवें संशोधन संबंधी प्रस्ताव में "राज्य सभा की सहमति से" शब्दबोध का प्रयोग नहीं किया गया था जब कि सोलहवें संशोधन में किया गया था।

यदि नियमों में राज्य सभा की सहमति का उपबन्ध है तो इससे इस सभा की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इसलिये यदि इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रस्ताव नियमों के अनुकूल हो तो प्रस्ताव के शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाये।

मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि या तो हम सभा के सम्मुख प्रस्ताव में इस नियम का प्रयोजन साल सम्मिलित कर दें अथवा भविष्य में सुविधानुसार इस नियम में संशोधन कर दें। जिससे यह सभा राज्य सभा के अधीन अथवा उस पर निर्भर न बना दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव में यह कहा गया है कि राज्य सभा संयुक्त समिति में सम्मिलित हो।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नियम के अनुसार हमें राज्य सभा की सहमति प्राप्त करनी होगी। इसीलिये मेरे संशोधन में "प्रस्ताव से सहमत" दिया हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार किये जाने का यह अर्थ होगा कि यदि वह सहमति न दें तो सारा विषय छोड़ देना पड़ेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसीलिये तो मैंने आरम्भ में ही यह कह दिया था कि मेरा संशोधन प्रस्तुत करने का प्रयोजन नियम के शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। मैं इस के ऊपर मतदान के लिये जोर नहीं दूंगा। केवल इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये ही इसे प्रस्तुत करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: दूसरे संशोधन पर आप जोर नहीं देंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : न तो दूसरे पर न तीसरे पर ही मैं जोर दूंगा।

विधेयक में भी कई असंगतियां हैं। पहली बात तो यह कि यह प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिये विधान सभा का उपबन्ध करता है। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण से प्रतीत होगा यह पुराने भाग ग राज्य अधिनियम के समान ही होगा जिसका निरसन राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के पश्चात कर दिया गया था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आपात काल की आड़ में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव करवाये जा रहे हैं जब कि कुछ में नहीं करवाये जा रहे हैं। इसका क्या कारण है माननीय मंत्री जो भंडारा से आये हैं, जानते हैं।

†**श्री हजरनवीस**: भंडारा में क्या बुराई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह संसद् की प्रथा है कि हम किसी भी सदस्य को उसके निर्वाचन क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। ब्रिटिश संसद् में ऐसा ही होता है।

†**श्री हजरनवीस:** इस सभा में सदस्य का नाम लेकर संशोधन करने की ही प्रथा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** नहीं। ऐसी कोई प्रथा नहीं।

†**श्री भक्त दर्शन :** माननीय सदस्य श्री कामत इन बातों पर समय बरबाद न कर के असली बातों पर आ जायें।

श्री हरिविष्णु कामत : आपको असली बातें समझना है तो जरा सब्र कीजिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह उनके निर्वाचन-क्षेत्र के नाम से उन्हें संबोधित कर सकते हैं।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** इस विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय राजकोष पर २० लाख रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

यदि इन विधान सभाओं का निर्णय करने का कार्य आपात काल के समाप्त करने तक स्थगित कर दिया गया होता और इसके स्थान पर इन संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सभा और लोक सभा के लिये चुनाव करवा दिये जाते तो अधिक अच्छा होता।

यह भी कहा गया है कि वर्तमान परिषदें विधेयक के पारित होते ही विधान सभाओं में परिवर्तित कर दी जायेंगी। जहां तक चुनाव का प्रश्न है मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गोआ, दिव दमन और पांडेचेरी में चुनाव करवाये जा रहे हैं तथा मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं करवाये जा रहे ? यह स्पष्ट है कि जहां की परिषदों में कांग्रेस का बहुमत है वहां यह चुनाव करवाये जा रहे हैं किन्तु जहां कांग्रेस के हारने की संभावना है वहां नहीं करवाये जा रहे।

मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इस बात की सिफारिश करेगी कि समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव करवाये जायें।

वियधेक में ऐसा उपबन्ध नहीं है कि राज्य सभा में इन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। संविधान में ऐसा उपबन्ध है कि संघ राज्यक्षेत्रों से राज्य सभा के लिये संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार चुनाव होगा। वह नियम संसद बनायेगी किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें बिना प्रतिनिधित्व के ही छोड़ दिया जायेगा। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इस विषय की भी सिफारिश करेगी।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : मैं इस विधेयक का सहर्ष स्वागत करता हूं। गृह कार्य मंत्री को पता है कि इन क्षेत्रों के लोग काफी समय से स्वशासन की मांग कर रहे थे। उनके राजनीतिक अधिकारों का काफी हनन हुआ है। विधेयक के ढांचे के बारे में मेरा निवेदन है कि प्रशासक को किये गये वित्तीय-विधानीय और अन्य अधिकार बहुत अधिक हैं। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि सरकारी कार्यों में अंग्रेजी को अभी हराया न जाय, क्योंकि आदि वासी लोग अभी तक न मनीपुरी बोल सकते हैं न हिन्दी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रिशांग किशिंग]

मनीपुर की जनता पहाड़ी क्षेत्र के समुचित ढंग से विकास के लिए और प्रशासन की सुविधा के लिये तीन जिले बनाने की मांग करते आये हैं। ८७०० वर्गमील के कुल क्षेत्र में से, ८००० वर्ग मील क्षेत्र को, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, दो जिलों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। और बाकी का तीसरा जिला बनाया जाना चाहिए। यह एक ऐसी उचित मांग है जिसे सरकार को स्वीकार कर ही लेना चाहिए। विधेयक में कुछ समुचित संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है। आशा है सदन इस पर विचार करेगा।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : इस विधेयक पर विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो इस क्षेत्र के लोगों को बताना चाहिए कि यह सब उनके लिए स्नेह से किया जा रहा है। मैं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करने का स्वागत करता हूं। छोटे राज्य बनाने में कोई बुराई नहीं है। परन्तु हमें उनका प्रशासन इस ढंग से करना चाहिए जिससे वे पृथक रूप से या किसी अन्य राज्य के सहयोग से पूर्ण स्वायत्तशासी राज्य बन जाये।

तीसरी बात यह है कि कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि छोटे राज्य बनाना बुरा है। वास्तव में संसार में छोटे छोटे राष्ट्र भी हैं जिन्हें प्रमुख सम्पन्नता प्राप्त है। प्रश्न छोटे और बड़े राज्य का नहीं प्रत्युत कुछ लोगों में परम्परा और ऐतिहासिक सम्बन्ध के कारण एकता की भावना होती है। हमें उनमें ऐसी भावना पैदा करनी चाहिये कि वे पृथक राज्यों के रूप में या किसी राज्य में विलीन होकर स्वायतशासी अधिकार प्राप्त करें।

जब कुछ प्रदेशों का बड़े राज्यों में विलय किया गया था तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि क्योंकि वे लोग अपने स्वभाव, प्रथाओं और आचरण के कारण अलग रहना चाहते हैं अतः इन प्रथाओं आदि का संरक्षण होना चाहिये। विदर्भ के लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : क्या हम लोगों को दो, दो मिनट का भी समय नहीं मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक समुच्य समिति से लौट आयेगा।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक, दो मिनट ही मैं चाहता हूं ज्यादा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: अच्छा, श्री भक्त दर्शन।

श्री भक्त दर्शन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करते हुए एक बात यह कहना चाहता हूं जैसा कि हिमाचल प्रदेश के मेरे मित्र श्री वीर भद्र सिंह जी ने कही कि यद्यपि हम लोग माननीय शास्त्री जी के इस संबंध में बहुत अनुगृहीत हैं लेकिन इसमें काफी देरी लग चुकी है और अब भी उसको संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जा रहा है। इसमें कुछ समय लग ही जायेगा। मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द संयुक्त प्रवर समिति से इसे स्वीकृत करा के फिर सदन द्वारा इसी सत्र में स्वीकार करा लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का अवश्य आश्वासन देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमन्, मुझ से पहले श्री दाजी ने अपने भाषण में कुछ इस प्रकार का आक्षेप करने का प्रयत्न किया कि इस विधेयक द्वारा जो अधिकार इन संघीय क्षेत्रों को दिये जा रहे हैं वे बिलकुल अपर्याप्त है वरन् एक वर्णशंकर शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति इन क्षेत्रों की है उस में जो व्यवस्था इस समय की जा रही है वह सर्वोत्तम व व्यावहारिक है। सी० क्लास की जो स्टेट्स बनी थी और उस समय जो अड़चनें आईं, उन अनुभवों से लाभ उठाने के बाद इस कानून को ड्राफ्ट किया गया है और जहां तक मेरी जानकारी है कम से कम हिमाचल प्रदेश के जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं वह इससे पूरी तरह सहमत हैं और इस को पूरी तरह से परीक्षण देना चाहते हैं। बाद में यदि आवश्यकता अनुभव होगी तो आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

हमारे दाजी साहब ने दिल्ली का जो प्रश्न उठाया उस सम्बंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने दिये तले अंधेरा, का उदाहरण दिया था लेकिन दिल्ली में हम लोग स्वयं सारे देश के ५०० मेम्बर यहां रहते हैं। हम स्वयं दिल्ली की सेवा के लिए तैयार रहते हैं फिर जितने भी संघीय संविधान हैं, फेडरल कांस्टीट्यूशन इस संसार में हैं, जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार होती है वहां पर राज्य सरकार का दुहरा शासन नहीं होता है। दो-दो होम मिनिस्टर हों और दो-दो तरह की पुलिस हो ऐसा कहीं नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था की जा रही है वह सर्वोतम है।

एक और बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। जिस समय इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने (स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन कमिशन) ने अपनी रिपोर्ट दी थी उस समय इस पर इस सदन में वादविवाद हुआ था और उस समय यह विचार था कि यह जो संघीय क्षेत्र हैं खास कर हिमाचल प्रदेश, इन को पांच या दस साल तक समय दिया जायेगा। ताकि केन्द्रीय सरकार की सहायता से उनका पूरा विकास हो सके। उस समय गृह मंत्री स्वर्गीय माननीय पंत जी ने इस वादविवाद के समय इस बात को स्पष्ट किया था। जो यह संविधान अब बनाया जा रहा है यह जो विधेयक लाया गया है इस का अर्थ यह है कि जो संघीय क्षेत्र हैं कम से कम हिमाचल प्रदेश, उसको स्थायित्व दिया जा रहा है, परमानेंसी दी जा रही है तो मैं इस अवसर पर यह प्रश्न छेड़ना चाहता हूं कि जिस तरह का हिमाचल प्रदेश का इस समय संगठन है वह बिलकुल अवैज्ञानिक है, तर्कहीन है, इल्लौजिकल है और अनसांइटिफिक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा चंबा दूसरी तरफ जम्मू से मिला हुआ है। अगर आप कालका से शिमला पहुंचे तो कालका से आगे बढ़ने पर जहां सोलन हिमाचल प्रदेश में आता है, वहां कंडाघाट पंजाब में चला जाता है। उस के बाद फिर तारादेवी नामक स्थान आता है जोकि फिर हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जब शिमला प्रौपर पहुंचते हैं जोकि एक तरफ से हिमाचल प्रदेश का वास्तविक केन्द्र है, वह फिर पंजाब के अन्दर चला गया है। इस तरह का यह परस्पर विरोधाभास है। इस बारे में अन्तिम रूप से विचार होना चाहिये और इनकी एक ही सरकार कायम होनी चाहिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझ से पहले, पंजाब में जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, श्री अ० ना० विद्यालंकार, उन्होंने भी इस सुझाव का समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि इस का मतलब यह है कि पंजाब के जो भी विचारक लोग हैं वे इस फैसले पर पहुंच चुके हैं और इसका समर्थन करने को तैयार हैं कि पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश से मिला देना चाहिये। हिमाचल प्रदेश की वैज्ञानिक ढंग की एक ईकाई बनानी चाहिए। उससे सुरक्षा की दृष्टि से जहां अच्छी व्यवस्था हो सकेगी, वहां उससे उसके विकास में भी सहायता मिलेगी। इसलिए मैं इस अवसर पर आप के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाय और साथ ही इस प्रश्न पर फिर विचार करने की कृपा की जाय और अंतिम निर्णय करने की कृपा की जाय.....

डा० ना० श्री अणे (नागपुर) : दूसरा स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल ले आओ न ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० ना० श्री अणे]

श्री भक्त दर्शन : ताकि आपको विदर्भ बनाने का मौका मिल सके, मैं समझा इस बिल की जो धारायें हैं उन में से इस अवसर पर केवल दो का उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो उसमें जो मनोनीत करने की नामिनेशन सदस्यों का रक्खा गया है, मैं समझता हूं कि इसका सब लोगों ने विरोध किया है और इस पर जरूर विचार होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो प्रशासक है, ऐडमिनिस्ट्रेटर है वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की, मंत्रि-मंडल की बैठक का सभापतित्व करे, यह बड़ा असंगत और अपमानजनक मालूम होता है...

श्री दाजी (इन्दौर) : यह मैंने कहा था लेकिन आपने विरोध किया और कहा कि दाजी साहब गलत बोले।

श्री भक्त दर्शन : वह तो जो आपने और बातें कहीं थीं उन के लिये मैंने विरोध किया था लेकिन जहां तक इस बात का संबंध है मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि यह चीज हटनी चाहिए। वैसे ऐडमिनिस्ट्रेटर को जो अधिकार दिया गया है, माननीय श्री रिशांग किशिंग ने भी कहा कि ऐडमिनि-स्ट्रेटर को पहले से ज्यादा अधिकार दिया गया है। जैसी कि वहां बौर्डर के इलाकों की, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थित है, उसको देखते हुए ऐडमिनिस्ट्रेटर को कुछ अधिकार अवश्य होने चाहिएं। अब क्या अधि-कार हों, कम हों या ज्यादा हों, इसमें मतभेद हो सकता है लेकिन विशेषाधिकार जरूर होने चाहिएं। जब उन के पास विशेषाधिकार मौजूद हों तो उन को हर मिटिंग में रहने की क्या जरूरत है? जिस विषय पर मतभेद हो उसको उन्हें रोकने का अधिकार है और वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकते हैं कि इस पर नये सिरे से विचार किया जाय और प्रेसीडेंट का जो निर्णय होगा वह अंतिम माना जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह विधेयक लोकतंत्र के प्रति देश के प्रेम की अभ्यर्थना है क्योंकि ऐसी महान् विपत्ति के समय इसे लाया गया है।

यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को बड़ा राज्य बना देना चाहिये। मेरा यह विश्वास नहीं है। हिमाचल प्रदेश मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ, देव, दमन आदि प्रदेश, प्रदेश मात्र नहीं है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उनमें कैसा भी परिवर्तन कर दिया जाये। वास्तव में वे अलग अलग प्रकार के देश हैं अतः विधेयक में परस्पर विरोधी बातों का होना भी स्वाभाविक है। इन सब में उत्तर प्रदेश की विधान सभा के प्रक्रिया नियमों को अपनाना युक्तिसंगत नहीं बल्कि उन्हें निकटवर्ती राज्यों से प्रेरणा देनी चाहिये।

सीमावर्ती प्रदेशों में प्रशासक को प्रशासन के लिये उत्तरदायी ठहराना चाहिए किन्तु असम जैसे राज्य में राज्यपाल को इतने अधिक अधिकार देना उचित नहीं।

स्थायी समिति को विकास संबंधी अधिकार नहीं दिये गये। उसका यह दायित्व होना चाहिये कि वह लोगों की आर्थिक उन्नति का प्रयत्न करे।

आज देश में लोकतंत्र के चार धरातल हैं जैसे पंचायत राज्य, विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा। इन प्रदेशों में भी ये चारों धरातल उपलब्ध होने चाहिये अर्थात् उन्हें राज्य सभा में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : जिन सदस्यों ने विधेयक को हृदयतापूर्वक और विवेकपूर्ण समर्थन किया है, यदि मैं उन्हीं के मधुर भाषित शब्दों को दौहराऊं तो मैं कृतघ्नता का अपराधी हूंगा। अतः मैं केवल यह कहूंगा कि हम संयुक्त समिति में उदार भावना के साथ जा रहे हैं। अतः जो सुझाव दिये गये हैं उनके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना उचित नहीं किन्तु, मैं केवल यह कहूंगा कि इन सुझावों पर उपयुक्त विचार किया जायगा।

श्री दाजी ने इस विधेयक की तुलना गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट १९३५ में से की जो न केवल हमारे प्रति बल्कि उनके प्रति भी अनुचित था क्योंकि उस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यपाल सम्राट का प्रतिनिधि था और इंग्लैंड के हाउस आफ कामन्स के प्रति उत्तरदायी था। इस मामले में प्रशासन गृह कार्य मंत्रालय के अधीन काम करेगी जो इस सभा की सेवक है। प्रशासन के कृत्यों के लिए हम सभा के समक्ष उत्तरदायी होंगे। इन क्षेत्रों के विकास के लिए हमें सभा से धन मांगना पड़ा करेगा। अतः संविधान के अन्तर्गत सरकार का संसद के प्रति जो प्राथमिक और अंतिम उत्तरदायित्व है वह बना रहेगा।

विधेयक को प्रस्तुत करते समय प्रशासन के लिए दिये जाने वाले अधिकारों के संबंध में मेरे मन में जो तनिक भी भ्रम या वह श्री दाजी और महीड़ा का भाषण सुनने पर विलुप्त हो चुका है और मुझे विश्वास है कि जो नीति हमने अपनायी है वह ठीक है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक की सिफारिश करता हूं।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : इस समय सभा में गण पूर्ति नहीं है अतः प्रश्न मतदान के लिये नहीं रखा जा सकता। हमें महान् परम्पराओं की स्थापना करनी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : देखते हैं शायद गणपूर्ति हो जाय। (घंटी बजायी जाती है।)

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : मेरा निवेदन है कि यह मामला कल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सोमवार को प्रस्तुत किया जायगा। अब सभा सोमवार को ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

(इसके बाद लोक सभा सोमवार १८ मार्च, १९६३/२७ फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, १६ मार्च, १९६३

२५ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		१८४९–७४
तारांकित प्रश्न संख्या		
४२८	विदेशों के साथ भारत के संयंत्र	१८४९–५२
४२९	सीमांत सड़क संगठन	१८५२–५४
४३०	नेफा में हुई असफलताओं की जांच	१८५४–६०
४३२	कोलम्बो में चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार	१८६०–६१
४३३	विश्वविद्यालयों में प्रतिरक्षा विज्ञानों का उच्च पाठ्यक्रम	१८६१–६३
४३४	रूस से हेलीकोप्टर	१८६३–६४
४३५	बाल फिल्म संस्था	१८६४–६५
४३६	मौजम्बीक से भारतीयों का वापस आना	१८६५–६८
४३७	चीनियों के द्वारा सामान का लौटाया जाना	१८६८–७०
४३८	औद्योगिक इकाइयों का बन्द किया जाना	१८७०–७२
४३९	चीनियों की हिरासत में "टस्कर" कर्मचारी	१८७३
४४०	नियोगी समिति का प्रतिवेदन	१८७३–७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		१८७४–१९०५
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३१	जवानों के परिवारों के लिये निवास स्थान	१८७४
४४१	केन्या में भारतीय व्यापारी	१८७४–७५
४४२	राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्	१८७५
४४३	टैंकों का निर्माण	१८७५
४४४	चीन में भारतीय युद्धबन्दी	१८७६
४४५	नेफा में असैनिक व्यक्तियों को हुई हानि	१८७६–७७
४४६	चीनी मजूरी बोर्ड	१८७७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
४४७	लंका में भारतीय प्रवासी	१८७८
४४८	गोआ में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य . . .	१८७८–७९
४४९	अमरीकी परिवहन विमानों की वापसी . .	१८७९
४५०	पटसन मजूरी बोर्ड	१८७९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८०६	मद्रास में पंजीवद्ध व्यक्ति	१८८०
८०७	'निसान' जीप	१८८०
८०८	आंध्र प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीयन . .	१८८०
८१०	यातायात की आवश्यकतायें	१८८०
८११	राष्ट्रीय विकास परिषद्	१८८०–८१
८१२	लखनऊ का सैनिक अस्पताल . . .	१८८१
८१३	भारतीय सेना के भूतपूर्व गोरखा सैनिकों का कल्याण . .	१८८१
८१४	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	१८८२
८१५	अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन .	१८८२
८१६	मिस्र में आबू सिम्बल मन्दिर . . .	१८८२
८१७	निर्वाह व्यय देशनांक	१८८३
८१८	सेना में भर्ती	१८८३
८१९	भारत सेवक समाज	१८८३–८४
८२०	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी	१८८४
८२१	पूर्वी पाकिस्तान-आसाम सीमा का सीमांकन . . .	१८८४–८५
८२२	आस्ट्रेलिया से पारेषक	१८८५
८२३	तारापोर में आण्विक बिजलीघर . . .	१८८५
८२४	बड़ाहोती पर चीनियों का दावा	१८८५–८६
८२५	बेरोजगार प्रविधिक और अप्रविधिक कर्मचारी . .	१८८६
८२६	पेंशन पाने वाले सैनिक	१८८६
८२७	योल खास में छावनी बोर्ड स्कूल . . .	१८८६–८७
८२८	५०७ आर्मी बेस वर्कशाप	१८८७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८२९ कोसीपुर गन एंड शेल फैक्टरी, डमडम १८८७
८३० देहली के लिये वार्षिक योजना . १८८७-८८
८३१ केरल में रोजगार की स्थिति . . १८८८
८३२ नेफा में तिब्बती शरणार्थी . . १८८८
८३३ सेना नर्सिंग सेवा . . . १८८८-८९
८३४ एशिया जनसंख्या सम्मेलन . . १८८९
८३५ नागा विद्रोही १८८९-९०
८३६ पाकिस्तान में विद्यमान मन्दिर और गुरुद्वारे १८९०
८३७ आकाशवाणी से राष्ट्र गान . . १८९०
८३८ हैदराबाद के निकट विमान दुर्घटना . १८९०-९१
८३९ सरदार पटेल के प्रकाशित भाषण . . १८९१
८४० गोआ का वन पदार्थ . १८९१
८४१ एमरजेंसी कमीशन . १८९१-९२
८४२ सेवा निवृत्ति . . . १८९२
८४३ बाह्य अन्तरिक्ष के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधि . . १८९३
८४४ प्रतिरक्षा प्रयत्नों के संबंध में आकाशवाणी से प्रसारण १८९३
८४५ पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय पुलिस के कर्मचारी . १८९४
८४६ देवली मिलिटरी कैम्प . . १८९४
८४७ सेना के लिये नई इमारतें . . . १८९४
८४८ पेंकिंग रेडियो पर भारतीय १८९५
८४९ सीमांत सड़क विकास बोर्ड १८९५
८५० कोयला खनन उद्योग में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध . १८९५-९६
८५१ राजस्थान के लिये तृतीय योजना के लक्ष्य . . १८९६
८५२ पंजाब में रेडियो . . १८९६
८५३ नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र १८९६-९७
८५४ श्रीनगर लेह सड़क १८९७
८५५ पाकिस्तानियों द्वारा हटाया गया सीमा स्तम्भ . १८९७-९८
८५६ दुर्गा काटन मिल्स, काड़ी (गुजरात) १८९८
८५७ रूस के साथ प्रत्यर्पण संधि . . १८९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

८५८ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी . . १८९९

८५९ नेफा में सड़कें . . १८९९

८६० टाटा द्वारा मिलिटरी ट्रकों का संभरण १८९९—१९००

८६१ बिहार में बन्दूक बनाने का कारखाना . १९००

८६२ सी हौक जैट लड़ाकू वायुयान . . १९००

८६३ अन्डर आफिसर की पदाली . . . १९०१

८६४ लखनऊ हवाई अड्डा . . १९०१—०२

८६५ युद्धपोतों का निर्माण . १९०२

८६६ चांदमारी . . १९०२—०३

८६७ खाद्य पदार्थों के रूप में मजूरी का भुगतान . . १९०३

८६८ भविष्य निधि अंशदान की अवशिष्ट राशियां . . १९०३—०४

८६९ धातुकर्म प्रयोगशाला, इच्छापुर १९०४

८७२ कटनी में मिलिटरी बैरक १९०४

८७३ गणतंत्र दिवस परेड . १९०५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९०५—०६

विभिन्न सत्रों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ३ . तीसरा सत्र, १९६२—६३ (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ५ . दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ८ पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १० चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक सभा)

(२) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९७ में प्रकाशित कोयला-खान-मुहाने पर स्नानागार (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

सामान्य आयव्ययक १९६३-६४ पर सामान्य चर्चा जारी रही । वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) ने चर्चा का उत्तर दिया तथा चर्चा समाप्त हुई ।

नियम २१४ का निलम्बन . . . . . १९०८—२९

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २१४ के उप-नियम (२) और (३) को १९६३–६४ के आयव्ययक (सामान्य) संबंधी लेखानुदान के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लेखानुदानों की मांगें, १९६३–६४ . . . . . १९२९—३६

वर्ष १९६३–६४ के लिये आयव्ययक (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक पुरस्थापित १९३६

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३ ।

विधेयक पारित . . . . . १९३७—५१

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(२) वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात्, विधेयक पारित किया गया ।

नियम ७४ का निलम्बन १९५१–५२

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रि परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . . १९५२—५७

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) ने प्रस्ताव किया कि संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, १९६३ संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये। उन्होंने प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर भी दिया। प्रस्ताव पर मतदान अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दिया गया।

सोमवार, १८ मार्च, १९६३/२७ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक को संयुक्त समिति में सौंपने के प्रस्ताव पर मतदान तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री बड़े १९४२—४४
श्री हेम राज १९४४—४६
श्री म० ला० जाधव १९४६
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा १९४६–४७
श्री सुब्बरामन १९४७—५०
खण्ड १ और २ १९५०
पारित करने का प्रस्ताव १९५१
श्री ब० स० भगत
नियम ७४ के पहिले परन्तुक का निलम्बन १९५१–५२
संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १९५२–६७
श्री दाजी १९५७–५८
श्री वीरभद्र सिंह १९५८—६०
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा १९६०—६१
श्री स० टो० सिंह १९६१
श्री अ० ना० विद्यालंकार १९६१
श्री हरि विष्णु कामत १९६१–६३
श्री रिशांग किशिंग १९६३—६४
डा० मा० श्री० अणे १९६४
श्री भक्त दर्शन १९६४—६६
श्री दी० चं० शर्मा १९६६
श्री हजरतवीस १९६७
दैनिक संक्षेपिका १९६८—७३
समेकित विषय सूची [४ से १६ मार्च, १९६३/१३ से २५ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

PLS. 41. XIV. 20. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।